सम्पादक :
डा० हारून रशीद सिद्दीकी
सहायक :
मु० सरवर फ़ारूक़ी नदवी
मु० हसन अन्सारी
हबीबुल्लाह आज़मी

कार्यालय :
मासिक सच्चा राही!
मजलिसे सहाफ़त व नशरियात
पो० बॉ० नं० 93
टैगोर मार्ग, नदवतुल उलमा, लखनऊ
फोन : 787250
फैक्स : 787310
e-mail : nadwa@sancharnet.in

सहयोग राशि :

एक प्रति	रु० 9/-
वार्षिक	रु० 100/-
विशेष वार्षिक	रु० 500/-
विदेशो में (वार्षिक)	25 US डालर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें :
"सच्चा राही"
पता : सेक्रेटरी मजलिस सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ - 226007

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काक्षेरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिस सहाफ़त व नशरियात, टैगोर मार्ग नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित किया।

हिन्दी मासिक

सच्चा राही

सामाजिक एवं साहित्यिक

अक्टूबर 2002 | वर्ष 1 | अंक 8

नौकरों से व्यवहार

एक देहाती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आया और पूछा कि मैं अपने नौकर को एक दिन में कितनी मरतबा मुआ़फ़ करूँ? फ़रमाया : "सत्तर मरतबा" और फ़रमाया : "मज़दूर को उसकी मज़दूरी उसका पसीना ख़ुश्क होने से पहले दे दो।"

(ह़दीस)

विषय एक नज़र में

❖	मानवता की खोज ?	– *सम्पादकीय*	3
❖	कुर्आन की शिक्षा	– *मौलाना मुहम्मद उवैस नदवी*	5
❖	प्यारे नबी की प्यारी बातें	– *मौलाना अब्दुल हयी हसनी*	7
❖	अरबी मदरसों में पढ़ने वालों की विशिष्टता	– *मौलाना अबुल हसन अली*	9
❖	संसार का पालनहार	– *डा० अब्दुल्लाह अब्बास नदवी*	14
❖	इस्लामी समानता और बन्धुत्व	– *सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी*	17
❖	मुजाहिद का अस्ल मैदान	– *मुहम्मदुल हसनी*	21
❖	तलाक़ ज़हमत या रहमत	– *लतीफ़ अहमद*	22
❖	आदर्श शासन	– *डा० मुहम्मद इज्तिबा नदवी*	23
❖	आपकी समस्याएं और उनका हल	– *मुहम्मद सरवर फ़ारुक़ी नदवी*	25
❖	जिन्नात का बयान	– *अबू मर्गूब*	26
❖	स्वतंत्रता आन्दोलन में भारतीय मुसलमानों की भूमिका	– *प्रो० शान्तिमय राय*	22
❖	कुर्आन में जिहाद की अनुमति और उसकी भूमिका	– *मु० सरवर फ़ारूक़ी नदवी*	30
❖	पापों की मुक्ति की एक रात्रि	– *मुहम्मद अली जौहर*	33
❖	मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से	– *अहमद अली नदवी*	35
❖	साधारण फिटकरी		38
❖	अंतर्राष्ट्रीय समाचार	– *मुईद अशरफ़ नदवी*	40

□□□

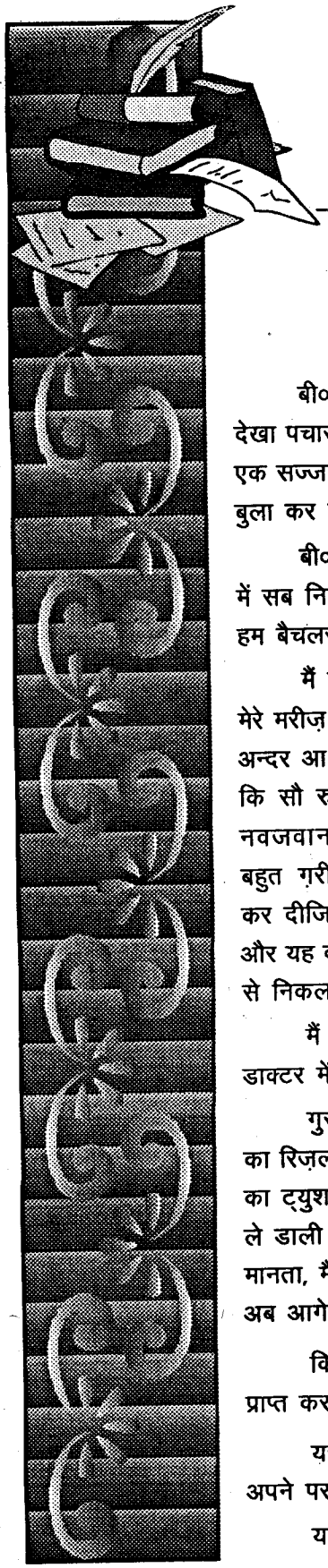

मानवता की खोज

– डॉ० हारून रशीद सिद्दीक़ी

बुरा जो देखन मैं चला बुरा न दीखा कोए।
जो मन खोजौं आपना मुझ सा बुरा न कोए।।

बी०ए० की मार्कशीट लेने विश्वविद्यालय जाना हुआ, जिस खिड़की से मार्कशीट मिल रही थी मैंने देखा पचास से अधिक विद्यार्थी न थे लेकिन वह धक्कम–धक्का वह घींगा–मुश्ती की अलअमाँ वलहफ़ीज़, एक सज्जन तो शुद्ध भाषा भी बोल रहे थे, हुआ यह था कि क्लर्क महोदय ने अपने एक परिचय को अन्दर बुला कर मार्कशीट दे दी थी।

बी०ए० पास तो उच्च शिक्षा प्राप्त कहलाता है यदि वह लाइन बना कर मार्कशीट लेते तो एक घंटे में सब निमट जाते, क्या वह घींगा, मुश्ती और असभ्य भाषा का प्रयोग मानवता के अनुकूल था ? यदि हम बैचलर ऑफ़ आर्ट में भी मानवता न पाएं तो इसे कहाँ खोजने जाएं।

मैं एक एम०बी०बी०एस० डाक्टर के यहाँ एक मरीज़ ले गया था, उनकी फ़ीस सौ रुपए थी, वह मेरे मरीज़ को देख कर नुसख़ा लिख चुके थे कि एक नवजवान एक दस बारह साल के बच्चे को लेकर अन्दर आ गया जिसके सर से ख़ून बह रहा था, कुछ लग गया था डाक्टर साहिब ने देखा और कहा कि सौ रुपया लाओं इसमें कई टांके लगेंगे। नवजवान ने कहा डाक्टर साहिब हम लोग बहुत ग़रीब हैं सौ रुपया न दे पाएंगे, कम कर दीजिए। डाक्टर साहिब बहुत ख़फ़ा हुए और यह कहते हुए डांट कर भगा दिया कि क्या कबड़्ये की दूकान है ? मैंने देखा कि वह बच्चा क्लीनिक से निकल रहा था और उसके सर से ख़ून बह रहा था।

कितने खेद की बात है, हाई स्कूल का इंगलिश टीचर कम से कम 10,000 रु० वेतन होगा, ट्युशन प्राप्त करने के यह जतन ? आख़िर गुरु जनों में भी मानवता न पाऊँ तो मानवता की खोज कहाँ करूँ?

मैं सोचने लगा कि डाक्टर तो समाज का उच्चतर सज्जन पुरुष है, उसका यह व्यवहार! यदि डाक्टर में भी मानवता नहीं है तो आख़िर मानवता को कहाँ खोजूँ।

गुरु जी अपने एक विद्यार्थी को बुरी तरह डांट रहे थे, तुम लोग कुछ नहीं समझते हो, जब परीक्षा का रिज़ल्ट निकलेगा तब समझ में आएगा। विद्यार्थी बोला सर मैंने पिता जी से कहा था कि मेरा इंगलिश का ट्युशन करवा दीजिए हमारे मास्टर साहिब बहुत अच्छी इंगलिश पढ़ाते हैं। पिता जी ने मेरी परीक्षा ले डाली और कहा कि तुम्हारी अंग्रेज़ी कमज़ोर तो नहीं है। गुरु जी बोले कोई नेकी का इहसान नहीं मानता, मैंने तो तुम को इस आशा पर तवज्जुह से पढ़ाया था कि तुम्हारे पिता मुझसे ट्यूशन पढ़वाएंगे, अब आगे पता चल जाएगा। यह बात उसी विद्यार्थी से मालूम हुई है।

कितने खेद की बात है, हाई स्कूल का इंगलिश टीचर कम से कम 10,000 रु० वेतन होगा, ट्युशन प्राप्त करने के यह जतन ? आख़िर गुरु जनों में भी मानवता न पाऊँ तो मानवता की खोज कहाँ करूँ?

यह सत्य है कि करता एक है और बदनाम होती है क़ौम, यहाँ जो कुछ कहा जा रहा है उसे आप अपने पर न फिट करें परन्तु अपने पास–पड़ोस पर नज़र अवश्य डालें।

यदि कोई सज्जन अपने क्षेत्र के बालकों तथा युवकों की शिक्षा–दीक्षा का बीड़ा उठाए, पबलिक तथा

सरकार से करोड़ों लें, अपनी मिलकियत में विद्यालयों का निर्माण करे, अपने और बाल–बच्चों के लिए आधुनिक भवन बनाएं, सम्पत्ति एकत्र करें तो आप का मस्तिष्क क्या कहेगा ?

इसी प्रकार आप अनेक संस्थाएं पाएंगे कि बाहर के चन्दों से भव्यशाली निर्माण हुए, निर्माणों पर मौरूसी अधिकार हुए, निःसन्देह शिक्षा–दीक्षा का कुशल कार्य भी हुआ, अन्दर बाहर नाम हुआ चन्दों में वृद्धि हुई परन्तु शिक्षकों का वेतन शिक्षा शुल्क से ही अदा किया गया, कुछ विद्यार्थियों को खाना दे दिया, शेष आयु से नवीन निर्माणों की तय्यारी हुई या सम्पत्ति की ख़रीदारी हुई। क्या यह मानवता के उदाहरण है ? कोई बताए आख़िर मानवता कहाँ खोजूँ ?

एक सज्जन ने बयान किया कि एक अपटूडेट मिस्टर अपने कुत्ते के साथ आए, बस पर सवार हुए, कुत्ते ने भी एक सीट ली, मिस्टर ने दो टिकट लिए, एक अपना दूसरा कुत्ते का। कन्डक्टर भी मिस्टर से दब गया वरना इन्सानों के बीच कुत्ते की सीट का कोई तुक न था।

मैं एक धनवान सज्जन के पास बैठा हुआ था कई कुर्सियाँ पड़ी थीं, ठण्डे पानी, गर्म चाय और मीठी बोलियों से मेरी आव भगत हो रही थी कि शलूका धोती पहने एक व्यक्ति आया उन सज्जन पुरुष के पैर छू कर एक ओर ज़मीन पर बैठ गया, यह सत्य है कि उन साहिब ने उसकी ख़ैर–ख़ैरियत पूछी परन्तु कुर्सी पर बैठने को न कहा। कितने सभ्य तथा सज्जन लग रहे थे वह, और कितना शान्ति प्रेमी था वह ग़रीब जिसने धनवान को भगवान बनाया पैर छुए और भुंई पर बैठ रहा, जब कि बस में साहिब का कुत्ता साहिब के बराबर सीट पर बैठा, जिस को जिस बात का आदेश मिला उसने उसका पालन किया, परन्तु मैं सोचता हूँ कि मैं मानवता को कहाँ खोजूँ ?

ख़ूब याद है उच्च सभ्यता का दावेदार गोरा अंग्रेज़ कुत्ते को साथ बिठालता था परन्तु रेल के जिस डिब्बे में वह सवार होता उसमें काले हिन्दोस्तानी का चढ़ना अपराध था। इन की मानवता गोरों ही में सीमित थी, उनमें मानवता की खोज भूल होगी, फिर मानवता की खोज कहाँ की जाए ? आप भी सोचिये हम भी सोचते हैं, उत्तर मिलेगा।

□□□

प्रोफ़ेसर बी०एन० पाण्डेय लिखते हैं:-

जब मैं इलाहाबाद नगर पालिका का चेयरमैन था (1948 ई० से 1953 ई० तक) तो मेरे सामने दाख़िल–ख़ारिज का मामला लाया गया। यह मामला सोमेश्वर नाथ महादेव मन्दिर से संबंधित जायदाद के बारे में था। मंदिर के महंत की मृत्यु के बाद उस जायदाद के दो दावेदार खड़े हो गए थे। एक दावेदार ने कुछ दस्तावेज़ दाख़िल किये जो उसके ख़ानदान में बहुत दिनों से चले आ रहे थे। इन दस्तावेज़ों में शहंशाह औरंगज़ेब के फ़रमान भी थे। औरंगज़ेब ने इस मन्दिर को जागीर और नक़द अनुदान दिया था। मैंने सोचा कि ये फ़रमान जाली होंगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हो सकता है कि औरंगज़ेब जो मन्दिरों को तोड़ने के लिए प्रसिद्ध है, वह एक मन्दिर को यह कह कर जागीर दे सकता है कि यह जागीर पूजा और भोग के लिए दी जा रही है। आख़िर औरंगज़ेब कैसे बुतपरस्ती के साथ अपने को शरीक कर सकता था।

मुझे यक़ीन था कि ये दस्तावेज़ जाली है, परन्तु कोई निर्णय लेने से पहले मैंने डा० सर तेज बहादुर सप्रू से राय लेना उचित समझा। वे अरबी और फ़ारसी के अच्छे जानकार थे। मैंने दस्तावेज़ें उनके सामने पेश करके उनकी राय मालूम की तो उन्होंने दस्तावेज़ों का अध्ययन करने के बाद कहा कि औरंगज़ेब के ये फ़रमान असली और वास्तविक हैं। इसके बाद उन्होंने अपने मुंशी से बनारस के जंगमबाड़ी शिव मन्दिर की फ़ाइल लाने को कहा। यह मुक़दमा इलाहाबाद हाईकोर्ट में 15 साल से विचाराधीन था। जंगमबाड़ी मन्दिर के महंत के पास भी औरंगज़ेब के कई फ़रमान थे, जिनमें मन्दिर को जागीर दी गयी थी।

□□□

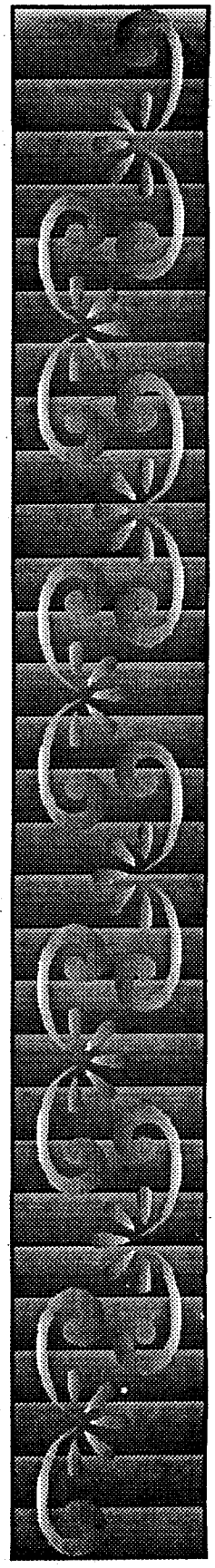

क़ुर्आन की शिक्षा

— मौलाना मुहम्मद उवैस नदवी (रह०)

लड़ाई का जिहाद :

या अय्युहल्लज़ीन आमनू क़ातिलुल्लज़ीन यलूनूमकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वलयजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़तन (9:123)

ऐ ईमान वालो लड़ते जाओ अपने नज़दीक के क़ाफ़िरों से और चाहिए कि वह तुम में सख़्ती पाएं।

नोट : इस्लाम और क़ुर्आन ने काफ़िर उस को कहा है जो इस्लाम जैसे सत्य को नकार दे वह भी काफ़िर है जो सृजनहार का साझी ठहराये और किसी अन्य को भी पूज्य जाने उस को मुश्रिक भी कहते हैं, वह भी काफ़िर है जो इस्लामी शासन से लाभ उठाने के लिए और षणयंत्रों से इस्लाम को हानि पहुंचाने के लिए घोषणा कर दे कि मैं मुसलमान हूँ परन्तु वह मन में इस्लाम के एकेश्वरवाद को स्वीकार न करके इस्लाम और मुसलमानों को हानि पहुंचाने की प्रतीक्षा में रहे, तथा इस्लाम विरोधियों से सांठ गांठ रखे उसको मुनाफ़िक भी कहते हैं। इनमें सब से बुरे मुनाफ़िक हैं। वह आस्तीन के सांप हैं, पता लगते हीं उनको मुस्लिम समाज से बाहर करना आवश्यक है, परन्तु मुनाफ़िक़ अब नहीं रहे और कहीं हों तो उनको पहचाना नहीं जा सकता। रिसालत काल में अल्लाह तआ़ला अपने रसूल (सल्ल०) को बता देते थे तो पता चल जाता था।

आजकल काफ़िर शब्द को ग़ैर–मुस्लिम हज़रात गाली की भांति समझने लगे हैं, अगर्चि काफ़िर का अर्थ है छुपाने वाला, इंकार करने वाला, नाशुक्री करने वाला (कृतघ्न) अतः जो व्यक्ति सत्य को छुपाता है, सत्य को नकारता है, ख़ुदा की नाशुक्री करता है, उसके लिए यह शब्द है परन्तु अच्छा यह है कि उर्दू, हिन्दी में इसके स्थान पर ग़ैर–मुस्लिम अथवा अमुस्लिम का शब्द प्रयोग करें।

आयत में नज़दीक़ के काफ़िरों से तात्पर्य यह मुनाफ़िक़ भी हो सकते हैं, जो आक्रमणकारियों को सहयोग देने के लिए उत्सुक रहे होंगे। निकट के काफ़िरों से तात्पर्य निकट के वह राज्य भी हो सकते हैं जो इस्लाम विरोधी भी थे और मुसलमानों पर आक्रमण भी करते थे या अपने बल और आक्रमण से मुसलमानों को भयभीत भी करते थे अब यदि अपने बल और आक्रमण से मुसलमान को लड़ने का आदेश न मिलता और वह उनसे न लड़ते तो वह मिट जाते। (अनुवादक)

उक्त आयत में मुसलमानों को आदेश है कि वह काफ़िरों से लड़े, यह आदेश उन काफ़िरों के मुक़ाबले पर है जो मुसलमानों से लड़ाई छेड़ें उनको उनके मज़हब (धर्म) के काम न करने दें, उनको उनके घरों से निकालें, तथा उनसे मुसलमानों का कोई एग्रीमेन्ट न हो उनसे लड़ने को जिहाद कहते हैं।

फिर जिहाद इस प्रकार नहीं है कि जो चाहे आरम्भ कर दे, इस में संख्या, सामग्री तथा नेतृत्व के प्रतिबन्ध (शर्तें) हैं जिन को निपुण उलमा (विद्वान) ही समझते हैं। (अनुवादक)

मुसलमानों को अपने में इतनी शक्ति तो रखनी ही चाहिए कि ग़ैरों का भय उन पर न पड़े, और वह उनको किसी प्रकार निर्बल न समझ बैठें।

अल्लाह के दीन की रक्षा में लड़ने वाला, अपनी जान को संकट में डालने वाला, अल्लाह के निकट बड़े ऊंचे पद रखता है। एक समय एक सहाबी ने चाहा कि दुन्या छोड़ कर एकान्त में बैठ जाएं

आजकल काफ़िर शब्द को ग़ैर–मुस्लिम हज़रात गाली की भांति समझने लगे हैं, अगर्चि काफ़िर का अर्थ है छुपाने वाला, इंकार करने वाला, नाशुक्री करने वाला (कृतघ्न) अतः जो व्यक्ति सत्य को छुपाता है, सत्य को नकारता है, ख़ुदा की नाशुक्री करता है, उसके लिए यह शब्द है परन्तु अच्छा यह है कि उर्दू, हिन्दी में इसके स्थान पर ग़ैर–मुस्लिम अथवा अमुस्लिम का शब्द प्रयोग करें।

और अल्लाह की उपासना (इबादत) करें। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ज्ञात हुआ तो आप ने फ़रमाया कि गोशा नशीनी (एकान्त में बैठने तथा सन्यास लेने) का इरादा छोड़ दो। एक व्यक्ति का अल्लाह की राह में जिहाद करना इससे बेहतर है कि वह एकांत में बैठ कर सत्तर वर्ष इबादत (उपासना) करे तुम को यह बात नहीं प्रिय कि ख़ुदा तुम को क्षमा कर दे और जन्नत में दाख़िल कर दे, जो व्यक्ति अल्लाह के लिए थोड़ी देर भी जिहाद कर लेता है उस को जन्नत अवश्य मिलती है।

लोगों का भ्रम दूर करने के लिए

अनुवादक की ओर से फिर दुहराया जाता है कि पवित्र कुर्आन में जहाँ–जहाँ काफ़िरों से लड़ने, उन को मारने और बन्दी बनाने का आदेश है वह विशेष परिस्थितियों में विशेष काफ़िरों के लिए है, अल्लाह ने उन से लड़ने और उन के मारने का आदेश उसी समय दिया था जब उन्होंने विरोध की सभी सीमाएं पार कर ली थीं। उस परिस्थिति के पश्चात लड़ाई वाले जिहाद का आदेश इस प्रकार है –

ग़ैर मुस्लिम यदि मुसलमानों को सताएं उनको मारें, घर से बेघर करें, उन को धर्म पर चलने से रोकें, तो मुसलमानों को चाहिए कि अपनी हद तक बचाव का प्रबन्ध करें, इस्लाम पर जमे रहें इस राह में मारे जाएंगे तो शहीद होंगे, जब घर से बेघर किये जाएं और कोई शान्तिपूर्ण स्थान मिल सके तो वहां चले जाएं, लेकिन अगर विरोधियों और अत्याचारियों के मुक़ाबले में मुसलमानों की पर्याप्त संख्या हो, इसी प्रकार सामग्री भी यदि पर्याप्त मात्रा में हो फिर सबसे अहम बात यह है कि शुद्ध तथा उचित नेतृत्व हो तब उक्त परिस्थिति में जिहाद फ़र्ज़ होने का मुफ़्ती फ़तवा देगा, इन तीन बातों के बिना जिहाद फ़र्ज़ नहीं हो सकता, उसके पश्चात भी कठोर शर्तें (प्रतिबन्ध) हैं जिन को समय पर समझाया और बताया जाता है।

यह बात निराधार है कि हर मुसलमान को आदेश है कि वह हर ग़ैर मुस्लिम से लड़ता रहे पवित्र कुर्आन में इस प्रकार है–

अल्लाह तआ़ला तुम को उन लोगों के साथ सदव्यवहार उपकार, तथा न्याय करने से नहीं रोकता जो तुम से दीन (धर्म) के सम्बन्ध से नहीं लड़े न तुम को तुम्हारे घरों से निकाला, अल्लाह तआ़ला न्याय करने वालों को प्रिय रखता है।

(60:8)

अपने अन्दर का आतंकी ज़िन्दा रख ले

- डा० श्रीहरी

अपने अन्दर का आतंकी ज़िन्दा रख ले-
बाहर का कोई आतंकी पकड़, मार दे।
तेरा जंगलराज, बड़ा मंगल-दंगल है-
बड़े शिकारी आए, तू उन को शिकार दे।
तेरे बड़े झूठ को भी दुन्या सच माने-
सब के गले ज़हर अपना लाकर उतार दे।
फेर-बदल कर बारीकी से इतिहासों में -
अन्य विचारों को झुठला, अपने विचार दे।
दिवस-जयन्ती-पर्व आदि को निजी रंग दे-
इस प्रकार अपने वोटों को ही प्रसार दे।
शक्ल बदल दे, मगर कोशिशें सभी वहीं हों-
नये रूप में छः दिसम्बरी धुआंधार दे।
ढांचे ढहा, विधर्मी कह भाई को मारे,
अपने हर संकीर्ण भावना को प्रचार दे।
साम-दाम-भय-दंड-भेद से काम चला तू-
'सर्व धर्म समभाव'- इसे कर तार-तार दे।
मिली-भगत की ताम-झाम से जुटें रैलियां-
अवसरवादी चमचों को ही जनाधार दे।
राष्ट्र राज्य का धर्म एक, सर्वोच्च एक हो-
रीति-नीति हिटलरी, उसे एकाधिकार दे।

□□□

पृष्ठ 32 का शेष **कुर्आन में जिहाद .....**

होता है अल्लाह को न मानने वाला अतः जो अल्लाह तआ़ला और हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को अन्तिम महा ईशदूत न माने तथा उनके द्वारा दिए गये दीन को जो प्रथम नबी आ़दम से चला आ रहा है न माने बल्कि इन्कार करे तो चाहे वह मुस्लिम गोत्र में क्यों न पैदा हुआ हो वह भी काफ़िर कहलाएगा केवल गोत्र या साम्प्रदाय में पैदा होने का नाम मुस्लिम या काफ़िर नहीं है।

उपर्युक्त बातों से स्पष्ट हो जाता है कि इस्लाम में किसी भौतिक दृष्टि से लड़ाई की अनुमति नहीं है बल्कि जंग के मैदान में भी कहा गया है कि काफ़िरों या विरोधियों को अपनी शरण में लेने और उनके अपने धर्म पर क़ाइम रहने के बावजूद उनकी जान व माल, इ़ज़्ज़त व आबरू की उसी प्रकार रक्षा की जाएगी जिस प्रकार मुस्लिम की, जिसमें हर प्रकार के जिहाद शामिल है। इस्लाम पर लगाये जाने वाले आरोपों का पाठक स्वयं फैसला करे कि जिस धर्म के यह उपदेश हों तो क्या वह किसी प्राणी का अकारण ख़ून बहने की अनुमति दे सकता है ?

— मौलाना अ़ब्दुल हयी हसनी (रह०)

कुर्आ़न मजीद क़ियामत में सिफ़ारिश करेगा

हज़रत अबू उमामा (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाही (सल्ल०) ने फ़रमाया कुर्आ़न पढ़ा करो यह क़ियामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफ़ारिश करेगा।

(मुस्लिम)

अटक–अटक कर पढ़ने वालों के लिए दोहरा सवाब

हज़रत आइशा (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलल्लाहि (सल्ल०) ने फ़रमाया जो व्यक्ति कुर्आ़न को समझ कर पढ़ता है वह बुज़ुर्ग फ़िरिश्तों के साथ होगा और जो अटक–अटक कर मुश्किल से पढ़ता है उसको दोहरा सवाब मिलेगा

(बुख़ारी–मुस्लिम)

कुर्आ़न पढ़ाने वाले मोमिन

हज़रत अबू मूसा अशअ़री (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाहि (सल्ल०) ने फ़रमाया जो मोमिन कुर्आ़न पढ़ता है उसकी मिसाल "तुरंज" (एक फल) की सी है उसकी खुशबू भी अच्छी और स्वाद भी मज़ेदार और जो मोमिन कुर्आ़न नहीं पढ़ता उसकी मिसाल ख़जूर की सी है कि उसमें खुशबू तो नहीं होती लेकिन स्वाद बहुत अच्छा बहुत मीठा और जो मुनाफ़िक़ (कपटाचारी) कुर्आ़न पढ़ता है उसकी मिसाल "रैहान" की सी है कि खुशबू भी नहीं।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की कुर्आ़न मजीद पढ़ने की फ़र्माइश

हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि०) से रिवायत है कि मुझसे नबी करीम (सल्ल०) ने फ़रमाया कि मुझे कुर्आ़न पढ़ कर सुनाओ और अर्ज़ किया, मैं आप को कुर्आ़न सुनाऊँ? आप (सल्ल०) ही पर तो कुर्आ़न नाज़िल हुआ है कि आप (सल्ल०) ने फ़रमाया मैं चाहता हूँ कि दूसरे की ज़बान से सुनूं। तो मैंने सूरः निसा शुरु की और जब इस आयत पर पहुंचा।

"फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिनकुल्लि उम्मतिन बि शहीदिन व जिअना बिक अ़ला हाउलाइ शहीदा"

बस–बस मैंने आप (सल्ल०) को देखा तो आपके आँसू बह रहे थे।

(बुख़ारी–मुस्लिम)

कुर्आ़न का दर्स

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाहि (सल्ल०) ने फ़रमाया जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में अल्लाह की क़िताब कुर्आ़न शरीफ़ की तिलावत करते है। उसका दर्स देते हैं मतलब बयान करते है। तो उन पर सक़ीनत उतरती है, रहमत उनको ढाँप लेती है फ़िरिश्ते उनको घेर लेते हैं और उनका ज़िक्र अल्लाह तआ़ला अपनी मजलिस में करते है। **(मुस्लिम)**

सूर–ए–फ़ातिहा की फ़ज़ीलत

हज़रत अबू सईद राफ़ेअ़ बिन मअ़ला (रज़ि०) से रिवायत है कि रसुलुल्लाहि (सल्ल०) ने मुझसे फ़रमाया, कि मैं मस्जिद से निकलने से पहले तुमको कुर्आ़न मजीद की बड़ी अज़मत वाली सूरः सिखाऊँगा, फिर जब आप (सल्ल०) ने मस्जिद से निकलने का इरादा किया तो मैंने अर्ज़ किया, कि या रसूलल्लाह (सल्ल०) आपने फ़रमाया था कि मैं तुझको कुर्आ़न की बड़ी सूरः सिखाऊँगा आपने फ़रमाया "अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन" यही "सबअ़ मसानी" (जो सूर–ए–फ़ातिहा का नाम है) और कुर्आ़ने अज़ीम है, जो मुझे दी गई है। **(बुख़ारी)**

आयतल कुर्सी

हज़रत उबई बिन कअ़ब (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाहि (सल्ल०) ने फ़रमाया है कि अबुल मुन्जिर! तुम जानते हो कि तुम्हारे पास अल्लाह की क़िताब में से कौन सी आयत बड़ी अ़ज़ीमुश्शान है। मैंने अर्ज़ किया–

"अल्लाहु लाइलाह इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम"

अर्थात "आयतल कुर्सी" हुजूर (सल्ल०) ने मेरे सीने पर हाथ मारकर फ़रमाया, ऐ अबुल मुन्जिर! इल्म तुझको मुबारक हो।

(मुस्लिम)

झूठे व्यक्ति से सच्ची बात मालूम हुई

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाहि (सल्ल०) ने रमज़ान के ज़कात (अर्थात सदक़–ए–फ़ित्र) की हिफ़ाज़त मेरे ज़िम्मे की, तो एक व्यक्ति आया और ग़ल्ला भर कर ले जाने लगा मैंने उसको पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझ को रसूलुल्लाहि (सल्ल०) के पास ले जाऊँगा और पूरी हदीस ज़िक्र की फिर कहा मैंने अर्ज़ किया कि उसने कहा जब तुम बिस्तर पर सोने के इरादे से लेटो तो

"आयतल कुर्सी" पढ़ लिया करो, तो अल्लाह तआ़ला हिफ़ाज़त फ़रमाएगा और सुब्ह तक शैतान का तुम्हारे पास से गुज़र तक न होगा आप ने फ़रमाया वह है तो झूठा मगर बात सच कह रहा है वह शैतान है। (बुख़ारी)

जहाँ कुर्आ़न की तिलावत न हो वह घर क़ब्रिस्तान है

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाहि (सल्ल०) ने फ़रमाया अपने घरों को क़ब्रिस्तान न बनाओ, शैतान उस घर से भागता है। जिसमें सूर–ए–बक़रः पढ़ी जाती है। (मुस्लिम)

तिलावत करने वालों के लिए सिफ़ारिश

हज़रत नुवास बिन समआ़न किलाबी (रज़ि०) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) को फ़रमाते हुए सुना कि क़ियामत के दिन कुर्आ़न मजीद और उस पर अ़मल करने वालों को लाया जायेगा, सूर–ए–बक़रः और सूर–ए–आले इ़मरान आगे–आगे होंगी, रसूलुल्लाहि (सल्ल०) ने इन दोनों सूरतों की तीन मिसाले बयान की हैं जिनको मैं अभी तक नहीं भूला, आप (सल्ल०) ने फ़रमाया वह दोनों सूरते बादल के टुकड़े होंगे या दो गहरे साइबान होंगे इन दोनों के बीच पूरब और पश्चिम की दूरी होगी या वह परिन्दों के दो जत्थों के बराबर होंगे जो एक लाइन से उड़ रहे होंगे यह दोनों सूरते अपने–अपने पढ़ने वालों के लिए सिफ़ारिश करेंगी। (मुस्लिम)

क़ियामत में कुर्आ़न की शिफ़ाअ़त व वकालत

हज़रत अबू उमामा बाहिली (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाहि (सल्ल०) से सुना है आप इर्शाद फ़रमाते थे कि कुर्आ़न पढ़ा करो, वह क़ियामत के दिन अपने पढ़ने वालों का सिफ़ारशी बन कर आयेगा (ख़ासकर) ज़हरावीन अर्थात उसकी दो अहम नूरानी सूरते "अल बक़रः" और "आले इमरान" पढ़ा करो, वह क़ियामत के दिन पढ़ने वालों को अपने साये में लिए इस तरह आएगी, जैसे कि वह बादल के टुकड़े हैं। या साइबान हैं या सफ़ बांधे (क्रमबद्ध) परिन्दों के पर हैं यह दोनों सूरते क़ियामत में अपने पढ़ने वालों की तरफ से रक्षा करेंगी आप (सल्ल०) ने फ़रमाया पढ़ा करो, सूर–ए–बक़रः, क्योंकि उसको हासिल करना बड़ी बरक़त वाली बात है, और इसको छोड़ना, बड़ी हसरत व नदामत की बात है। (मुस्लिम)

अब विदीशा में भी
सच्चा राही प्राप्त करें
बदरुद्दीन दादा भाई
मुक़ाम व पोस्ट – लायर
ज़िला–विदीशा 462224 (एम०पी०)
फ़ोन : 07593 - 44822

Mohd. Aslam
(S) 268845, 213736
(R) 268177, 254796
HAJI SAFIULLAH & SONS

Jewellers
Nagina Market, Akbari Gate, Lucknow.
Opp. Gadbad Jhala, Aminabad Road, Lucknow.

(Shop) : 266408
(Resi.) : 260884
Iqbal & Co.
Dealer :
FRIEND EMBROIDERY MACHINE
Dealer in :
Embroidery Raw Materials Machine & Spare Parts etc.
Pul Firangi Mahal, Behind Pata Nala Police Chowki, Chowk, Lucknow - 226003

अरबी मदरसों में पढ़ने–पढ़ाने वालों की विशिष्टतायें

– मौलाना अबुल हसन अ़ली हसनी (रह०)

प्राचीन धार्मिक शिक्षा व्यवस्था के वे स्कूल जिन्हें आमतौर पर दीनी या अरबी मदरसा कहा जाता है, कुछ एक ऐसी विशेषताओं के मालिक और कस्टोडियन हैं जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में (उसकी उपयोगिता और आवश्यकता का इंकार किये बिना) या तो नहीं पाई जातीं या बहुत नायाब है। इस बिना पर आज की बदली हुई परिस्थितियों में, और इस विकसित आधुनिक युग तथा विकासशील समाज में इन मदरसों की मान–मर्यादा युग तथा विकासशील समाज में इन मदरसों की मान–मर्यादा, आवश्यकता और उपयोगिता से इंकार नहीं किया जा सकता। यहां पर इन विशेषताओं का बहुत संक्षेप में उल्लेख किया जाता है :–

1. पहली विशिष्टता इन मदरसों में पढ़ाने वालों पढ़ने वालों की निष्ठा (Sincerity) और उनका त्याग है। चूंकि पढ़ने–पढ़ाने का सवाब (पुण्य) और गुरु तथा शिष्य की गरिमा विद्यार्थियों के मन–मस्तिष्क में बैठ चुकी होती है, इसलिए इनमें से अगर सब नहीं तो अधिकांश सिर्फ खुदा की खुशनूदी और सवाब हासिल करने के लिए पढ़ने–पढ़ाने में लगे होते हैं, और इसको बड़ी इबादत समझते हैं। अध्यापकों में बहुत से लोग संयम और थोड़ी सी चीज़ पर संतोष का जीवन व्यतीत करते हैं। और अपने विशिष्ट ज्ञान व विद्वता की बिना पर अपने देश या दूसरे देशों में जो लाभ और अवसर प्राप्त कर सकते हैं, उनसे आँखें बन्द करके अपने देश और मदरसे में थोड़ी सी चीज़ पर संतोष और त्याग व साधना का जीवन व्यतीत करते हैं। और अपने कौशल से विद्यार्थियों की सेवा करते हैं। किसी युग में भी अर्थ और जीवन–स्तर कितना भी महत्व प्राप्त कर ले, इस त्याग और संयम का तिरस्कार और इसकी क़दर व कीमत का इंकार नहीं किया जा सकता।

2. दूसरी विशेषता शिक्षण में तनमयता है। अरबी मदरसों के अध्यापक पढ़ने–पढ़ाने के कार्य में इतना तनमय रहा करते थे और ऐसे डूबे रहते थे जिस की कल्पना नहीं की जा सकती, और इसका नमूना आज भी देखा जा सकता है। पढ़ना और पढ़ाना उनकी आत्मा का भोग और उनकी इबादत और वज़ीफ़ा बन गया था। अध्यापकों का सारा समय पढ़ने–पढ़ाने में घिरा रहता था। यहाँ तक की कुछ लोग खाने के समय और चलते–फिरते भी पढ़ाते थे।

3. तीसरी विशेषता विद्यार्थियों से लगाव है। इन अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों से ऐसा गहरा लगाव होता था। और अब भी इसकी मिसालें मिलती हैं, जिसकी मिसाल इस ज़माने में और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में मिलनी कठिन है।

अध्यापक विद्यार्थियों को औलाद की तरह प्रिय रखते थे, प्रायः उनका पालन पोषण करते थे, और उनको खाने–पीने में शरीक करते थे।

4. इसी प्रकार विद्यार्थियों का अध्यापकों के प्रति ऐसा लगाव था जिनका विश्वास करना आज कठिन है, और जिनका अनुकरण भी इस ज़माने में न ज़रूरी है, न सम्भव। फिर भी आज भी अरबी मदरसों को इसमें खुली और स्पष्ट विशिष्ट प्राप्त है।

5. इन दीनी और अरबी मदरसों की एक विशेषता यह भी रही है कि यहाँ से पढ़कर निकले लोगों ने, अपने समय की ग़लत विचार–धारा, किसी ख़तरनाक फितना, यहाँ तक कि सल्तनतों, (और वह आमतौर पर मुस्लिम सल्तनतें होती थीं) की ग़लत सियासत (राजनीति) और नाजाइज़ कानून और संरक्षण का डटकर मुक़ाबला किया, और कभी–कभी तो इसमें जानें दे दीं। और कभी–कभी सलतनतों और समाज को नई दिशा प्रदान की। ओर किसी क़ीमत पर भी वह हुकूमत के हाथों, दौलतमन्दों के हाथों और प्रभावशाली लोगों के हाथों बिके नहीं।

6. इस शिक्षा–दीक्षा, हक़ पसन्दी, नैतिकता साहस और अन्तःकरण की आज़ादी और जागरुकता का नतीजा था कि हिन्दुस्तान में अंग्रेजी सत्ता के मुकाबले की पहली आवाज़ इसी दीनी तब्क़े और उलमा के हल्क़ों से बुलंद हुई। उसने सबसे पहले इस ख़तरे को महसूस किया और अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष का शुभारम्भ किया अंग्रेज़ इतिहासकारों ने स्पष्ट रूप से विचार व्यक्त किया है कि सन् 1857 की आज़ादी की लड़ाई में (जिसको वह ग़दर (Mutiny), कहते हैं) रायबरेली के सैय्यद अहमद साहब की

पार्टी के वीर बांकुरों की चिनगारियाँ ही काम कर रही थीं।" और आज़ादी की इस लड़ाई में सबसे बड़ी कुर्बानियाँ इसी पार्टी के लोगों ने विशेषकर सादिक़पुर पटना के ख़ानदान ने दीं। उनकी जायदादें ज़ब्त हुईं, मकान और यहाँ तक की क़ब्रों तक ढहा दी गईं , और कई नामी–गिरामी लोगों को (मौलाना यहया अ़ली साहब, मौलाना अहमदुल्ला साहब, मौलाना अब्दुर्रहीम साहब), को अण्डमान द्वीप और काला पानी भेज दिया गया, और वहीं पहले दो व्यक्तियों की मौत हुई।

इसी का नतीजा था कि बीसवीं शताब्दी ईस्वी की पहली दहाई में हिन्दुस्तान की आज़ादी का सूर फूंका गया (युद्ध की रणभेरी बजी) और स्वतंत्रता आन्दोलन व ख़िलाफ़त आन्दोलन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले और सबसे ज़ियादा कुर्बानी उलमा के तब्क़े ने दी। मौलाना महमूद हसन साहब देवबन्दी (जो शेख़ुल हिन्द के नाम से जाने जाते हैं) और उनके साथ मौलाना सैय्यद हुसैन अहमद साहब मदनी, मौलाना उज़ैर गुल साहब, मौल्वी वहीद अहमद, और हक़ीम नुसरत हुसैन कोड़वी को 12 जनवरी, 1917 ई० को पहले मिस्र फिर माल्टा द्वीप भेज दिया गया, जहाँ वह तीन साल दो महीने रहे, हकीम नुसरत हुसैन साहब की मृत्यु हुई बाक़ी लोग वापसी पर भी अन्त समय तक आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। मौलाना मदनी तो इतनी बार जेल गये कि किसी राजनीतिक नेता को कम ही यह अवसर मिला होगा।

आज़ादी के इस आन्दोलन में हज़रत शेख़ुल हिन्द के साथ दीनी व अरबी मदरसों के अनेक लोग संघर्षरत थे जिनमें मौलाना अब्दुल बारी फ़िरंगी महली, मौलाना उबैदुल्लाह सिन्धी, मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी, मौलाना अताउल्ला शाह बुख़ारी, मौलाना हबीबुर्रहमान लुधियानवी, मौलाना दाऊद ग़ज़नवी, मौलाना हिफ़्ज़ुर्रहमान सेहवारवी, मौलाना मुफ़्ती क़िफ़ायतुल्लाह साहब देहलवी, मौलाना अहमद सईद साहब, मौलाना अब्दुल हक़ीम सिद्दीक़ी आदि अनेक उलमा का नाम आता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कारनामों को कौन नहीं जानता जो आज़ादी की लड़ाई के न केवल एक बड़े लीडर थे, बल्कि इण्डिया नेशनल कॉंग्रेस के एक बड़े विद्वान और विचारक थे इनके अलावा दीनी व अरबी मदरसों के ऐसे विद्वान जिनका ज्ञान व शोध कार्य में विशिष्ट स्थान रहा है, वह भी स्वतंत्रता संग्राम और देश से पूरी अभिरुचि रखते थे जिनमें सैय्यद सुलेमान नदवी, मौलाना मसूद अली नदवी, मौलाना मुईनुद्दीन अजमेरी मौलाना अबुल मुहासिन, मौलाना सज्जाद साहब बिहारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और भारतीय इतिहास का कोई भी इतिहासकार इनकी अनदेखी नहीं कर सकता।

7. दीनी व अरबी मदरसों के इन लोगों की एक और विशेषता उनका आचार–व्यवहार, उनकी विनम्रता, उनकी कर्त्तव्यपरायणता और शराफ़त व सज्जनता की पाबन्दी है। आज के युग में इन नैतिक गुणों की बड़ी ज़रूरत है और इन्हें बेक़ीमत और तुच्छ नहीं समझा जा सकता। आज के बिगड़े हुए समाज में आचरण के यह तत्व पतनोन्मुखी पड़ते हैं। जिनका नोटिस लिया जाना चाहिए।

विख्यात व विशिष्ट दीनी व अरबी संस्थायें

सन् 1857 की आज़ादी की लड़ाई की असफलता पर देश में व विशेषकर मुसलमानों में तेज़ी के साथ पराजय की भावना और निराशा फैलती जा रही थी। न केवल मुसलमानों में बल्कि पूरे देश में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था, सभ्यता और विचारधारा का जादू फैलता जा रहा था और वह स्थिति आचार–व्यवहार में एक बिखराव और राजनीतिक दासता के साथ मानसिक दासत को जन्म दे रही थी, और आसानी से यह अन्दाज़ा किया जा सकता था कि यदि यही वस्तुस्थिति बनी रही तो हिन्दुस्तान की आबादी विशेषकर शिक्षित वर्ग यूरोप की आधुनिकता की धारा में अपना अस्तित्व खो बैठेगा। इस बाढ़ का मुकाबला करने के लिए यूनीवर्सिटीयाँ काफ़ी न थीं, क्योंकि वे पश्चिमी शिक्षा–व्यवस्था ही की अनुयायी और उसी के पद चिन्ह पर चलने वाली थी।

इस वस्तुस्थिति के मुकाबले के लिए दूरदृष्टि रखने वाले विद्वान उलमा ने ऐसे दीनी मदरसों की स्थापना को ज़रूरी समझा जो राजनीतिक पतन के बाद (कम से कम) मुसलमानों को दीनी व नैतिक पतन से सुरक्षित रखें, और उनमें अच्छाई की तरफ बुलाने, निःस्वार्थ सेवा करने तथा ज्ञान के प्रचार–प्रसार की भावना को भरने का कार्य कर सकें, और वह यह कार्य सरकार की सहायता और संरक्षण के बिना इस देश में कर सकें।

दारुल उलूम देवबन्द और दूसरे प्रमुख दीनी मदरसे

इन मदरसों में दारुल उलूम देवबन्द को प्राथमिकता और विशेष महत्व हासिल है। इस संस्था से इसके सौ साला इतिहास में यहाँ से शिक्षा–दीक्षा लेकर निकलने वालों की संख्या दस हज़ार से भी अधिक है। इनमें अफ़गानिस्तान, याग्रिस्तान, खेवा, बुखारा–क़ाज़ान, रूस, आज़रबाईजान, एशियाई कोचक, तिब्बत, चीन व हिन्द महासागर आदि के छात्र शामिल हैं। भारतीय मुसलमानों के धार्मिक जीवन पर दारुल उलूम देवबन्द के विद्वानों के सुधारात्मक प्रयासों की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। अनेक विद्वानों ने राजनीति के क्षेत्र में और देश की रक्षा में भी महत्वपूर्ण

कार्य किया, और अपनी सत्यवादिता और बेबाकी की मिसाल छोड़ गये।

दारुल उलूम देवबन्द के बाद सहारनपुर के मदरसा मज़ाहिरुल–उलूम का नम्बर है। यहाँ से बड़ी संख्या में योग्य छात्र पढ़ कर निकले है जिन्होंने 'हदीस' पर बड़ा काम किया है, उन्होंने हदीस पर किताबें लिखीं, और अरब देशों में भारत का बड़ा नाम पैदा किया, और वहाँ उनको बड़ी प्रतिष्ठा मिली।

हिन्दुस्तान में दर्से निज़ामी के दूसरे मदरसे भी हैं, जिनमें पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाती है। जमाअ़त अहले हदीस के भी अनेक मदरसे हैं जो हदीस व सुन्नत की पढ़ाई और शोध का कार्य करते हैं। शिया सम्प्रदाय के स्कूल सुल्तानुलमदारिस, नाज़िमिया और मदरसतुल वाइज़ीन जो लखनऊ में है, विशिष्ट हैसियत रखते हैं। दक्षिणी भारत में बड़ी संख्या में बड़े–बड़े मदरसे हैं। यू०पी०, बिहार, गुजरात, दकन (विशेषकर हैदराबाद), कर्नाटक और मालाबार केरल में अनेक भव्य मदरसे और धार्मिक शिक्षण संस्थाएं हैं। (विस्तार के लिए लेखक की पुस्तक "हिन्दुस्तानी मुसलमान" देखें जो हिन्दी में भी उपलब्ध है)।

दारुल उलूम नदवतुल उलमा

नदवतुल उलमा लखनऊ की स्थापना का वर्ष सन् 1892 है, इसके संस्थापक मौलाना सैय्यद मुहम्मद अ़ली मुंगेरी थे। उसके बाद एक लम्बी अवधि तक अल्लामा शिबली उनके नामवर साथी व शिष्य विशेषकर सैय्यद सुलेमान नदवी और हिन्दुस्तान के विशिष्ट विद्वानों ने इसका मार्ग–दर्शन किया, जो इसके प्रबन्धक रहे। प्रबन्धकों में हिन्दोस्तान के महान लेखक, इतिहासकार, साहित्यकार और अरबी में भारत के इतिहास और इसके सपूतों की जीवन गाथा के लेखक मौलाना हकीम सैय्यद अब्दुल हयी हसनी साहब और उनके होनहार लड़के मौलाना हकीम डाक्टर सैय्यद अब्दुल अली हसनी का उल्लेख काफी होगा।

इस संस्था की बुन्याद इस नज़रिया और सिद्धांत पर थी कि पाठ्यक्रम शिक्षा–दीक्षा का एक परिवर्तनशील तथा विकासशील साधन है, जिसको समय परिवर्तन और उनके तक़ाज़ों के अनुसार (बुन्यादी उद्देश्यों और अक़ीदा व विश्वास की हिफ़ाज़त के साथ) बदलते और तरक़्क़ी करते रहना चाहिए। इसका मानना था कि पाठ्यक्रम को Fossilized (पत्थर की तरह कड़ा पड़ जाने वाला) होने के बजाय सजीव और लचीला होना चाहिए जिसमें विकास और विस्तार की भरपूर क्षमता हो। दूसरें शब्दों में धर्म एक अमर सत्य है, एक अबदी हक़ीक़त है, जिसमें किसी तब्दीली (परिवर्तन) की ज़रूरत नहीं। लेकिन ज्ञान एक फलने–फूलने वाला वृक्ष है, जिसकी बाढ़ सदा जारी रहेगी। इस्लाम उसके नज़दीक एक विश्वव्यापी और शाश्वत धर्म तथा जीवन है। इसलिए मानव के बौद्धिक विकास व पतन और परिवर्तन के विभिन्न सोपानों से उसका साबक़ा पड़ना, और इन बदले हुए हालात व विचारों में नेतृत्व का दायित्व निर्वाह करना, और उत्पन्न होने वाली शंकाओं का समाधान करना एक स्वाभाविक और कुदरती बात है। इसके लिए पाठ्यक्रम को भी अपनी परिधि को बढ़ाते रहने तथा अपनी क्षमता व जीवन का सुबूत देते रहने की ज़रूरत है।

फलत : नदवतुल उल्मा के ज़िम्मेदारों और मार्गदशकों ने यूनानी दर्शनशास्त्र और तर्कशास्त्र के उस हिस्से को, जो ज्ञानमयी यथार्थ के बजाय यूनानी देवमाला (ग्रीकमाइथोलाजी) पर आधारित था, पाठ्यक्रम में कम और जितनी आवश्यकता थी उतना ही रखा। और उसकी जगह भूगोल, इतिहास, गणित और अंग्रेज़ी की सीमित शिक्षा को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया। सिर्फ तफ़सीर (टीका) की किताबों पर बस करने के बजाय कुरआ़न के मूल लेख को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया।

एक क्रान्तिकारी क़दम यह उठाया गया कि अरबी को समभाषण व लेखन की क्षमता पैदा करने वाली और अपनी ओर आकृष्ट करने वाली एक सजीव भाषा की तरह पढ़ाने की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था ने इस संस्था के ऐसे विद्वान सपूतों को तैयार किया जो अरबी भाषा के उच्च कोटि के ज्ञाता कहलाये, और उन्होंने अरब जगत में अपना लोहा मनवा लिया। इतना ही नहीं यहां से पढ़कर निकलने वालों की लेखनी ने अरब जगत को प्रभावित किया, और वहां योरोप और आधुनिकता की सत्ता के प्रभाव से पैदा होने वाले बिगाड़ का डट कर मुकाबला किया, और "अल–बासुल अरबी" आन्दोलन जिसके राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर, अनवरुस्सादात, और सीरिया की "बास पार्टी" कट्टर समर्थक रहे हैं के छक्के छुड़ा दिये। और इस सच्चाई को अरब के इस्लामी विचार रखने वाले विद्वानों व राष्ट्राध्यक्षों ने स्वीकार किया। इनके नमूने नदवतुल उलमा से अ़रबी भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं "अल–बासुल इस्लामी" तथा "अर्राइद" में प्रकाशित सैय्यद मुहम्मदुल हसनी के लेखों में देखे जा सकते हैं।

नदवतुल उल्मा आन्दोलन के लीडरों ने और यहाँ से पढ़कर निकलने वालों ने विद्वत समाज और महान विचारकों को प्रभावित करने वाला ऐसा इस्लामी साहित्यकार तैयार किया जिसकी मिसाल बहुत से ख़ालिस इस्लामी और अरब देशों में भी मुश्किल से मिलेगी। इस्लामी संस्कृति के प्रचार व प्रसार, सीरत (हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की जीवनी) और इस्लाम की शिक्षा को आधुनिक विद्वतापूर्ण साहित्यिक शैली में प्रस्तुत करने में यहाँ के सपूतों

का विशिष्ट योगदान रहा है इन में अल्लामा शिबली नोमानी और उनके शिष्य मौलाना सैय्यद सुलेमान नदवी के कारनामों की अनदेखी नहीं की जा सकती। और दारुलमुसन्मिफ़ीन, आज़मगढ़ तथा मजलिस तहकीक़ात व नशरियाते इस्लाम (अकेडेमी ऑफ़ इस्लामिक रिसर्च एण्ड पब्लिकेशन्स) नदवतुल उलमा, लखनऊ की सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता।

नदवतुल उलमा द्वारा अरबी पाठ्यक्रम के लिए तैयार की गई किताबें ख़ालिस अरब देशों के स्कूलों, कालेजों और कुछ विश्विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल है, यह न केवल नदवतुल उलमा, और देश के अरबी मदरसों के लिए, बल्कि भारत के लिए गर्व का विषय है।

नदवतुल उलमा की इन विशेषताओं और कृत्यों से स्वयं भारत का अरब देशों में अच्छा परिचय हुआ। इसके कारनामों को सराहा गया, और इसके सपूतों को सम्मान और श्रृद्धा की दृष्टि से देखा जाने लगा। नदवा के बारे में विख्यात उर्दू शायर डॉ० इक़बाल ने अब से लगभग 60 वर्ष पहले कहा था :

"मेरा एक मुद्दत से अक़ीदा है कि हिन्दुस्तान के मुसलमान को सियासी एतबार से दीगर इस्लामी मुल्कों की कोई मदद नहीं कर सकते, दिमाग़ी ऐतबार से उनकी बहुत मदद कर सकते हैं क्या अजब है कि इस्लामी हिन्द की निगाहों में नदवा अलीगढ़ से ज़ियादा कामयाब साबित हो।"

("इक़बाल नामा" पृष्ठ : 168 से उद्धरित)

त्यूनिस (अफ्रीका) के अल्लामा अब्दुल अजीज़ अपने देश के बड़े राजनीतिक नेता, अरबी के बड़े विद्वान और साहित्यकार थे। सन् 1933 ई० में वह जब भारत आये तो उन्होंने नदवतुल उलमा में अपने भाषण में कहा :

"सज्जनों! इस्लामी दुन्या में हिन्दुस्तानी मुसलमानों को विशेष स्थान प्राप्त है। यदि आप संगठित हो जायें तो तमाम इस्लामी दुन्या की भलाई और तरक़्क़ी का केन्द्र आप बन सकते हैं।"

विश्व विख्यात विद्वान अल–अज़हर यूनीवर्सिटी क़ाहिरा, मिस्र के कुलपति डॉ० अब्दुल हलीम महमूद से नदवा की स्थापना के 85 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता की। यह जश्न 31 अक्टूबर से नवम्बर 2 नवम्बर 1975 ई० तक मनाया गया। शेखुल अज़हर डॉ० महमूद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा :

"आज पूरी इस्लामी दुन्या नदवा के सराहनीय प्रयासों को महसूस करती है, और प्रचार व प्रसार के जो काम यहाँ किये जा रहे हैं, उन्हें क़दर की निगाह से देखती है। वह यहाँ के उलमा के काम व मक़ाम, को भी महसूस करती है, जो चिन्तन में लगे हैं, और ख़ुदा की राह में हर तरह की कोशिश कर रहे हैं।"

(देखें "रुदाद चमन" पृष्ठ 125 लेखक : मुहम्मदुल हसनी)

85 साला जश्न के हवाले से इस सच्चाई का बयान बेमहल न होगा कि विद्वतापूर्ण व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दुस्तान के पिछले इतिहास में किसी इजलास में विदेशों के इतने विद्वान विशेषकर इस्लामी दुन्या के इतने विशिष्ट विद्वतजनों का जमघट हमारी जानकारी में हिन्दोस्तान में नहीं हुआ। इस इजलास में अरब देशों के अलावा रूस व ईरान आदि देशों के 71 विदेशी डेलीगेट्स सम्मिलित हुए। याद रहे कि यह जश्न उस समय हुआ जब भारत में इमरजेंसी लागू थी।

नदवा को अरब देशों में जिस नज़र से देखा जाता है, और इसके कारण भारत को जो सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त है, उसे समझने के लिए वर्तमान के उच्च कोटि के अरब साहित्यकार व लेखक अल्लामा शेख़ अली तन्तावी (अपीलिंग कोर्ट दमिश्क–सीरिया के भूतपूर्व न्यायाधीश, बग़दाद यूनिवर्सिटी के प्राफेसर की यह अभिव्यक्ति काफी है। वह एक जगह लिखते हैं –

"मानवता एक माध्यम और ठोस रास्ते पर चलने वाली संस्था है। यह रास्ता न अपने लक्ष्य से हटा है और न उसने इस सीधी राह को छोड़ है। यह प्राचीन अज़हर यूनिवर्सिटी और आधुनिक युनिवर्सिटियों के बीच का एक दर्मियानी और ठोस रास्ता है जिसमें न प्राचीन मदरसों का ठहराव न आधुनिक युनिवर्सिटियों की ज़िदपसन्दी, उसका रास्ता इन दोनों के दर्मियान है, और वह इससे सफल रही है।

मैं एक बार टेलीविज़न पर इन्टरव्यू दे रहा था, मुझसे टेलीविज़न के प्रतिनिधत्व ने प्रश्न किया कि वह कौन सा स्थान है जहाँ आप अपने जीवन के शेष दिन व्यतीत करना चाहेंगे ? मैंने कहा कि मैं अगर अपने शहर (दमिश्क) को वापस न हो सका, और यहाँ मक्का में भी रहना नसीब न हुआ तो मैं लखनऊ को प्राथमिकता दूँगा, और यह कि मैं नदवातुल उलमा में रहूं जो एक खुले वातावरण में भी है और वहाँ उलमा की सोहबत (सत्संग) भी मुयस्सर है।"

(देखें अली तन्तावी की पुस्तक "फ़ी मसीरतुल हयात" पृष्ठ 13)

भारत के गर्व के लिए यह बात ही काफ़ी है कि यहां की एक संस्था नदवा की लिखी गई अनेक पुस्तकें जो अरबी भाषा में हैं विकसित अरब देशों के स्कूलों, कालेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है और वहाँ के पाठ्यक्रम में शामिल है। और यहाँ के कुछ विद्वान अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं के अध्यक्ष और सचिव हैं।

"मानवता का सन्देश" अभियान

"मानवता का सन्देश" अभियान जो समय की एक बड़ी ज़रूरत है और जो देश को (जो अपनी महान सभ्यता और संस्कृति के लिए और मानवीय व नैतिक मूल्यों के लिए विश्व–विख्यात रहा है), "आत्म हत्या" और दैवी प्रकोपों व सज़ाओं के पात्र बनने से बचाने का एक कामयाब और प्रभावी साधन भी है, नदवा से शुरु हुआ। साम्प्रदायिक नफ़रत दौलत की हद से बढ़ा हुआ लालच जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की बेकीमती, धार्मिक व नैतिक शिक्षा की कमी, और प्रेस व संचार माध्यमों के भड़कावे ने इस देश को एक युद्ध क्षेत्र में बदल कर रख दिया था। कमज़ोरों, यहाँ तक कि औरतों और बच्चों पर बेरहमाना तरीक़े पर हाथ उठाया जा सकता था। ऐसे में इस बात की बड़ी ज़रूरत थी कि मानवता के प्रति आदर, जान व माल की क़ीमत को समझने, प्रेम व भाई–चारे की भावना जागृत करने का प्रयास किया जाये जिससे देश में प्रेम व विश्वास का वातावरण पैदा हो और हम प्रभावी ढंग से दुन्या को अमन व शान्ति का पैग़ाम दे सकें।

एक लम्बे समय से और आज़ादी के बाद से इस दिशा में हर तरफ़ ख़ामोशी थी, और इसके लिए कोई अभियान नहीं छेड़ा गया था।

ईश्वर की कृपा से इस धार्मिक शिक्षा का चमत्कार ही था कि यह अभियान एक ऐसी संस्था से प्रारम्भ हुआ जिसका काम पढ़ना–पढ़ाना और शिक्षा–दीक्षा के दायित्व का निर्वाह करना था।

सन् 1974 ई० में नदवा के लोगों ने "मानवता का संदेश" अभियान का शुभारम्भ किया। 1974 से पहले ही रांची जमशेदपुर, और राउरकेला में भयानक साम्प्रदायिक दंगा हुआ था, रिश्वत का बाज़ार गरम था, दैनिक जीवन भी असुरक्षित होता चला जा रहा था। ऐसे में नदवा के लोगों ने "पयामे इन्सानियत" के नाम से यह काम शुरु किया देश के दौरे किये और भारत के लगभग सभी बड़े शहरों में जलसों में बहुसंख्यक साम्प्रदाय के बुद्धिजीवी बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। और लोग इस अभियान के कार्यक्रमों से प्रभावित हुए और इसके अच्छे परिणाम सामने आये अब भी यह अभियान जारी है और इसका साहित्य उर्दू, हिन्दी, अंग्रेज़ी तथा कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित हो चुका है।

□□□

पृष्ठ 20 का शेष .....

इस्लामी समानता और बन्धुत्व

फ़रमाया कि छोटों पर शफ़क़त की जाय, और बड़े का सम्मान किया जाय सलाम को आम किया जाए और आप (सल्ल०) ने सलाम को आपसी महब्बत को बढ़ाने का ज़रिया बताया।

सलाम करना वास्तव में एक–दूसरे को दुआ देना है और यह इस्लामी शिक्षा का एक नमूना है।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) आपस में बराबरी का हुक्म फ़रमाते थे, स्वयं जब किसी सभा या जलसा में जाते तो जलसा के अन्त में जहाँ जगह होती बैठ जाते आप का हुक्म था कि लोग आप के लिए खड़े न हुआ करें। बुख़ारी शरीफ़ में है कि आप (सल्ल०) ने फ़रमाया कि "तुम इस प्रकार मत खड़े हुआ करो जिस प्रकार अजमी (ग़ैर अरबी) खड़े होते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं।

□□□

जो जहन्नम की आग से बचा दिया जाए और जन्नत में दाख़िल किया जाए वही कामयाब (सफल) है।

(पवित्र क़ुर्आन)

पृष्ठ 21 का शेष .....

मुजाहिद का असल मैदान सुन्नत की पैरवी

निकटता है। उनका उदेश्य यह है कि आदमी के अन्दर ऐसी तलब और कार्य कुशलता पैदा हो जाए जिसके बाद उसके लिए हुज़ूर (सल्ल०) के अमल से अधिक प्रिय और कोई अमल न हो।

हुज़ूर (सल्ल०) के जीवन चरित्र का सबसे बड़ा पैग़ाम और उसका सबसे महत्वपूर्ण चमत्कार यह है कि उसने क़ियामत तक के लिए तमाम इंसानों के सामने एक ऐसा परिपूर्ण और मुकम्मल ज़िन्दगी का नमूना पेश कर दिया जो हर युग में हर इंसानी सम्प्रदाय के लिए, हर दशा में अमल करने योग्य और सरल है। कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि इसमें उसकी समस्या का हल या उसके प्रश्न का उत्तर नहीं है। ब्रह्माण्ड (काएनात) की बड़ी से बड़ी सत्यता और मेराज जैसे चमत्कार और विशेषता के साथ आम इंसानी ज़रुरतों, घरेलू मशगूलियतों बल्कि इबादत तक के जो आप (सल्ल०) के जीवन चरित्र (सीरत) के सिद्धांत और नियम में मिलते हैं, उससे साफ़ पता चलता है कि नबूवत के प्रकाशवान सूर्य ने इंसानी ज़िन्दगी के किसी एक पहलू को भी अन्धकार में नहीं छोड़ा। पूरी इंसानी आबादी न मदरसे में दाख़िल हो सकती है न संसार छोड़ सकती है। हुज़ूर (सल्ल०) के जीवन चरित्र ने इसके लिए रास्ता बताया है वह उसके घर, समाज, महल्ला और शहर और मुल्क से होकर गुज़रता है। वह इसी संसार में रहकर अपने कर्तव्यों और दूसरों के अधिकारों को पूरा कर सकता है। यही उसका मदरसा है और यही उसका प्रशिक्षण स्थल है अलबत्ता इसके लिए सच्ची तलब और लगन शर्त है।

□□□

संसार का पालनहार

– डॉ० अब्दुल्लाह अब्बास नदवी

क़ुर्आने करीम की पहली सूरः की पहली आयत या यूं कहिये हम मुसलमानों की आसमानी किताब का पहला बोल वहय इलाही (ईशवाणी) की पहली आवाज़ **"अलहम्दु लिल्लाहे रब्बिल आलमीन"** अर्थात सारी ख़ूबियां हर प्रकार की बड़ाईयां उस अल्लाह के लिए हैं जो पूरी सृष्टि (क़ाइनात) का पालने वाला है। आसमानों में उड़ने वाले पंक्षी, नदियों में पैदा होने वाले जानदार और मछलियां, धर्ती पर चलने वाले चौपाए और मनुष्य, ज़मीन के भीतर पलने वाले कीड़े, देव जैसे भारी–भरकम गेंडे, हाथी और ऊँट और शक्तिशाली चीरने–फाड़ने वाले शेर, चीते, भेड़िये सब का पालन–पोषण वही रब कर रहा है जिसको आप चाहे परवरदिग़ार के नाम से पुकारें या संसार का पालनहार कह कर पुकारें। लेकिन पालन–पोषण किसे कहते है ? पालने का अर्थ क्या है? अ़रबी के शब्द "रबूबयत" की वास्तविकता क्या है ? केवल जिन्दा रहने के साधनों को जुटाना, हवा, पानी और भोजन देते रहना। क्या इसी का नाम पालन–पोषण है ? सच्चाई और अनुभव तो यह है कि हम एक बाग़ पालते हैं एक पेड़ पालते हैं और नीचे उतरिये तो यूं कहिये कि हम मुरग़ी पालते हैं तो हमारा उद्देश्य यह होता है कि बाग़ साया और फल दे, पेड़ वह फल दे जो उस पेड़ की विशेषता है, मुर्ग़ी अण्डा देने लगे जो आप के खाने के काम आए। क़ाज़ी बैज़ावी जिन की क़ुर्आनी व्याख्या (तफ़सीर) सबसे विश्वासपात्र व्याख्या (तफ़सीर) समझी जाती है, लिखते हैं।

अनुवाद– "किसी चीज़ का धीरे–धीरे कमाल तक पहुंचाना रबूबियत (पालन क्रिया) है और इंसान को धीरे–धीरे उच्चतम श्रेणी तक पहुंचाने के लिए केवल हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता नहीं बल्कि उसकी बुद्धि व स्वाभाविक पालन–पोषण के लिए विश्व की हर चीज़ चाहिये। इसीलिए विश्व में ईश्वर की हर पैदा की हुई वस्तु इन्सान के लिए वक़्फ़ (समर्पित) है और उसकी सेवा के लिए तत्पर है। यही अर्थ है इस प्रसिद्ध कथन का जिसमें फ़रमाया गया–

अनुवाद– "दुन्या तुम्हारे लिए पैदा की गई है और तुम परलोक (आख़िरत) के लिए।"

अतः विश्व की हर वस्तु इंसान के बस में कर दी गयी है। शेर बबर से लेकर बकरी और बिल्ली तक। पेड़ फल देते हैं, भूमि आप का फ़र्श, आसमान आपकी छतरी, तात्पर्य यह है कि जो वस्तु है जहां है वह आप के बस में कर दी गयी है अर्थात आपके काबू में तमाम ब्रह्माण्ड (क़ाइनात) दे दिया गया है।

पालन पोषण की तीन मांगें हैं जो हमारे देखने में दिन–रात आ रही हैं। एक है जीवन स्थिरता। इस जीवन के ढांचे को या शरीर की मशीन को चलाते रहना और दूसरी मांग है इस ढांचे की मशीन पर कोई आफ़त आए या किसी तरह से हमला हो तो उसकी सुरक्षा करने की शक्ति और क्षमता। तीसरी मांग है शरीर को निरंतरता के साथ बाक़ी रख़ना जिसका साधन वंश की वृद्धि है।

संसार को बनाने वाले ने इन तीनों मांगों को पूरा करने की चाह प्राणी जगत के स्वभाव और प्रकृति में दाख़िल कर दी है। कोई जानदार प्राणी इन तीनों मांगों को पूरा करने में किसी आसमानी या ज़मीनी निर्देश का मुहताज नहीं। भूख और प्यास का पाया जाना और पानी और भोजन के लिए जानदार वस्तु का बेचैन होना प्राणी की स्वाभाविक मांग है और वह उस को अपनी आवश्यकतानुसार प्राप्त कर लेता है। यदि कोई उस पर हमला करे तो अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षा पर उसकी प्रकृति आमादा करती है। इस प्रकार वंश वृद्धि के लिए हर जानदार के अन्दर एक जुनूनी तलब पैदा होती है जिसको सब जानते हैं।

अब सुवाल यह सामने आता है कि पालनहार की पालन क्रिया (रबूबियत) का अर्थ और उद्देश्य यही है तो इंसान की विशेषता क्या हुई ? हर जानवर चौपाया, पुश पक्षी सब इसी तरह पलते बढ़ते और मरते है जिस प्रकार एक पौदा ज़मीन पर उगता है, बढ़ता है, उसकी डालियां निकलती है, फूल निकलते हैं और अंत में सूख कर धरती पर गिर जाता है। इसको काट कर ईंधन बना लिया जाता है। क्या श्रेष्ठतम प्राणी (मनुष्य) भी इसी प्रकार मशीनी जीवन का वाहक है ? यह संसार का बादशाह, प्रकृति के हाथों की अद्भुत रचना, धरती पर परमेश्वर का उत्तराधिकारी (ख़लीफ़ा) क्या बैल–भैंस की तरह एक निश्चित समय तक जीवन व्यतीत करने आया है ?

इंसान की इससे अधिक भर्त्सना व

तौहीन क्या हो सकती है कि उसको चौपायों और फाड़ खाने वाले जानवरों की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाए। आप कहते हैं कि इंसान को अक़्ल की दौलत से सम्मानित किया गया है। वह अपने जैसे इन्सानों के साथ मिल कर काम करना जानता है। उसके अन्दर एक बेचैन आत्मा (रूह) है। उसका स्वभाव किसी मंज़िल पर रुकना नहीं चाहता। जो कमज़ोर है शक्तिशाली बनना चाहता है। जो शक्तिशाली है वह और ताक़तवर बनाना चाहता है। वह ज़मीन पर चलता है लेकिन आसमान में उड़ने की तमन्ना रखता है। वह एक ग्रह का तुच्छतरीन कण है मगर तमाम ग्रहों को अपने अधिकार में लेना चाहता है। उसके अन्दर खोज और तलाश का गुण है। वह आशाओं और तमन्नाओं के सहारे जीता है। उसके शरीर के साथ उसकी आत्मा भी कुछ मांग रखती है। वह स्नेह का आदी है। बिना किसी प्रेम और इच्छा के उसका जीवन ऐसा है जैसे मछली को पानी के बाहर ज़िन्दा रहने पर मजबूर किया जाए। वह अपने अनदेखे दाता व मालिक को देखना चाहता है। उसके अस्तित्व और गुणों को जानना चाहता है। वह उसकी मर्ज़ी तलाश करना चाहता है, उसी के साथ उसके अन्दर अधिपत्य (ग़लबा) प्राप्त करने और दूसरों के हक़ को मारने का भी अवगुण है बहुत ही स्वार्थी भी है, इच्छाओं पर उसको क़ाबू नहीं है और जब इंसानी कुटुम्ब का हर प्राणी इसी स्वभाव का होगा तो उनके अन्दर आपसी झगड़ा होना ज़रुरी है। इस झगड़े का परिणाम ख़ून बहाना और दंगा–फ़साद है जिसको फ़िरिश्तों ने पहले ही दिन ताड़ लिया था और वे आश्चर्य से बोल पड़े थे।

अनुवाद– "क्या तू ज़मीन में उसको उत्तराधिकारी (ख़लीफ़ा) बनाएगा जो उसमें फ़साद बरपा करेगा और ख़ून बहाएगा।"

ख़ुदा का ज्ञान जो सर्वव्यापी है उसने उत्तर दिया–

"क़ाल इन्नी अअ़लमु माला तअ़लमून"
(अलबक़रः 30)

कि हम वह जानते हैं जिस को तुम नहीं जानते। केवल विश्व रचयिता को ज्ञान था कि वह अपनी बाग़ी, सत्ता पसन्द और अभिशापी प्राणी के बीच ऐसे बन्दे पैदा करे जो इन्सान को ज़मीन पर इन्सान बनकर चलना सिखाएंगे। वह नदियों में मछली की तरह तैरना सिखाने नहीं आएंगे। वह हवाओं में पंक्षी की तरह उड़ना सिखाने नहीं आएंगे बल्कि इंसान को इंसान बनकर ज़मीन पर चलना सिखाएंगे। इन्सान श्रेष्ठतम प्राणी है। उसकी आवश्यकताएं ही दूसरे प्राणिओं से अधिक हैं। उसकी कामनाएं (आरज़ू) भी विश्व के हर चीज़ से बुलन्द है। उसकी उड़ान का मैदान धरती और आकाश के विस्तार से अधिक है। जबकि अल्लाह तआ़ला के लिए प्रिय सेवक हसन बसरी (रह०) ने कहा था–

अनुवाद– "संसार का विस्तार हमारी उड़ान के लिए पर्याप्त (काफ़ी) नहीं है।" और इसके साथ उसमें दानवता के गुण भी हैं जो उसको पशुओं से अधिक बेलगाम और अधिक जाल–बट्टे का पुत्ला बना देती है। वह आग भी है और पानी भी। उसके अन्दर समुद्र का प्रवाह भी है और अंगारों की तपन भी और जलाने की विशेषता भी। वह यदि दया और अनुकम्पा पर आ जाए तो फ़िरिश्ते भी ईर्ष्या करें और अगर शरारत पर आ जाएं तो शैतान भी शर्मा कर बैठ जाए।"

अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है :–

लक़द ख़लक़ नल इन्सानफ़ी अहसनि तक़वीम, सुम्मा रद्दनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन" **(अत्तीन : 5-4)**

अनुवाद– "हमने इंसान को बहुत सुन्दर सांचे में ढाला है फिर भी हम उसको पस्ती (गर्त) की हालत वालों से भी पस्त (नीचा) कर देते हैं।"

इन दोनों के बीच एक संतुलित इंसान, एक माध्यमिक आचरण के निर्माण के लिए ज़रुरी था कि सृष्टि का रचयिता जिसका पालन–पोषण इस संसार में कण–कण से प्रकट है। वह अपने इस शाहकार को बिना उद्देश्य न छोड़े जैसा कि एक जगह संसार के रचयिता का कथन है–

अनुवाद– "हाँ तो क्या तुमने यह ख़याल किया था कि हमने तुमको यूं ही व्यर्थ पैदा कर दिया है और यह (ख़याल क्या था) कि तुम हमारे पास नहीं लाए जाओगे।
(मोमिनून : 115)

संसार के बनाने वाले की रचना का कोई अंश उद्देश्यहीन नहीं। अतः इंसान की ऐसी तरबियत (प्रशिक्षण) जो इस पशु जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि उसके अन्दर विकास जो रूहानी (आध्यात्मिक) तलब है उसके लिए और उसके आचरण के निर्माण के लिए एक नमूना, रास्ता दिखाने वाला उसके स्वभाव की पुकार है और उसके आत्मा की प्यास है जिससे ज्ञानी और भेदों को जानने वाली ज़ात (ख़ुदा, परमेश्वर) ग़ाफ़िल नहीं रह सकती थी। इसलिए पहला इंसान जो धर्ती पर भेजा गया वह पैग़म्बर (ईशदूत) था और इंसान को तमाम प्राणियों में श्रेष्ठता और मर्तबा इसी रास्ते से प्रदान किया गया।

नुबूवत के कार्य स्थल व युग की सीमा

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तक तमाम पैग़म्बर

(अलै०) एक निश्चित युग और निश्चित क्षेत्र के लिए उतारे गए और उनकी तालीम एक निश्चित समय के लिए होती रही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के सुधार के लिए उतारे गए। कुर्आन कहता है–

अनुवाद– "फिर हमने मूसा और उनके भाई हारुन को अपने निर्देश और खुली दलील देकर फ़िरऔन और उसके दरबारियों के पास भेजा।"

(मोमिनून : 45)

हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस्राईल के लिए भेजे गए।

अनुवाद– "और (इसी तरह वह समय भी वर्णनीय है) जबकि ईसा इब्ने मरयम ने फ़रमाया कि ऐ बनी इस्राइल मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूं।"

(क़र्आन–अस्सफ़ : 16)

हज़रत नूह (अलै०) के बारे में फ़रमाया– "हमने नूह को उनकी क़ौम की तरफ भेजा" **(अनकबूत : 14)**

इसी प्रकार अन्य नबियों को एक ख़ास युग और क़ौम के लिए भेजा गया। लेकिन हमारे रसूले अकरम अन्तिम नबी (सल्ल०) के बारे में यह नहीं फ़रमाया गया कि हमने अरबों की तरफ या कुरैश की तरफ मुहम्मद (सल्ल०) को नबी बनाकर भेजा। आपके बारे में इर्शाद हुआ (कहा गया)–

अनुवाद–"और हमने तो आपको तमाम लोगों के वास्ते पैग़म्बर (संदेष्टा) बना कर भेजा है।" **(सबा : 28)**

"और हमने आपको और किसी बात के लिए नहीं भेजा मगर दुन्या जहान (पूरे संसार) के लोगों पर मेहरबानी करने के लिए।" **(अंबिया : 107)**

इन दोनों आयतों में सम्बोधन आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सीधे है। मानो आपको नुबूवत के पद पर नियुक्ति करके आप को नुबूवत का मैदान बता दिया गया कि आप केवल किसी क़बीले या नगर के नबी नहीं हैं बल्कि संसार के तमाम इंसानों के लिए भेजे गए हैं। सूरः तौबा के अन्त में आम ईमान वालों से सम्बोधन है–

अनुवाद– "(ऐ लोगो) तुम्हारे पास एक ऐसे पैग़म्बर तशरीफ़ लाए जो तुम्हारी तरह है (इंसान है)।" **(सूरः तौबा : 129)**

इस सम्बोधन में बताया गया तुम्हारी मनुष्य जाति से एक पैग़म्बर भेजा अर्थात वह कोई फ़िरिश्ता या अलौकिक प्राणी नहीं अतः वह भी मनुष्य जाति से हैं चाहे वह कभी या कहीं रहे हों या भविष्य में रहेंगे। रसूलुल्लाह उन्हीं की तरफ भेजे गए हैं। यहां पर यह बात स्पष्टीकरण चाहती है कि कोई कह सकता है कि जिस तरह पैग़म्बरों को कोई ख़ास क़ौम की तरफ़ भेजा गया था उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी उम्मीयीन (अनपढ़) के बीच भेजा गया था जैसा कि अल्लाह तआला ने फ़र्माया –

अनुवाद– "वही है जिसने (अरब) के अनपढ़ लोगों में उन्हीं में से एक पैग़म्बर भेजा।" **(जुमा : 45)**

यह सही है कि आप को उठाया गया अरब लोगों में से परन्तु भेजा गया है पूरे संसार की तरफ और यह कि सफ़र दूर का हो या नज़दीक का पहला क़दम अपने नज़दीक ही से उठेगा। अतः अरबों के सुधार से नुबूवत के कार्य का प्रारम्भ हुआ और सारे संसार पर रहमत (अनुकम्पा) बनकर छा गया। जैसे मानसून एक जगह से उठता है और दूर दराज़ के क्षेत्र तक फैल जाता है। आपकी नुबूवत (ईशदूतत्व) की शुरुआत अरब से हुई और चरम सीमा स्थान की दृष्टि से असीमित और युग भी असीमित है। तात्पर्य– यह है कि अल्लाह तआला ने अंतिम संदेष्टा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हर देश हर युग के लिए पैग़म्बर बना कर भेजा और जब तक धरती पर एक भी सांस लेने वाला रहेगा आप की नुबूवत का क्षेत्र बाक़ी रहेगा।

आप पर जो किताब उतारी गई उसको अन्तिम तथा परिपूर्ण आसमानी निर्देश, अनिवार्य संविधान बनाया गया। आप का युग मनुष्य जाति की परिपक्वता प्रौढ़ता तथा उत्थान का युग है। उसकी बुद्धि की परिपूर्णता और उसके फैलने और विकास की असीमित क्षमता की अभिव्यक्ति का युग है। आप की मज़बूत स्थान की हैसियत से संसार के हर उस भाग को अपने घेरे में लिए है जहां सांस लेता हुआ इंसान पाया जाता है या पाया जाएगा। आप की नुबूवत ने इंसान के पूर्ण होने तथा धरती के उत्तराधिकारी के योग्य होने का एलान कर दिया। आख़िरी हज के अवसर पर कुर्आने करीम का यह एलान–

अनुवाद– "आज हमने तुम्हारे लिए पूर्ण निर्देश का निर्धारित कर दिया और तुमको (आसमानी निर्देशों) के अन्तिम वरदान से परिपूर्ण (मोकम्मल) कर दिया और इस्लाम को एक दीन की हैसियत से मंजूर कर दिया।"

यह आयत केवल मुसलमानों के लिए उन्नति और परिपक्वता का चिन्ह नहीं है बल्कि तमाम इन्सानों के लिए एलान है कि ऐ ज़मीन वालो! आसमान से तुम्हारे लिए जो निर्देश आये थे यह इस तरह परिपूर्ण (मोकम्मल) हो चुके हैं। अब खुद इन्सान को अपने पैरों पर खड़ा होने की क्षमता दे दी गई है। वह रसूल के आदर्श और कुर्आन के ग्रन्थ से अपने जीवन से मनुष्य को हानि पहुंचाने वाली चीज़ को निष्कासित (ख़ारिज) कर सकता है और उन गुणों को प्राप्त कर सकता है जो उस को वास्तविक मालिक (ईश्वर) से क़रीब कर ले और उसकी मर्ज़ी पर चलने की क्षमता प्रदान करे।

अनुवादक : हबीबुल्लाह आज़मी

इस्लामी समानता और बन्धुत्व

– मौलाना सय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

इस्लामी समानता का सबसे पहला विधान और उसका अ़मली क़दम

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने अ़रफ़ात के मैदान में लाखों सहाबा के सामने यह भाषण उस समय दिया, जिस समय इन्सान में अपने स्वार्थ और इच्छापूर्ति के लिए ऐसा बिगाड़ आ चुका था कि ऐसा बिगाड़ जानवरों में भी नहीं होता, एक धनी इन्सान दूसरे गरीब इन्सान को जानवर से घटिया समझता था। नेकी व बदी का पैमाना भी ताक़त व दौलत व हुकूमत से होती थी। नेकी व बदी का पैमाना भी ताक़त व दौलत कमज़ोरी और ग़रीबी होता था।

आप (सल्ल०) ने फ़रमाया :

अनुवाद : "तुम सब आदम की संतान हो और आदम (अ़लै०) मिट्टी से बनाये गए, किसी अ़रब नस्ल के आदमी को किसी ग़ैर अ़रब नस्ल के आदमी पर श्रेष्ठता नहीं है, और न किसी ग़ैर अ़रब को किसी अ़रबी पर और न किसी गोरे को काले पर और न किसी काले को गोरे पर, श्रेष्ठता केवल नेकी और अच्छाई की बुन्याद पर होगी और एलान फ़रमाया, कि आज हज का यह काबिले एहतिराम महीना, और यह क़ाबिले एहतिराम शहर है। जिस प्रकार इनका एहतिराम और श्रद्धा है, उसी प्रकार तुम में से हर एक ही जान, और हर एक का माल और हर एक की इज़्ज़त दूसरे के लिए काबिले एहतिराम और काबिले इज़्ज़त है।"

यह एलान इन्सान के इन्सानी हुकूक और इंसानों में समानता का पहला ज़बर्दस्त एलान था, जो दुन्या ने उस समय तक इस सरलता के साथ नहीं सुना था। अब इसके चौदह सौ साल बीतने के बाद बीसवीं सदी में अक़वाम ने अपने वोट में इंसानी हुकूक़ का जो एलान किया वह अधिक से अधिक केवल एलान ही कहा जा सकता है, आप (सल्ल०) का यह एलान केवल एलान ही न था, बल्कि अपने मानने वालों के लिए हुक़्म था, जिसको आप (सल्ल०) ने स्वयं अपने आचरण द्वारा कर के दिखाया और अपने मानने वालों को उसी पर चलाया। अतः जिनको अपना साथी और क़रीबी बनाया, उनमें उच्च ख़ानदान और निम्न कोटि वाले हम वतन भी थे। उन्हीं के साथ दूसरी क़ौमों के काले–गोरे और विभिन्न नस्लों के लोग भी थे। आप (सल्ल०) ने सब के साथ समानता का व्यवहार रखा, उनमें सफ़ेद नस्ल रूमियों के एक व्यक्ति सुहैब रूमी (रज़ि०) अजमी ईरानी नस्ल के एक व्यक्ति हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ि०) काले हबशियों के एक व्यक्ति हज़रत बिलाल हबशी (रज़ि०) और अरबों के विभिन्न समुदाय के लोग थे। आप (सल्ल०) ने केवल इनको साथी ही नहीं बनाया बल्कि प्रिय साथी का स्थान दिया और आप (सल्ल०) का व्यवहार इसके बावजूद कि आप (सल्ल०) इन सबके सरदार थे, सबके साथ बराबरी का और बिल्कुल भाईयों का जैसा और अच्छे व्यवहार का था।

गुलामों के साथ समानता का व्यवहार

केवल इन्हीं के साथ नहीं बल्कि आप (सल्ल०) का व्यवहार गुलामों के साथ भी भाईयों जैसा था, आप (सल्ल०) को आप (सल्ल०) की स्त्री हज़रत ख़दीजा (रज़ि०) की ओर से ज़ैद (रज़ि०) बिन हारिसा गुलाम के रूप में मिले थे, आप (सल्ल०) ने उनको आज़ाद कर के बेटे की तरह उनके साथ अच्छा व्यवहार किया और मुतबन्ना (मुंह बोला बेटा) के रूप में अपने साथ रखा, यहाँ तक कि उनके पिता जब तलाश करते हुए यहां तक पहुँचे तो आप (सल्ल०) ने उनको इजाज़त दी कि वह अपने बेटे को ले जा सकते हैं। लेकिन उनके बेटे को गुलाम होने के बावजूद यहाँ उनको ज़ियादा आराम था इसलिए वह अपने पिता के साथ जाने को तैयार न हुए।

आप (सल्ल०) ने उनके साथ बराबरी का एक और सुबूत यह दिया कि अपने एक रिश्ते की बहुत क़रीबी लड़की से उनका निकाह कर दिया। इस प्रकार उन्हें एक प्रकार से अपने ख़ानदान का अंश बना लिया। आप (सल्ल०) की उस रिश्तेदार लड़की को जब (सल्ल०) के इन आज़ाद गुलाम ज़ैद बिन हारिसा ने तलाक दे दी, तो आप (सल्ल०) की क़रीबी रिश्ता की जो लड़की थी, उनकी जो बेइज़्ज़ती हुई, उस पर आप (सल्ल०) ने ज़ैद बिन हारिसा (रज़ि०) से कोई शिकायत न की, बल्कि आप (सल्ल०) ने अपनी उस करीबी रिश्तेदार की दिलदारी के लिए उनसे स्वयं निकाह करके इज़्ज़त बख़्शी, यह वह बराबरी और समानता का उदाहरण है जिसको इन्सानी इतिहास

पेश नहीं कर सकता, फिर आप (सल्ल०) ने उसी राह पर अपने साथियों और अनुयाइयों को भी चलाया।

इस प्रकार सहाबा (सहचरों) की जीवनी में भी इससे मिलती–जुलती बहुत सी मिसालें मिलती हैं, हज़रत उमर (रज़ि०) की मिसाल जो हाकिम (बादशाह) की हैसियत से, जब बैतुल मुक़द्दस गये तो उन्होंने अपने गुलाम, जिन को वह अपनी मदद के लिए अपने साथ ले गये थे, उनके साथ रास्ते में पूरी तरह बराबरी का सुलूक किया, और जब शहर में दाख़िल हो रहे थे, तो उनके गुलाम सवारी पर थे, और ख़ुद पैदल कि दोनों बारी–बारी सवारी पर बैठते आये थे, और बैतुल मुक़द्दस में प्रवेश के समय उस चपरासी (गुलाम) की बारी थी, आप उन्हीं को अर्थात अपने चपरासी को सवारी पर बैठाए रखा और ख़ुद पैदल चलते रहे।

सहाबा (रज़ि०) के अतिरिक्त बाद के मुस्लिम हुकुमतों में भी गुलामों के साथ इतना अच्छा सुलूक करने के बहुत ऐसे उदाहरण मिलते हैं। जिन में यह उदाहरण कि यदि कोई गुलाम बादशाह बन गया तो सब ने उसे बादशाह स्वीकार कर लिया है और उसको अपना बादशाह समझा। उसकी मिसाल शाम व मिस्र की हुकूमतों में और हिन्दोस्तान की मुस्लिम हुकूमतों में मिलती है।

न्याय और मदद

आप (सल्ल०) की समानता का व्यवहार इन्सानी हुकूक़ की शिक्षा ही का परिणाम था कि इस प्रकार का उदाहरण सामने आया कि ख़लीफ़ा द्वितीय हज़रत उमर फ़ारुक़ (रज़ि०) के ज़माने में एक शाम बादशाह जिबला बिन एहम मुसलमान होकर हज के लिए और हज के भीड़ में एक ग़रीब मुसलमान का पैर उसकी घसीटती हुई चादर पर पड़ गया, जिससे उसको धक्का लगा उसने अपनी ज़िल्लत महसूस करके उसके तमाचा मार दिया उस ग़रीब व्यक्ति ने हाकिम के यहां शिकायत की, हाकिम जो हज़रत उमर (रज़ि०) थे, उन्होंने उसका बदला लेने का हक़ दिया। उस पर बादशाह ने कहा कि यह छोटा आदमी क्या बदले में मेरे तमाचा मारेगा ? लेकिन जब उसने देखा कि हुक्म यही है तो अपनी बेइज़्ज़ती महसूस करते हुए हज छोड़ के रात ही रात चला गया और इस्लाम छोड़ दिया। हज़रत उमर (रज़ि०) ने इसके बावजूद अपना फ़ैसला नहीं बदला और कहा दोनों बराबर हैं, इसलिए बराबरी ही का मामला करना होगा और इसकी परवाह नहीं की कि वह मुसलमानों से नाराज़ होकर अपने पुराने धर्म में चला गया।

एक दूसरे उदाहरण में मिस्र के हाकिम अम्र बिन आस (रज़ि०) के बेटे ने एक मिस्री को घोड़ दौड़ के मौक़े पर तमाचा मार दिया और कहा कि लो यह एक सरदार का हाथ है। हज़रत उमर (रज़ि०) ने उस हाकिम के लड़के को हाकिम सहित अपने यहां बुलवाया, वह सफ़र करके मदीना आए, मिस्री शहरी को भी तलब किया और कहा कि तुम बदला लो और उनको तमाचा मारो। फिर फ़रमाया कि एक दूसरा तमाचा उनके बाप को भी जो हाकिम है मारो कि इसमें इन्हीं की वजह से हिम्मत पैदा हुई और फ़रमाया कि अल्लाह ने सबको आज़ाद इंसान की हैसियत से पैदा किया है। क्या तुम उसको गुलाम बना लोगे।

यह और इस प्रकार की बहुत सी मिसालें तारीख़े इस्लाम में मिलती हैं, मुसलमान जिस वक़्त नमाज़ में खड़े होते हैं तो एक दूसरे के बग़ल में विभिन्न नस्ल के, कल्चर के, और अनेक प्रकार के मर्तबे वाले लोग होते हैं और किसी को यह हक़ नहीं दिया जाता कि वह यह कहें कि फुलाँ आदमी हमारे बराबर का नहीं है, हमारे साथ नहीं खड़ा हो सकता है।

इन्सानी बराबरी की एक महत्वपूर्ण मिसाल

इस ज़माने की एक मिसाल सऊदी अरब के शाह फ़ैसल जो अपने समय के बादशाह थे, क़अबः के तवाफ़ (परिक्रमा) के लिए उनके साथ सिकोर्टी थी, उनके लिए तवाफ़ के बाद नमाज़ पढ़ने के लिए खाली स्थान पर मुसल्ला (नमाज़ पढ़ने की चटाई) बिछाया गया कि वह उस पर नमाज़ अदा करेंगे, लेकिन उनके आने के थोड़ी देर पहले एक आम हबशी मुसलमान जो उनसे पहले तवाफ़ करके आ गया था, उसने ध्यान न देते हुए आम मुसल्ला समझ कर उस पर नमाज़ के लिए खड़ा हो गया, बादशाह उसी वक़्त पहुंचे यह देखकर कि कोई दूसरा इस जगह पर खड़ा हो गया है, उससे हट कर बिना मुसल्ला के नमाज़ पढ़ी और न ख़ुद एतराज़ किया और न सिकोर्टी के लोगों को एतराज़ करने दिया।

यह उसी समानता और इस्लामी हुकूक़ के एलान का नतीजा है जिसका आदेश इसे सन्तुलित उम्मत के नबी मुहम्मद (सल्ल०) ने की और लोगों को अमल करवाया। अतः मुसलमानों की जिन सोसाइटियों में इस्लामी बातें हैं वहां एक दूसरे के साथ इसी तरह की बराबरी की जाती है। चाहे खाने का दर्स्तख़्वान हो या मस्जिद की जमाअत की नमाज़ हो, या इबादत, भाषण और शिक्षा–दीक्षा हो या क़ियादत का मौक़ा हो। तारीख़ में बहुत सी इस प्रकार की मिसालें मौजूद हैं कि बड़ी–बड़ी इल्मी शख़्सियतें, मस्जिदों के इमाम, मदरसों के असातिज़ा (अध्यापक) और शिक्षक व दानिश्वर हर समुदाय के हुए हैं, और लोगों ने उनको सर पर बिठाया है, और उनके नामों से उनके समुदाय की पहचान होती है। किसी के नाम के साथ तेली की निस्बत है, किसी

के नाम के साथ अत्तार (इत्र वाले) है, किसी के साथ दर्ज़ी है, यहाँ तक कि बावर्ची व मोची तक की निस्बत मिलती है, और अभी कुछ साल पहले क़ाअ़बः के इमाम व ख़तीब के साथ दर्जी का लफ़्ज़ था।

औरत के साथ इज़्ज़त व समानता का व्यवहार

इस प्रकार औरतों के साथ समानता के व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। जिस पर बराबर अ़मल किया गया, लेकिन शारीरिक रूप से और अ़मली कुव्वत के लिहाज़ से और प्रभावशाली के लिहाज़ से मर्द व औरत में जो प्राकृतिक अन्तर है, इस अन्तर की रिआ़यत की गई, पति–पत्नी दोनों का आपस में संबंध क़ायम करना और एक–दूसरे से मोहब्बत क़ायम न रखने की शक़्ल में अलाहदगी इख़्तियार करना इन दोनों बातों का अधिकार दोनों को लगभग बराबर दिया गया, जिसकी शक़्ल मर्द के लिए तलाक़ देने और औरत के लिए खुलअ़ (छुटकारा) हासिल करने में की, मर्द को बहुत बड़ा कहा इसलिए कि शादी करने और घर चलाने के सभी ख़र्चों का पूरा बोझ मर्द पर डाला, क्योंकि कमाने की ज़िम्मेदारी वास्तव में उस पर ही होती है, और घर के अन्दर का इन्तिज़ाम औरत को करना होता है लेकिन ज़रुरत पड़ने पर औरत को ज़िन्दगी के दूसरे काम करने की इजाज़त दी गई है। लेकिन इसी के साथ शर्म व हया का पूरा ख़याल रखना ज़रूरी कहा गया है ताकि बुरे अख़लाक़ और बुरी आदतों पर रोक लग सके, इज़्ज़त व हया की सुरक्षा के लिए इस्लाम ने जो पाबन्दियाँ औरत के लिए लगाई हैं, उनका मक़सद औरत को आज़ादी के इंसानी हक़ से महरूम करना नहीं बल्कि उसको और उसके करीब के मर्दों को बुरे कामों से बचाना है, इसीलिए मर्द व औरत के बीच सम्बन्ध के लिए निकाह का तरीक़ा ज़रूरी किया गया है और दूसरों के सामने अपने को बना संवार कर पेश करने से मना किया गया है और उसकी सुरक्षा अपने शरीर को छुपाये रखने से की है। यह सब वह हिकमत की बातें हैं जो महिलाओं को आज़ादी दिलाने के नाम पर सबको सही और मुनासिब मालूम हुई।

राजनीतिक और हुकूमत में समानता और इन्साफ़

आज़ादी और समानता और इन्सानी हुक़ूक़ की जो रिआ़एत इस्लाम से समाजी ज़िन्दगी के विभिन्न भागों में की है, उसमें हुकूमत व रियासत, तिजारत व आम माअ़मलात भी उसमें शामिल है।

हाकिम या बादशाह का चुनाव मुसलमानों के उच्च आचरण रखने वाले लोगों की ताईद (समर्थन) या ओट से करने का उसूल बनाया गया है। जिसके बाद पूरी क़ौम की ताईद (समर्थन) हासिल करनी होती है। फिर चुनाव हो जाने के बाद बिल्कुल पूर्णरुपेण अधिकार ऐसे नहीं दिये जाते कि वह जो चाहे करे बल्कि ख़ुदा के हुक़्म और रसूललुल्लाह (सल्ल०) के आदेशानुसार इन्तिज़ाम करने वाला बनना पड़ता है। जो अपने केवल पसंद के कोई काम नहीं करता है, बल्कि अ़ल्लाह की आज्ञा पालन में और अच्छे उच्च आचरण वाले मुसलमानों की सलाह से काम करता है। परन्तु काम को मतभेद से बचाने के लिए अन्तिम फैसले का अधिकार उसी को दिया गया है और उसे अमीर कहा जाता है। ऐसे हाकिम को अमीरुलमूमिनीन या ख़लीफा कहा जाता है। इस प्रकार के हाकिमों की संख्या इस्लामी इतिहास में बहुत बड़ी है। जो अपने आप को पीछे रखते और जमाअ़त व क़ौम की समस्या को आगे रखते थे, अपना हक़ कम से कम लेते और दूसरों का हक़ देने में अपनी जान ख़पा देते थे। हुज़ूर (सल्ल०) और आप (सल्ल०) के बाद चारों ख़लीफ़ा (उत्तराधिकारी) के बाद में आने वाले कुछ मुसलमान हाकिमों ने इस प्रकार के हुक्मरान की मिसालें पेश की है। जिससे यह नमूना खुल कर सामने आ रहा है कि हाकिम का काम ऐश करना या लाभ उठाना नहीं बल्कि क़ौम के एक–एक व्यक्ति की सेवा करना और उसकी समस्याओं की सुरक्षा करना है। इस्लामी राजनीतिक में सत्ता के लिए आदमी स्वयं को पेश नहीं करता, बल्कि अपने को अपनी हुकूमत के आम व्यक्ति की तरह रखने की कोशिश करता है, बल्कि अपने को अपनी हुकूमत के आम व्यक्ति की तरह रखने की कोशिश करता है। वह किसी मामले में अपना या अपने परिवार का लाभ सामने नहीं रखता, बल्कि खुद के आदेश के पालन और अपनी कौम की समस्या और उनके सुधार को सामने रखता है। इस प्रकार राजनीतिक में इस्लामी बातों को अपमाने की वजह से हुकूमत की कुर्सी लेने के लिए कोई जल्दी आगे नहीं बढ़ता।

इस्लामी इतिहास के अध्ययन से ऐसी बहुत सी हुकूमत की मिसालें मिलती हैं, इस प्रकार इस उम्मत के रहनुमाओं ने दुन्या के सामने राजनीति व हुकूमत में निःस्वार्थ सेवा की उत्तम मिसाल खोलकर रख दी है कि इस मामले में भी सब बराबर है। श्रेष्ठतम केवल नेक और ज्ञानी और क़ौम व देश की निःस्वार्थ सेवा करने वाले को दी जाए और इस से कोई अपना निजी लाभ न प्राप्त करे और केवल अपने स्वार्थ को किसी विषय में आगे न बढ़ाया जाए बल्कि अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अल्लाह की रज़ा को हासिल करने और अल्लाह की सृष्टि को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाए और यह इस्लाम की केवल उसूल व शिक्षा ही नहीं है, बल्कि इस्लामी इतिहास में इसकी बहुत

सी मिसालें भी बराबर मिलती रही हैं कि मुसलमान अपने वक़्त का बादशाह बनाया हुकूमत का उहदा पाया तो अपने उस लाभ को भी छोड़ दिया जो इस उहदा से पूर्व उसे अपने काम से हासिल हो रहे थे और उसको केवल अपनी विशेष ज़रूरतों के ही लिए माला का प्रयोग किया।

ऐसी मिसालों के साथ बहुत सी स्वार्थिक मिसालें भी हैं लेकिन शरीअ़ते इस्लाम की पाबंदी करने वालों की भी हर दौर में मिसालें मिलती हैं। जो अच्छे इन्सानों के लिए नमूने के लिए प्रयास है। जिनके हवाले से इस संतुलित उम्मत की ज़िम्मेदारी है, कि वह दुन्या को राह दिखाए और फिर इस बात को देखे कि किसने राहे हक़ को स्वीकार किया और किसने स्वीकार नहीं किया।

हाकिम के चुनाव का तरीक़ा

हुकूमत व राजनीतिक में इस्लाम का यह तरीका जो एक मिसाली है, दुन्या के सामने बराबर आता रहा कि हुकूमत के ओहदे का स्वयं इच्छुक बनना सही नहीं है और यह कि वह इस मामले के दानिश्वरों की सहमति पर दिया जाएगा, चाहे वह हाकिम की ओर से नामज़द हो और चाहे चुनींदा लोगों की ओर से चुनाव कर के हो, ख़िलाफ़ते राशिदा के दौर में ख़लीफ़ा के चुनाव के अवसर पर यह दोनों शक़्लें अमल में आयीं, हज़रत अबू बक्र (रज़ि०) को उहदा–ए–ख़िलाफ़त उस समय के अ़हम दानिश्वर मुसलमानों के चुनाव से मिला था, और हज़रत उमर (रज़ि०) को अपने से पहले के ख़लीफ़ा की नामज़दगी पर मिला था, और दोनों को ओहदा मिलने के बाद अपनी दुन्यावी लाभ को छोड़ना पड़ा था, दोनों को बिना इच्छा के उहदा मिला और दोनों इस ज़िम्मेदारी को उठाने का अपने को योग्य नहीं बताते थे, और क़ौम व मिल्लत के लिए राज़ी हुए थे, इसी प्रकार तीसरे और चौथे ख़लीफ़ा हज़रत उस्मान (रज़ि०) और हज़रत अ़ली (रज़ि०) का भी यह तरीक़ा था ख़ुलफ़ा–ए–बनू उमइया में हज़रत उमर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ ने भी इस सिलसिले की शानदार मिसाल पेश की, और बाद में भी इस सिलसिले की छोटी–बड़ी मिसालें इस्लामी इतिहास में बराबर मिलती रहीं, और यह सिलसिला बराबर क़ायम रहा। इस प्रकार इस संतुलित उम्मत ने दूसरों को इस सिलसिले की मिसालों के नमूने दिखाए और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की।

मानव समाज और उसमें समानता

इस्लाम में आदम की तमाम औलाद अर्थात समस्त मानव जाति के साथ समानता और मुसलमानों के साथ भाई–चारे का हुक़्म दिया गया है। समस्त जनजाति के साथ समानता का हुक़्म हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के उपदेशों (हदीस) में इन शब्दों के साथ मौजूद हैं कि–

"तुम सब आदम की सन्तान हो और आदम मिट्टी से पैदा किये गये हैं, किसी अरबी नस्ल को किसी गैर अरबी नस्ल पर और किसी गैर अरबी नस्ल को किसी अरबी पर, किसी काले को किसी गोरे पर और किसी गोरे को किसी काले पर कोई प्रधानता नहीं सिवाए इसके कि तकवा (अल्लाह का भय रखते हुए उसका अनुसरण करने वाला) की बुन्याद पर कोई फ़ज़ीलत (प्रधानता) हो।

दूसरों के हुक़ूक़ की अदायगी और हमदर्दी

इस्लाम में माँ–बाप के साथ अच्छा व्यवहार करने का हुक़्म कुर्आन मजीद और हदीसे नबवी (हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के उपदेश) में बार–बार दिया गया है और उसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी करने वालों को सख़्त सज़ा की तम्बीह की गई है।

इस प्रकार करीबी रिश्तेदारों, पड़ोसियों के हुक़ूक़ की अदायगी वादे को अपने वक़्त पूरा करने, रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ को दूर करने, रास्ते का हक़ अदा करने, हर जानदार पर रहम करने यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी अच्छा बरताव करने के आदेश भी दिये गये हैं।

हदीस शरीफ़ में है कि एक व्यक्ति को मरने के बाद इस लिए अ़ज़ाब का मज़ा चखना पड़ा कि उसने एक बिल्ली पर जुल्म किया था और एक बदचलन औरत इसलिए जन्नत में चली गयी कि उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया।

पति और पत्नी के आपसी सम्बन्ध और एक–दूसरे के प्रति हमदर्दी

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने हुक़्म दिया है कि पति और पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करें, और उसके हुक़ूक़ अदा करें।

पत्नी के दिल को ख़ुश करने पर भी सवाब रखा गया है, जहाँ तक कि यदि नेक नियत से अपनी पत्नी के मुंह में लुक़मा भी रखता है तो उसे आख़िरत में उसका सवाब पुनः मिलेगा।

क्या किसी धर्म में पत्नी के सम्मान और उसके मान–मर्यादा की इतनी अधिक शिक्षा मिलती है? अल्लाह तआ़ला ने इस बात का भी हुक़्म दिया है कि पत्नी के साथ नर्मी और मेहरबानी का मामला किया जाए।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया, कि औरत पसली से पैदा की गयी है और पसली सीधी नहीं की जा सकती और (उसको ठीक पति के मर्ज़ी के मुताबिक़ करने के लिए) सीधा करना बेहतर नहीं वह टूट जाएगी। इसलिए इसके साथ उसकी कमज़ोर तबीअ़त का ख़याल करके मामला करो। स्वयं हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी पत्नियों के साथ नर्मी का व्यवहार करते थे।

आपसी हमदर्दी

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने हुक़्म

शेष पृष्ठ 13 पर

मुजाहिद का अस्ल मैदान सुन्नत की पैरवी

– मुहम्मदुल हसनी

इंसान के मुजाहदात (तपस्याओं) का अस्ल मैदान मस्जिद का कोना या ख़ानक़ाह का हुजरा या तसबीह व मुसल्ला नहीं है बल्कि घर बाज़ार समाज और सोसाइटी है और इसमें (रसूलुल्लाह (सल्ल०) की सुन्नत का अनुकरण) का दामन हाथ से न छोड़ा जाए तो चलते फिरते सारे मुजाहादात (तपस्याएं) और सारी मंज़िलें तय हो सकती हैं। दुश्मन के साथ क्या बरताव और दोस्त के साथ क्या व्यवहार रखा जाए, घरवालों के साथ किस तरह पेश आए। पड़ोसी के क्या अधिकार हैं। समाज में हमारी आचरण संबंधी क्या ज़िम्मेदारियां हैं। अप्रिय बातों को कैसे बर्दाश्त करना चाहिए, सेवा तथा सहानुभूति क्या चीज़ है। यह वह पाठ है जो मदरसा, स्कूल या शिक्षा संस्थाओं में नहीं पढ़ाए जाते। यह तो घरों में सड़कों पर रास्तों में चलते–फिरते पढ़ाए जाते हैं। नींद से जागते ही आदमी का पाठ शुरु हो जाता है महापाठ तमाम व्यस्ताओं के साथ स्वतः चलता रहता है। इसमें किसी नये कार्य को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती बल्कि कार्य की नीयत ठीक रखने की ज़रूरत होती है।

इस्लाम की शिक्षा यह है कि पहले गुनाहों से, हराम से और जिन चीज़ों में सन्देह हो उन से बचो, फिर अपने को नेक कर्मों से सुसज्जित करो। आदमी खाना खाता ही था मगर अब यह सोच कर खाएगा कि यह हराम या संदेहजनक तो नहीं। किसी का हक़मार कर या अत्याचार से तो नहीं प्राप्त किया गया है। इस खाने को दो आदमी खा रहे होंगे। एक इस ईमान के साथ कि यह हलाल, हमारे लिए जाइज़ है। वह खाने से पहले अल्लाह का नाम लेगा। खाने के बीच उसका दिल शुक्र से भरा होगा। खाने के बाद वह ज़बान से अल्लाह की प्रशंसा और अपनी बेचारगी और आवश्यकता को प्रकट करेगा। दूसरा आदमी इन तमाम अनुकम्पाओं से वंचित होगा या ग़ाफ़िल होगा और उसके सवाब से महरूम रहेगा या इन्कारी होगा और खाना उसके लिए अज़ाब बनेगा। इंसान के हर कार्य का यही हाल है। जीवन के हर कार्य के लिए सुन्नते रसूल का मार्गदर्शन मौजूद है।

यदि आदमी के जीवन चरित्र को सामने रख लें और उसके अनुसार कर्म करने की कोशिश करें तो फिर उसको किसी और मुजाहिदे की ज़रूरत नहीं इसलिए कि आप के मुबारक कर्म में हर बुरी इच्छा का इलाज मौजूद है। सुब्ह से शाम तक के नित्य कार्य और समाज में ज़िन्दगी गुज़ारने के नियमों में सुन्नत की पैरवी एक मुसलमान के लिए काफ़ी है और इससे वह रूहानी तरक़्क़ी की आख़िरी मंज़िल तक पहुंच सकता है। आप (सल्ल०) का हर अमल, हर व्यवहार, हर क़ौल व अमल उच्च कोटि के दृढ़ संकल्प और कमाल पर निर्भर है। उदाहरण स्वरूप आदमी मन की किसी ख़राबी या किसी बुरी आदत को दूर करने के लिए अगर सालहासाल प्रयास करे और दिल मारे तब भी उस स्तर पर नहीं पहुंच सकेगा जिस स्तर हुज़ूर सल्ललाहु अलैहि व सल्लम का अमल है।

इसका कारण यह है कि अल्लाह तआला ने उस अमल को स्वीकृति (क़बूलियत) प्रदान की है और उसके साथ नजात व मग़फ़िरत (मोक्ष) और बरकत व नूरानियत क़ियामत तक के लिए सम्बन्ध कर दी है।

हुज़ूरे अक़रम (सल्ल०) के जीवन चरित्र का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि उसका थोड़ा सा अमल बड़े से बड़े अमल पर भारी है। दूसरे यह कि हर मुसलमान के लिए इस पर अमल करना आसान है। इसके लिए न बहुत बड़ी शिक्षा की ज़रूरत है न बहुत बड़े तप की। हदीस में आया है कि जब दो चीज़ें हुज़ूर (सल्ल०) के पास आतीं तो आप हमेशा वह चीज़ पसंद फ़रमाते जो सरल हो। इस प्रकार आप का कथन है कि बेहतर काम वह है जो दर्मियानी हो और पाएदार हो अर्थात अधिकता न कमी या भावुकता अतिक्रमण और हिंसा से खाली हों।

आपके जीवन चरित्र का हर पहलू अमर चमत्कार और आप का हर अमल तमाम इंसानों के लिए पथ प्रदर्शन का प्रकाश है। लेकिन यह दो पहलू ऐसे हैं जो मुसलमानों के लिए शुभ सन्देश का दर्जा रखते हैं। दीनी शिक्षा की जितनी ख़िदमत इस समय संसार में हो रही है और मन के शुद्धिकरण की जितनी किसमें उलमा–ए–हक़ और हुक़मा–ए–इस्लाम (सत्यवादी उलमा और इस्लाम के ज्ञानियों) ने बताई है उन सबका उद्देश्य नबी के जीवन चरित्र की अधिक से अधिक

शेष पृष्ठ 13 पर

तलाक़ ज़हमत या रहमत

– लतीफ़ मुहम्मद, रिसर्च स्कालर

इस्लाम में शरीअ़त के अनुसार तलाक़ का सामान्य अर्थ है बंधन को हटा देना। इस्लाम में निकाह एक समझौता है जो पति–पत्नी को एक बंधन में बांध देता है परन्तु जब पति–पत्नी में आपसी विश्वास तथा प्रेम टूट जाता है। दोनों में मतभेद एवं नाइत्तिफ़ाक़ी (मनमुटाव) इस क़दर बढ़ जाता है कि दोनों का एक–साथ रहना असंभव हो जाए और दोनों पक्षों में आपसी महब्बत तथा विश्वास पैदा करने की तमाम कोशिशों के बावजूद भी यदि उनमें सुल्ह (समझौता) की कोई उम्मीद बाक़ी न रहे तथा ऐसी गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हो जाये कि समस्या ख़ुदकुशी तक बढ़ जाये और सुल्ह की कोई सूरत ही बाक़ी न रहे तो वे एक–दूसरे से अलग रहना पसंद करते हैं। आमतौर पर यह ग़लतफ़हमी है कि निकाह तोड़ने का हक़ केवल शौहर को ही है, जबकि इस्लामी शरीअ़त में औरत को भी उपयुक्त परिस्थितियों में अपने शौहर से आज़ाद होने का हक़ है इसे खुलअ़ कहा जाता है अतः उपयुक्त परिस्थिति में दी गई तलाक़ उनके लिए ज़हमत नहीं रहमत है।

चूंकि व्यवहारिक जीवन में यह संभव है कि कई बार पति–पत्नी में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता और वे एक आदर्श परिवार की नींव और ऐसा पारिवारिक माहौल जो शान्ति और महब्बत से भरा हो तथा बच्चों के चारित्रिक विकास में सहायक हो, नहीं बना पाते। जबकि निकाह का मुख्य उद्देश्य ही यही है। अर्थात इस्लामी दृष्टिकोण से निकाह का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है ऐसी स्थिति में निकाह के इस बोझिल एवं जर्जर रूप को जारी रखने के बजाय इसे तोड़ देना ही बेहतर है। अतः ऐसी परिस्थिति से आज़ाद होने के लिए ही इस्लाम में तलाक़ की सुहूलत प्रदान की गई है।

चूंकि निकाह (विवाह) का उद्देश्य इसके अ़तिरिक्त कुछ भी नहीं है कि पति–पत्नी एक–दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करें, एक दूसरे के चारित्रिक निर्माण में भागीदार एवं सहायक हों और आने वाली पीढ़ी (उत्पन संतान) के लिए ऐसा माहौल तैयार करें जो बच्चों के चारित्रिक, बौद्धिक, शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक हो ताकि समाज के विकास में वे (उत्पन्न संतान) अपना सक्रीय योगदान दे सकें। इसके लिए आवश्यक है कि पति–पत्नी में आपसी सूझ–बूझ महब्बत, सहयोग एवं त्याग की भावना हो। यदि पति–पत्नी में इस तरह के संबंध का अभाव है तो इस्लाम की दृष्टि से निकाह का कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में तलाक़ की आवश्यकता महसूस की गई तथा सुहूलत दी गई।

इस्लाम ने तलाक़ की सुहूलत अवश्य ही दी है लेकिन इतना आसान भी नहीं बनाया कि जब जी चाहा निकाह तोड़ दिया जाये बल्कि इसे (तलाक़ को) बहुत ही सख़्त हदों में बांधा है। इसके साथ इस बात का ख़याल भी रखा गया है कि इस सख़्ती के कारण जर्जर एवं बोझिल विवाह को घसीटने के लिए भी इंसान मजबूर न हो जाये अर्थात इस्लाम में उपयुक्त परिस्थिति में ही तलाक़ देने का हुक़्म है जैसा कि इस हदीस एवं कुरआने करीम की आयत से स्पष्ट है :–

"तलाक़ अ़ल्लाह के नज़दीक सबसे अधिक नापसन्दीदा जाइज़ चीज़ है।"

(मिश्कात शरीफ़)

"शादियाँ करो और तलाक़ न दो, क्योंकि ऐसे लोगों को अल्लाह पसन्द नहीं करता।"

(हदीस)

"और ऐ लोगो औरतों के साथ अच्छी तरह से ज़िन्दगी गुज़ारो और अगर तुम उन्हें ना पसंद करते हो तो ऐन मुमकिन है कि तुम जिस चीज़ को ना पसन्द कर रहे हो अल्लाह तआ़ला उसमें तुम्हारे लिए बहुत ही भलाई पैदा कर दे।"

(अल कुरआ़न सूरः निसा : 19)

अतः तलाक़ विशेष परिस्थिति में ही देने का हुक़्म दिया गया है इस हदीस और कुरआ़ने करीम की आ़यत से स्पष्ट होता है कि तलाक़ जैसे पद्धति को अपनाना इतना आसान नहीं है जितना वर्तमान समाज में लोगों ने अपने स्वार्थों के लिए अपना रखा है। लोग तलाक़ शब्द कहना तो जानते हैं लेकिन उनको इसकी हक़ीक़त एवं वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है वरना तलाक देना तो दूर की बात है लोग दिमाग में इसका ख़याल भी नहीं करते हैं कि तलाक़ मजबूरी एवं मुसीबत के समय एक रास्ता मात्रा है।

तलाक़ दे तो रहे हो, गुरुरों क़हर के साथ।
मेरा शबाब लौटा दो, मेरी महर के साथ।

□□□

लेखकों से

आप अपने लेख पन्ने के एक ही ओर लिखें और साफ़ साफ़ लिखें। □□□

आदर्श शासन

— डा० मु० इज्तिबा नदवी

दूसरे खलीफ़ा हज़रत उमर (रज़ि०) अपनी दिनचर्या के अनुसार बाहर से आने वाले क़बीलों, मुसाफ़िरों और परदेसियों की देखभाल के लिए रात के गश्त पर निकले हुए हैं, मदीना की गली–कूचों से गुज़रते हुए खजूरों के एक बाग़ में पहुंच जाते हैं।

मदीना शहर दोनों ओर से काली पहाड़ी की श्रृंखला से घिरा हुआ है, एक को मग़रिबी हिरा (पश्चिमी इलाक़ा) दूसरे को मशरिक़ी हिरा (पूर्वी इलाका) कहा जाता है। तीसरी ओर खजूरों के सुन्दर बाग़ दूर तक फैले हुए हैं। उत्तरी दिशा में खुला मैदान है। इसी ओर से विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले लोग मदीना में प्रवेश करते हैं रास्ते में मदीना की प्रसिद्ध घाटी अक़ीक़ है, जिस के नागरिकों की कविता और साहित्य में बड़ी रुचि है।

हज़रत फ़ारुक़ आज़म (रज़ि०) बाग़ों से निकल कर उत्तर की ओर मुड़ जाते हैं। उनके साथ हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि०) भी हैं। अचानक दोनों की नज़र व्यापारियों के एक क़ाफ़िले पर पड़ती है, जिसमें पुरुषों के साथ स्त्रियां और बच्चे भी हैं। हज़रत उमर (रज़ि०) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि०) को सम्बोधित करके फ़रमाते हैं– आओ आज रात इनकी पहरेदारी करें। इसी बीच एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। हज़रत उमर आवाज़ सुनकर उस बच्चे की ओर जाते हैं और उसकी माँ से कहते हैं – "ख़ुदा के लिए इस बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करो" माँ को बच्चे का ध्यान दिला कर अपनी जगह वापस आ गए। थोड़ी देर के बाद रोने की आवाज़ फिर सुनी। फिर गए और उसकी माँ से कहा– 'इसका ध्यान रखो, इसको सुला दो' माँ को नसीहत करके अपनी जगह पर फिर वापस आ गये।

रात के अन्तिम पहर बच्चे के रोने से फिर परेशान हो गये। बच्चे की माँ के पास आकर कहा कि तुम अच्छी माँ नहीं लगती हो, आज रात इस बच्चे को आराम नहीं मिला और यह रोता ही रहा। माँ को यह मालूम नहीं था कि यह व्यक्ति अमीरुल मोमिमीन हैं, उसने बड़े आवेश में जवाब दिया कि ख़ुदा के बन्दे तुमने तो हमें आज तंग कर डाला, तुम को इससे क्या लेना देना, मैं इस बच्चे का दूध छुड़ा रही हूं और वह छोड़ नहीं रहा है।

उन्होंने नर्मी से मालूम किया, ऐसा क्यों कर रही हो, ज़बर्दस्ती दूध क्यों छुड़ा रही हो? माँ ने जवाब दिया ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ कि उमर (रज़ि०) दूध पीते बच्चे को वज़ीफ़ा नहीं देते हैं, केवल उसी बच्चे को गुज़ारा निर्धारित करते हैं जो दूध पीना छोड़ देता है। पूछा– इसकी उम्र कितनी है ? जवाब दिया, इतने महीने की। फ़रमाया– ख़ुदा तुम्हारा भला करे जल्दी न करो।"

हज़रत उमर (रज़ि०) को इस घटना ने बड़ा प्रभावित किया। उनका एक प्रशासनिक आदेश बच्चों के लिए कष्ट का कारण जो बन गया था। फ़ज्र की नमाज़ के दौरान आँसू बहने लगे। इस कारण लोग पूरी तरह कुरआन की क़िराअत भी न सुन सके। सलाम फेरते ही फ़रमाया – बदनसीव उमर कितने मुसलमान बच्चों की हलाक़त का कारण बना। एक व्यक्ति को संबोधित करके कहा – जाओ, पुकार कर घोषणा कर दो कि ऐ लोगो अपने बच्चों का दूध छुड़ाने में जल्दी न करो। हम हर बच्चे के लिए पैदा होते ही वज़ीफ़ा निर्धारित कर देंगे। जाओ पूरे राज्य में घोषणा करा दो।

यह इस्लाम के वह ख़लीफ़ा हैं, जिन्होंने एक हाथ से किसरा और दूसरे हाथ से क़ैसर की सलतनतों को खंडित करके इस्लाम की गोद में डाल दिया, जिनके नाम से उस दौर का सारा जगत कांप जाता था। हमने देखा कि वे किस प्रकार रात को गश्त करके पहरेदारी क़ायम करते थे और एक बच्चे के रोने पर तीन बार उसकी माँ के पास जाते हैं और ख़ुशामद करते थे कि उसे ख़ामोशी से सुला दें। मानव प्रेम का यह उदाहरण अछूता ही है क्योंकि इतिहास ऐसा दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करने में असमर्थ है। आइए! उच्च आचरण, इस्लामी मानवता की इस जैसा एक और उदाहरण देखें।

हज़रत उमर (रज़ि०) हर दिन की तरह आज रात में फिर गश्त पर निकले हैं। मदीना के एक बड़े मैदान से गुज़र रहे हैं। अचानक बालों का बना हुआ एक ख़ेमा उनको आकृष्ट करता है, जिसके अन्दर से किसी औरत के कराहने की आवाज़ आ रही है। ख़ेमे के दरवाज़े पर एक आदमी कष्ट व चिन्ता की मूर्ति बना बैठा है। हज़रत उमर (रज़ि०) आगे बढ़कर उस व्यक्ति को सलाम करते हैं और मालूम करते हैं– आप कौन हो, कहाँ से आए हो ? जवाब मिलता है– बद्दू (घुमक्कड़ आदिवासी) हैं और अमीरुल मोमीनीन से सहायता मांगने आया है। पूछा– ख़ेमे के अन्दर कौन है और क्यों कराह रहा है ?

वह बदवी नहीं जानता था कि यह अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर (रज़ि०) हैं। कहा– भाई अपना काम करो, ऐसा मत पूछो? जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जाओ ख़ुदा तुम्हारा भला करे।

हज़रत उमर (रज़ि०) ने बड़े स्नेह व नर्मी से आग्रह किया : 'नहीं भाई बताओ, क्या बात है? शायद मैं कुछ काम आ सकूं।' उस बद्दू ने बताया– "ख़ेमे में उसकी पत्नी है जो प्रसव के कष्ट में है और सहायता के लिए स्त्री के पास कोई नहीं है।"

हज़रत उमर (रज़ि०) यह सुनते ही बड़ी तेज़ी से अपने घर आए और अपनी पत्नी हज़रत उम्मे कुलसूम बिन्त हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू (रज़ि०) से कहा– ख़ुदा ने सवाब कमाने का एक अवसर प्रदान किया है, क्या सवाब प्राप्त करना चाहती हो?

पूछा क्या मामला है? आपने उनसे उस बदवी का हाल बयान किया और फिर फ़रमाया– "नवजात शिशु के लिए कुछ कपड़े और औरत के लिए तेल आदि ले लो और एक पतीली, घी और कुछ खाने का सामान भी। आपकी पत्नी यह सारा सामान लेकर घर से निकलीं। अमीरुल मोमिनीन की पत्नी ने सारा सामान ख़ुद उठाया और रात के अंधेरे में हज़रत उमर (रज़ि०) के पीछे–पीछे चल दीं।

पत्नी बदवी के ख़ेमे के अन्दर चली गयी और हज़रत उमर (रज़ि०) ख़ुद बाहर बैठ कर खाना पकाने लगे। बदवी बैठा हुआ हज़रत उमर (रज़ि०) को खाना बनाते हुए देखता रहा। उसे पता न था कि यह कौन हैं? थोड़ी देर के बाद आप की पत्नी ने अन्दर से पुकारा– "या अमीरुल मोमिमीन, अपने दोस्त को बेटे के जन्म की मुबारकबाद दीजिए।" बदवी यह सुनते ही सन्नाटे में आ गया और काँप कर दूर जा खड़ा हुआ। हज़रत उमर (रज़ि०) ने फ़रमाया– घबराओ नहीं, अपनी जगह पर बैठो। खाने की पतीली उठा कर अपनी पत्नी को दी और कहा– औरत को खिला–पिला दो। वह जब खा–पी चुकी तो आपने शेष खाना बदवी को दे दिया और कहा कि तुम भी खाओ और आराम करो। तुम रात भर जागते रहे और बे आराम रहे हो।

अमीरुल मोमिनीन की पत्नी ख़ेमे से निकलीं, दोनों वापस जाने को तैयार हुए, हज़रत उमर (रज़ि०) ने उसे सलाम किया और कहा– हमारे पास आना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अगले दिन जब वह व्यक्ति हज़रत उमर (रज़ि०) की सेवा में उपस्थित हुआ तो आपने उसके बच्चे और उसके लिए वज़ीफ़ा निर्धारित कर दिया।

दुन्या में शासकों और बादशाहों की समाज सेवा की अनेक घटनाएं मिल सकती हैं, मगर इस जैसी घटना शायद ही मिले। रात के अंधेरे में इतने बड़े राज्य का प्रमुख जनता की देख–भाल व सेवा के लिए अपनी नींद हराम करे और फिर अपनी पत्नी को साथ लेकर उससे दाया व नर्स का काम कराए, स्वयं उनके लिए खाना पकाए और उस समय तक आराम का सांस न ले, जब तक उस ख़ेमे में रहने वाले को आराम व सुख–चैन की नींद न सुला दे।

आइए हज़रत उमर (रज़ि०) के जीवन की एक और प्रसिद्ध घटना का विवरण देखते चलें।

अपने नियम के अनुसार रात के गश्त पर निकले और मदीना की आबादी के एक छोर पर पहुंच जाते हैं। अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है, बेटी जल्दी उठो दूध निकाल कर उसमें थोड़ा पानी मिला दो। सुब्ह होने वाली है।

बेटी की आवाज़ सुनाई देती है– "अम्मा जान! अमीरुल मोमिमीन ने दूध में पानी मिलाने से मना कर दिया है।" माँ ने डांटते हुए कहा– अरे तू पानी मिला दे, यहां कहाँ अमीरुल मोमिमीन देख रहे हैं।

बच्ची ने अपने ईमान की पूरी शक्ति के साथ जवाब दिया– अम्मा जान! यदि अमीरुल मोमिमीन नहीं देख रहे हैं, तो अमीरुल मोमिमीन का स्वामी और हमारा पालनहार वह अल्लाह तो देख रहा है।

हज़रत उमर (रज़ि०) इस वाक्य को सुनते ही आगे बढ़ते हैं और इस घर पर निशान लगा देते हैं और तेज़ क़दम बढ़ाते हुए मस्जिदे नबवी में दाख़िल हो जाते हैं। अल्लाह की बारगाह में सज्दे में गिर जाते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ईमान और ईमानदारी मुसलमानों के जीवन में मौजूद है। इतने में मुअज़्ज़िन फ़ज्र की अज़ान देता है। हज़रत उमर (रज़ि०) सज्दे से सर उठाते हैं और सुन्नत पढ़ते हैं। नमाज़ के बाद अपने बेटे हज़रत आसिम को बुलाकर मश्विरा करते हैं। रात को जिस घर पर निशान लगा आए थे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और अन्त में उस नेक व ईमानदार लड़की से अपने बेटे आसिम का पैग़ाम देते हैं। माँ की स्वीकृति मिल जाने पर उसे अपनी बहू बना कर घर ले आते हैं। ख़ुदा से डरने वाली ऐसी ईमानदार और दीनदार लड़की का इससे अच्छा और क्या इन्आम हो सकता था ? इसी लड़की ने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को जन्म दिया, जिन्होंने उमवी शासन में ख़िलाफ़त की ज़िम्मेदारी उठाई और थोड़ी सी अवधि में हज़रत उमर (रज़ि०) के समय की याद ताज़ा कर दी। बादशाह को फिर से ख़िलाफ़त में, भोग–विलास के जीवन को सदाचारी जीवन में बदल दिया। अल्लाह उनसे प्रसन्न हो और मुसलमानों को उनके पद चिन्हों पर चलने और शरीअ़त के आदेशों को अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने का सौभाग्य प्रदान करे। (आमीन)

□□□

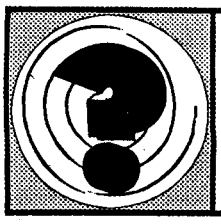

आपकी समस्याएँ और उनका हल

- मुहम्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी

प्रश्न– कुछ लोगों को कहते सुना कि हम अहले सुन्नत व जमाअ़त हैं और जो अहले सुन्नत नहीं वह अहले बिदअ़त हैं कोई सुन्नी वहाबी की बात निकालता है, हमारी शिक्षा कालेज की है, मुसलमान कहे जाने वाले घर में जन्म लिया, घर का माहौल दीनी न था अतः दीन के विषय में कुछ भी न जानता था कालेज के कुछ साथियों ने जमाअ़त से जोड़ दिया कुछ दीन सीखा तो यह बातें सामने आ रही हैं। आप मुझे समझा कर बताइये कि इस्लाम में अहले सुन्नत, अहले बिदअ़त, सुन्नी, बिदअ़ती और वहाबी आदि क्या हैं ?

उत्तर–जिस ने दिल से मानते हुए ज़बान से कहा कि अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद (उपास्य) नहीं और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) अल्लाह के रसूल हैं वह मुसलमान हो गया अब उस पर अनिवार्य है कि वह इस्लामी आदेशों पर चले अर्थात अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तरीक़े पर अपना जीवन बिताए। सहाब–ए–किराम का जीवन उसी प्रकार का था।

अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने उनकी उम्मत के विषय में जो कुछ बताया उसके प्रकाश में आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ने सूचना दी कि "मेरी उम्मत में 73 फ़िर्क़े होंगे उनमे से केवल एक फ़िर्क़ा नजात पाऐगा, सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह वह कौन सा फ़िर्क़ा होगा तो आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ने फ़रमाया वह, वह फ़िर्क़ा होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर होगा" बस सहाबा ने आपके तरीक़े को दांतों से पकड़ लिया। उनके बाद ताबिअ़ीन, तबअ़ि ताबिअ़ीन और अ़ब तक जो लोग निःसंकोच अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और आपके सहाबा के तरीक़े पर चले आ रहे हैं वह सब अहले सुन्नत व जमाअ़त अथवा सुन्नी कहलाते हैं।

यह हनफ़ी, मालिकी, शाफ़ओ, हंबली, सलफ़ी, किताब व सुन्नत के अर्थ से निकलने वाले कुछ मसाइल में मतभेद रखते हैं परन्तु किताब व सुन्नत और सहाबा के अ़मलों को आधार मानने वाले सब अहले सुन्नत हैं। लेकिन कुछ लोगों ने सुन्नत के रास्ते से हट कर अ़क़्ल को दख़्ल दिया और इस्लामी शिक्षाओं ही में अक़्ल लगा कर नई बात निकाल ली यह अहले बिदअ़त कहलाए क़दरी, जबरी, मुअ़तज़ली अहले बिदअ़त या बिदअ़ती हैं।

यहाँ यह बात याद रहे कि बहुत से नये मसाइल को फ़िक्ही उसूलों से हल किया गया है यह कार्य बिदअ़त नहीं है इसलिए कि सुन्नत (हदीस) में इसका आदेश मौजूद है जैसे रेल, मोटर और जहाज़ पर नमाज़ के मसाइल आदि।

आजकल आम तौर से उन अ़मल को बिदअ़त कहा जाता है जो किताब, सुन्नत, या इजतिहाद के उसूलों से साबित नहीं लेकिन उनकी शकलें दीनी है और दीन समझ कर किये जाते हैं जैसे प्रचलित फ़ातिहा, मीलाद आदि।

बात वाज़िह हो गयी, "हदीस" मा अना अ़लैहि व असहाबी बस समझ लो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आप के सहाबा के तरीक़े पर चलने वाला अहले सुन्नत व जमाअ़त या सुन्नी कहलाता है और अक़ाइद व अ़मल में अपनी अक़्ल से कोई नया रास्ता निकाल लेने वाला अहले बिदअ़त में से है और बिदअ़ती है।

अब रही बात वहाबी की तो सअूदी अ़रबीया में नज्द के अ़िलाक़े में एक आ़लिम मुहम्मद बिन अ़ब्दुल वहहाब गुज़रे हैं। उन्होंने सअूदी समाज में जो बिदअ़ते आ गईं थीं उनका विरोध करते हुए एक आन्दोलन चलाया, उस समय वहाँ शरीफ़ का शासन था सअूदी कुल ने मुहम्मद बिन अब्दुल वहहाब का साथ दिया। आन्दोलन सफ़ल हुआ शासन भी बदला और समाज भी, लेकिन मुहम्मद बिन अब्दुल वहहाब के विरोध में बड़ा प्रोपैगन्डा हुआ, इस प्रोपैगन्डे से हिन्दुस्तानी मुसलमान अधिक प्रभावित हुए और मुहम्मद बिन अब्दुल वहहाब को वहाबी नाम देकर बदनाम किया। फिर भारत में भी जिन उलमा ने बिदअ़त का विरोध किया उन्हें भी वहाबी नाम देकर बदनाम किया जाने लगा। कुछ मसाइल में दूसरे उलमा उनसे मतभेद अवश्य रखते हैं, परन्तु वह न पथभ्रष्ट हैं न बिदअ़ती, वह अहले सुन्नत हैं। यहां यह बात याद रखना आवश्यक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि "सारी बिदअ़ते गुमराही (पथभ्रष्टता) हैं" दूसरे स्थान पर फ़रमाया– "हर गुमराही (अर्थात गुमराह)

(शेष पृष्ठ 34 पर)

जिन्नात का परिचय

– अबू मर्ग़ूब

क़ुर्आन मजीद की सूर–ए–अहक़ाफ़ आयत नं० 29 से 32 तक देखिये।

अनुवाद– "और जब हम जिन्नात की एक जमाअ़त आपकी ओर ले आए जो क़ुर्आन सुनने लगे थे, जब वह (क़ुर्आन पाठ के स्थान पर) पहुंचे तो परस्पर कहने लगे, चुपके रहो, जब क़ुर्आन पढ़ा जा चुका तो अपनी क़ौम में डराते हुए लौटे और कहा : ऐ क़ौम के लोगो! हमने ऐसी किताब सुनी है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाज़िल हुई है जो पहली किताबों की तसदीक़ करती है। और दीने हक़्क़ (सत्य धर्म) का सीधा रास्ता दिखाती है। ऐ क़ौम के लोगो! अल्लाह की ओर बुलाने वाले की बात सुनो और उस पर ईमान लाओ। अल्लाह तआ़ला तुम्हारे गुनाह मुआ़फ़ कर देगा और तुमको अ़ज़ाब से बचा लेगा और जो अ़ल्लाह की ओर बुलाने वाले की बात न मानेगा वह अ़ल्लाह को विवश न कर सकेगा अर्थात अ़ल्लाह की पकड़ से बच न सकेगा और न अ़ल्लाह के सिवा कोई उसका सहायक (मददगार) होगा, ऐसे लोग खुली पथभ्रष्टा में है।"

इन आयतों से मालूम हुआ कि जिन्नों में भी तबलीग़ (धर्म प्रसारण कार्य) है और जिस प्रकार इन्सानों के लिए शरीअ़त (इस्लामी विधान) आवश्यक है उसी प्रकार जिन्नों में भी इस्लामी शरीअ़त आवश्यक है। यह क़ुर्आन जो हमारे पास है यह जिन्नों के लिए भी है परन्तु यह संभव है बल्कि मैं कहूंगा कि ऐसा है कि जिन आयतों से जो अर्थ हमको समझाया गया उन्हीं आयतों का अर्थ अल्लाह के रसूल सल्लाहुअलैहि व सल्लम ने जिन्नों को कोई और मफ़हूम बताया होगा, जिसे उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सीखा और अपनी क़ौम को पहुंचाया, यह सिल्सिला जिस प्रकार इन्सानों में चल रहा है क़ियामत तक जिन्नों में भी चलता रहेगा।

ईमानयात (विश्वास संबंधी) का सम्बन्ध तो किताब व सुन्नत की सूचनाओं से रहता है, अतः जिन्नो और इन्सानों के ईमान में कोई अन्तर नहीं हो सकता। अलबत्ता हमारी उनकी बनावट, आवश्यकताओं तथा रहन–सहन में बड़ा अंतर है अतः इबादत की विधियों आदि में अवश्य अंतर होगा जिसे हम नहीं जानते। हम नहीं जानते जिन्नों के यहां सच क्या है और कैसे है। नमाज़ रोज़े की विधियाँ, पाकी के अहकाम आदि के उनके लिए विशेष आदेश अवश्य होंगे जिन को उन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्ल०) से सीखे होंगे जिनसे हम लोग अवगत नहीं है।

जिन्नों को जहन्नम की सज़ा

जिस समय अवज्ञाकारी जहन्नम में दाख़िल किये जा रहे होंगे उस समय उन से कहा जाएग जिस का वर्णन क़ुर्आन में इस प्रकार है :–

"तुम से पहले (अवज्ञाकारी) जिन्न भी हो चुके हैं और इंसान भी, वह जहन्नम में हैं तुम भी उनमें दाख़िल हो जाओ।"

(अल अअ़्राफ़ : 38)

दूसरी जगह आया है :–

"निःसंदेह हमने ऐसे बहुत से जिन्न और इन्सान जहन्नम के लिए पैदा किये हैं जिन के दिल हैं परन्तु (सत्य को) नहीं समझते, आँखें हैं परन्तु सत्य नहीं पहचानते, कान हैं परन्तु (सत्य) सुन्ते नहीं, वह पशु भांति हैं बल्कि उनसे भी खराब, यही ग़ाफ़िल (अचेत) लोग हैं।"

(अल आअ़्राफ़: 179)

एक और जगह आया है :–

"मैं नाफ़रमान जिन्नों और इन्सानों से दोज़ख़ भर दूंगा" **(सजदा : 13)**

इन आयात से ज्ञात हुआ कि जिस प्रकार इंसानों का हिसाब व किताब होगा और क़ाफ़िर व फ़ासिक़ जहन्नम की सज़ा पाएंगे उसी प्रकार जिन्नों का भी हिसाब व किताब होगा और काफ़िर जिन्न जहन्नम की सज़ा पाएंगे। मगर जो जिन्न ईमान लाएंगे और इलाही आदेश स्वीकार करेंगे वह अज़ाब (प्रकोप) से बचा लिये जाएंगे।

मदरसे के एक विद्यार्थी से कालेज के एक विद्यार्थी ने कहा कि अगर मैं कहूँ कि मैं जिन्न हूँ तो तुम मान लोगे या नहीं?

मदरसे के विद्यार्थी ने कहा कि चूंकि ऐसा सम्भव है अतः न मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, अलबत्ता मुझे आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हारा इम्तिहान लूँगा वह इस प्रकार कि तुम को अपने कमरे में बन्द कर दूँगा और तुमसे कहूँगा कि अब तुम निकल जाओ, अगर तुम निकल गये तो मान लूँगा वरना तुम को झुठला दूँगा।

याद रखें कि शैतान के किसी इन्सान के रूप में आ जाने का सुबूत तो है, परन्तु यह अधिकार हर जिन के लिए आ़म नहीं है वरना इन्सानों की सारी पत्नियां जिन्नों की बीवियां बन जाएंगी। ☐☐☐

स्वतंत्रता आन्दोलन में भारतीय मुसलमानों की भूमिका

(तीसरी क़िस्त).....

– प्रो० शान्तिमय राय

इस बात का काफ़ी सबूत मिलता है कि इन क्रान्तिकारियों ने बर्लिन और ज्यूरिच की क्रान्तिकारी कमेटियों के हाथ में हाथ मिलाकर काम किया। इस सिलसिले में एक अन्य मुस्लिम क्रान्तिकारी का उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है वह थे विख्यात उदार प्रवृत्ति के क्रान्तिकारी मौलना मुहम्मद बरकतुल्लाह जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सशस्त्र विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वह भोपाल के एक ग़रीब मध्यम परिवार के थे। बाल्यावस्था में किसी प्रकार मुसीबत के दिन काटकर उन्होंने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी की और उसके बाद शिक्षण व्यवसाय को स्वीकार कर लिया और एक शिक्षाविद् के उदार सहयोग से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वह इंग्लैंड गये। वहाँ उन्होंने असाधारण रूप से कई भाषाओं में महारत हासिल की। जब वह लिवरपूल यूनीवर्सिटी में प्रोफ़ेसर थे तो उनकी मुलाक़ात 1892 में मशहूर क्रान्तिकारी श्यामाजी कृष्ण वर्मा से हुई। आगे चलकर उन्होंने बर्लिन, ज्यूरिच, काबुल, मास्को और दूसरी जगहों पर लाला हृदयलाल, श्रीमती कामा आदि के साथ कई शिष्ट मण्डलों का नेतृत्व किया। कभी वह ग़दर पार्टी के संगठनकर्ता रहे, कभी एक क्रान्तिकारी पत्रकार और कभी भाषा विज्ञान के प्रोफेसर। वह प्राविजनल आज़ाद हिन्द गवर्नमेन्ट के प्रधानमंत्री बने। तुर्की की पराजय के बाद और क्रान्तिकारियों के मिशन की असफलता के बाद वह और उनके साथी अनेक यात्नाओं को झेलते हुए हिरात होकर रूसी सीमा की ओर चले गये।

बोलविश्क सरकार उन्हें ससम्मान मास्को ले आयी। अत्यंत ग़रीबी के दिन गुज़ारते हुए 1927 में लम्बी बीमारी के बाद बरकतुल्ला का देहान्त हो गया। उनकी अन्तिम इच्छा थी कि उनके जनाज़े को उनकी जन्मभूमि में दफ़नाया जाये। उनकी यह इच्छा आज भी पूरी नहीं हुई।

1920 और उसके बाद एक अन्य मशहूर किन्तु उदार हृदय के बहादुर व्यक्ति अलीमुद्दीन साहब (मास्टर साहब) ने खाजिन दास, सुरेन वर्द्धन और कृष्णा अधिकारी के साथ मिलकर ढाका शहर के बाहर एक क्रान्तिकारी यूनिट के गठन में महत्वपूर्ण कार्य किया। यह यूनिट बाद में "बंगाल वालंटियर्स" के नाम से एक क्रान्तिकारी पार्टी बनी। वह अपना कार्य अधिक दिन तक जारी नहीं रख सके। ग़रीबी और भुखमरी ने अन्ततः उनका काम तमाम कर दिया। उनकी संगठन क्षमता और क्रान्तिकारी अनुशासन की अनुभूति असाधारण थी। उन्होंने अनेक मुस्लिम देशभक्तों को प्रभावित किया।

यहाँ उन क्रान्तिकारियों के योगदान का विस्तृत वर्णन कर पाना संभव नहीं है जिन्होंने प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान अपने भरपूर क्रान्तिकारी किन्तु असफल प्रयासों से हँसते–हँसते अपनी जानें दे दीं अथवा लम्बी–लम्बी सज़ायें काटीं। इस सम्बन्ध में प्रामाणिक विषय सामाग्री एकत्र करने का कार्य अभी भी पूरा किया जाना है। फिर भी मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूँ। जिस कार्य को जटिन मुखर्जी, डा० रास बिहारी बोस, अपने अन्य क्रान्तिकारी नेताओं के साथ जो बाहर जाकर खो गये जैसे वीरेन्द्र दास गुप्ता, हेरम्बा गुप्ता, खेर भट्टाचार्य (एम०एन० राय), राजा महेन्द्र प्रताप, अली मन्सूर, प्रो० बरकतुल्ला और अन्य लोगों ने उन क्रान्तिकारियों को आकर्षित किया जो सेना के अन्दर सिंगापुर, माँडले, रंगून, जावा, सुमात्रा में सक्रिय कार्य कर रहे थे और उनमें मुसलमान प्रमुख थे। विभिन्न बन्दरगाहों और गोदियों में मल्लाहों ने क्रान्तिकारी अख़बार "जहाने इस्लाम" बाँटने में मदद दी। इसके एक संस्करण में मिस्र के अनवर पाशा ने हिन्दुओं और मुसलमानों से अपील की थी। वह यह कि "तुम सब एक ही रैंक के सिपाही हो, तुम दो भाई जैसे हो। घृणित ब्रिटिशर्स तुम्हारे दुश्मन हैं। आज़ादी की लड़ाई (जेहाद) में भाग लेकर तुम महानता प्राप्त करो और भाइयों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ते हुए हिन्दुस्तान की आज़ादी हासिल करो।"

इस संगठित प्रयास के फलस्वरूप एक सौ तीसवीं बलूची रेजीमेन्ट ने जनवरी 1915 में रंगून, बैंकाक और सिंगापुर में बग़ावत का झण्डा बुलन्द किया। 15 फ़रवरी 1915 को पाँचवी लाइट इन्फेन्ट्री ने सिंगापुर में बग़ावत की। यह सारे फौजी (ट्रुप्स) मुसलमान थे।

ये बग़ावतें निष्फल रहीं। बाग़ियों में से दो को फाँसी दी गई और तेंतालीस को गोली से उड़ा दिया गया और शेष को आजीवन देश निकाला की सज़ा दी गई।

इस सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय घटना का उल्लेख करना आवश्यक है। पाँच

अंग्रेज़ सिपाही जो ब्रिटिश ट्रुप्स के थे बाग़ियों से मिल गये और उन्होंने सर ऊँचा करके मौत का स्वागत किया। सन् 1917 में द्वितीय माँडला साज़िश केस में तीन बाग़ी सिपाहियों को फाँसी की सज़ा दी गयी– वे थे जयपुर के मुस्तफ़ा हुसैन, लुधियाना के अमर सिंह और फ़ैज़ाबाद के अ़ली अहमद। जून 1915 में सिंगापुर में एक अ़मीन सौदागर क़ासिम इस्माईल ख़ाँ मंसूर को सेना शिविर से सम्पर्क करने के आरोप में फाँसी की सज़ा दी गयी, मार्च 1915 में बग़ावत के आरोप में तीन सैनिकों रसूल ख़ाँ, इम्तियाज़ अ़ली और रूकनुद्दीन को फाँसी की सज़ा दी गयी। उन्होंने ज़िन्दगी के लिए क्षमादान (रहम) की अपील करने से इन्कार कर दिया और एक दूसरे से लिपटकर हँसते हुए फाँसी के तख़्ते पर झूल गये। मार्च 1915 में सिंगापुर में पैंतालिस नान–कमीशन्ड आफ़ीसर्स ने बग़ावत की उनमें हवलदार सुलेमान, नायक मुंशी ख़ाँ, नायक ज़फ़र अली ख़ाँ, नायक अब्दुर्रज़्ज़ाक़ और उनके साथ दूसरे सिख साथियों को मौत की सज़ा दी गयी।

ख़िलाफ़त और हिजरत

1918 के बाद हिन्दुस्तान के मुस्लिम समुदाय ने दो आन्दोलनों में हिस्सा लिया– ख़िलाफ़त और हिजरत।

देशव्यापी ख़िलाफ़त आन्दोलन का इतिहास जिसमें मुस्लिम नेताओं ने अपने को गिरफ़्तार कराया और जेल गये सर्वविदित है। मौलाना आज़ाद ख़िलाफ़त और हिजरत आन्दोलन के टॉप लीडर्स में एक थे। किन्तु कम लोग जानते हैं कि उनका संबंध क्रान्तिकारियों से था। ख़िलाफ़त और हिजरत आन्दोलन के दौरान उन्होंने कुछ मुस्लिम नवजवानों के नाम अपनी क्रान्तिकारी पार्टी में दर्ज कराये। उनमें से कुछ को नार्थ वेस्ट फ्रन्टियर सूबे में कुछ प्रचार साहित्य भेजने तथा वहां से गोला–बारूद प्राप्त करने का काम सौंपा। इस बीच उनकी मुलाक़ात एक मेधावी मुस्लिम जवान अब्दुर्रज़्ज़ाक ख़ाँ से हुई उन्हें जुगान्तर और आत्म उन्नति ग्रुप के क्रान्तिकारी नेताओं और कार्यकर्ताओं से सम्पर्क बनाये रखने का कार्य सौंपा गया। उनका मुख्य कार्य इन पार्टियों को हथियार सप्लाई करना था। आगे चलकर अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ख़ाँ जनक्रान्ति के पथिक बन गये और कम्यूनिस्ट आन्दोलन में शामिल हो गये। और सी०पी० आई० के एक प्रमुख नेता बने। नार्थ फ्रन्टियर सूबे में अफ्रीकी जनजातियों और दूसरे मुसलमानों में बढ़ते हुए क्रान्तिकारी अभियान को संगठित करने के काम में मौलाना आज़ाद की भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं है और उनके इस काम में उनके सबसे विश्वास पात्र साथी अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ख़ाँ थे। वास्तव में यह कहना कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि मौलाना अबुल कलाम अज़ाद और प्रोफेसर बरक़तुल्ला की गणना एशिया के दो महानतम् क्रान्तिकारी विद्वानों में की जा सकती है।

सन् 1918 से 1934 के बीच क्रान्तिकारी आन्दोलन ने एक नये युग में प्रवेश किया। 1917 की रूसी क्रान्ति, 1920 में श्रमजीवियों के सबसे बड़े संगठन आल इन्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना और 1921-22 में असहयोग तथा ख़िलाफ़त आन्दोलन की नाकामी ने भारत में जन आन्दोलन की शुरूआत की। मुस्लिम समुदाय के बेहतरीन सपूत इस ओर आकर्षित हुए और इसके मुख्य आर्गनाइज़र बने। इन्हीं दिनों बंगाल में 1922 में जो लोग अपनी साहित्यिक कृर्तियों के माध्यम से कम्युनिज़्म की ओर झुके उनमें मुज़फ़्फ़र अहमद और क़ाज़ी नज़रुल इस्लाम के नाम सर्वोपरि हैं।

इसके अतिरिक्त अनुशीलन समिति (जायज़ा कमेटी) के एक लीडर सान्याल से प्रभावित होकर मुहम्मद कुतुबुद्दीन और अब्दुल हलीम सबसे पहले जन आन्दोलन की ओर आकर्षित हुए। आगे चलकर इन दोनों ने भी कम्युनिस्ट का रास्ता अपनाया। उत्तरी भारत और नार्थ वेस्ट फ्रन्टियर सूबे में बोल्शेविज़्म का नारा देने वाले मुस्लिम बुद्धिजीवी और मल्लाह थे। पेशावर बोल्शेविक साज़िश केस के सभी अभियुक्त मुस्लिम समुदाय के बेहतरनी सपूत थे। वे प्रोफेसर बरक़तुल्ला के विचारों से अधिक प्रभावित थे। एक अन्य मुस्लिम अब्दुल मुईन का सम्बन्ध आत्म उन्नति समिति के एक लीडर विपिन मंगोली की क्रान्तिकारी गतिविधियों से था। आगे चलकर उन्हें लम्बे समय तक जेल में रहना पड़ा। और वह कम्युनिस्ट पार्टी आफ़ इन्डिया में शामिल हो गये।

जुगान्तर पार्टी से जो मुस्लिम नवजवान जुड़े थे उनमें मक़सूदुद्दीन अहमद और नेट्रोकोना के नाम बंगाल के क्रान्तिकारी कार्यकर्ता अच्छी तरह जानते हैं। दूसरे क्रान्तिकारी कार्यकर्ता मौलवी ग़यासुद्दीन अहमद, नसीरूद्दीन अहमद और उनकी बेटी रज़िया ख़ातून और जमालपुर के अब्दुल क़ादिर थे। इन सबका सम्बन्ध जुगान्तर पार्टी से था। इन सब ने क्रान्तिकारी विचारों के लिए जेल की मुसीबतें झेलीं। क्रान्तिकारी पार्टी की गतिविधियों में "बग़ावत" ग्रुप से जिनका सम्बन्ध था उनमें वली नवाज़, मुहम्मद इस्माईल, किशोरगंज के चाँद मियाँ और क्रान्तिकारी कार्यकर्ताओं जैसे आफ़ताब अ़ली जिनका सम्बन्ध अनुशीलन पार्टी से था, के नाम उल्लेखनीय हैं।

जुगान्तर पार्टी के लीडर भूपति मजूमदार से हुगली के सिराजुल हक़ और हमीदुल हक़ के पुराने सम्बन्ध थे और इन दोनों को जेल की सज़ा काटनी पड़ी।

दिल्ली डकैती केस में अनुशीलन समिति के सदस्य की हैसियत से बोगरा ज़िले

के डाक्टर फ़ज़लुल क़ादिर चौधरी ने अण्डमान सेल्यूलर जेल में कई साल गुज़ारे।

मेमन सिंह के बाद चिटगांव के क्रान्तिकारियों को मुसलमानों का पर्याप्त समर्थन हासिल था। यही कारण था कि ब्रिटिश सरकार के सतत प्रयासों के बावजूद ज़ालिम अधिकारी एहसानुल्ला की हत्या के बाद साम्प्रदायिक दंगों को हवा दी जा सकी। जब हिन्दू परिवारों के नवजवानों को जेल की सलाख़ों के अन्दर कर दिया गया उस समय मुस्लिम परिवारों के दरवाज़े क्रान्तिकारियों को शरण देने के लिए खोल रखे गये थे। एक मुसलमान किसान ने अम्बिका चक्रवर्ती की जान बचाई और जलालाबाद की लड़ाई के बाद उसे शरण दी। मुस्लिम युवक इरादतुल्ला ने क्रान्तिकारी नेता अनन्त सिंह को हर प्रकार का संरक्षण दिया और उन्हें सुरक्षित कलकत्ता में क्रान्तिकारियों की खोह तक पहुंचाया। अनेक अवसरों पर सूरज सेन, कल्पना दत्ता, तारकेश्वर, दस्तीदार को चिटगाम गाँव के मुस्लिम किसानों के झोपड़े में शरण लेनी पड़ी। पटिया पुलिस स्टेशन के सामने जब सुरजा सेन की बुरी तरह पिटाई की गई और उन्हें ज़ंजीर पहनाई गई तो उसे देखकर हज़ारों साधारण मुसलमान किसानों ने आँसू बहाये और अपना आक्रोश व्यक्त किया। अत्याचार और दुख की इस घड़ी में भी सुरजा सेन मुस्लिम जन समुदाय के चेहरों को देखते रहे। आज भी चिटगाँव के ग्रामीण अंचलों में उन देशभक्त मुस्लिम किसानों की कहानी सुनी जा सकती है जिसे सुनकर चिटगाँव के प्रत्येक क्रान्तिकारी की आँख नम हो जाती है। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ खोया लेकिन आज भी उनके पास जो चीज़ बची है वह जीवन की सबसे बेहतरीन सम्पत्ति है और वह है मुस्लिम किसानों का सरल एवं अडिग प्रेम जैसा कि कल्पना दत्ता ने अपने एक साक्षात्कार में बताया।

मई 1930 में गांधी जी की गिरफ़्तारी के साथ जब देश में विरोध की लहर दौड़ गई उस समय शोलापुर के बहादुर कार्यकर्ताओं ने आन्दोलन में खुलकर हिस्सा लिया और उनमें से चार को यर्वदा जेल में फाँसी दी गई उनमें से दो अब्दुर्रशीद और कुर्बान हुसैन थे। उन्होंने कभी रहम (क्षमादान) की अपील नहीं की जो वह कर सकते थे। एक मुस्लिम क्रान्तिकारी के त्याग और बलिदान की घटना का उल्लेख करते हुए मैं इस अध्याय को समाप्त करूँगा। स्थानाभाव के कारण 1934 के बाद मुस्लिम समुदाय की भूमिका को पूर्णरुपेण प्रस्तुत करना यहां संभव नहीं है। उत्तरी भारत में भगत सिंह, बुद्धेश्वर दत्ता, चन्द्रशेखर आज़ाद ने एक क्रान्तिकारी पार्टी हिन्दुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के नाम से बनाई थी। अशफ़ाकुल्ला इस पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे। काकोरी काण्ड में उन्हें और उनके तीन अन्य साथियों को फाँसी की सज़ा सुनाई गयी थी। राजेन लहरी और रामप्रसाद बिस्मिल उनके साथियों में थे। उन्हें इस बात का इशारा दिया गया था कि यदि वह अपने साथियों के विरुद्ध तनिक भी कुछ कह दें तो उन्हें छुड़ाया जा सकता है। किन्तु अशफ़ाकुल्ला ने इस प्रस्ताव को हिकारत के साथ ठुकरा दिया। फैज़ाबाद जेल में फाँसी के तख़्ते पर झूलने से एक दिन पहले अपने असंख्य रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलते समय उन्होंने अपने सिसकियाँ ले रहे भतीजे से कहा था–

"इस सर्वोत्तम परीक्षा की घड़ी के अन्तिम संस्कार को यदि मुझे शान के साथ शन्तिपूर्वक करने की इजाज़त न दी गयी तो इससे इस अवसर की पवित्रता कलंकित हो जायेगी। मैं आज अपने आप को इस आशा के साथ सम्मान के योग्य समझता हूँ कि मातृभूमि को आज़ाद कराने की एक पवित्र और महान ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। तुमको खुश होना चाहिए और गर्व करना चाहिए कि तुम्हारे ही बीच के एक व्यक्ति को अपनी जिन्दगी न्योछावर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तुम याद रखोगे कि हिन्दू समुदाय ने कन्हाई लाल और खुदीराम जैसी महान आत्माओं को समर्पित किया है। मेरे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरा तअल्लुक़ मुस्लिम समुदाय से है। मुझे इन महान शहीदों के पदचिन्हों पर चलने का गौरव प्राप्त हुआ है।"

उस दिन फाँसी के तख़्ते पर जाने से पहले राम प्रसाद और अशफ़ाकुल्ला अगल–बगल खड़े थे और गीता और कुरआन का पाठ करते हुए फाँसी के तख़्ते पर झूल गये।

"हम फिर पैदा होंगे, हम फिर मिलेंगे और मातृभूमि के लिए एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर हम एक बार फिर लड़ेंगे।" यह राम प्रसाद के अन्तिम शब्द थे। इन तमाम क्रान्तिकारियों ने अत्याचार से पीड़ित मानवता की दबी आवाज़ को ऊपर उठाया। मातृभूमि की आज़ादी के लिए मुस्लिम शहीदों की अमर कहानी को घृणा और द्वैष से युक्त, नफ़रत और तअस्सुब से भरा कोई भी प्रचार मिटा नहीं सकता। (जारी)

अनुवादक

– मो० हसनी अंसारी

विदीशा में

सच्चा राही

प्राप्त करें

Hafiz Ayub Khan Dewli

At P.O. Laira,

Jama Masjid Sadeedia

Distt. VIDISHA (464224) M.P.

Phone : 07593-44822

क़ुर्आन में ज़िहाद की अनुमति और उसकी भूमिका

– मुहम्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी

ज़िहाद का मुख्य उद्देश्य– दुन्या में वास्तविक अम्न व अमान (शान्ति) क़ाइम करना है जिसके लिए अत्याचार का विरोध करना और कमज़ोरों की मदद करके अत्याचार से छुड़ाना है। यही कारण है कि युद्ध के मैदान में भी इस्लाम ने अपने प्रतिद्वन्दी में से केवल उन्हीं लोगों के क़त्ल की अनुमति दी है जो मुसलमानों के खिलाफ़ युद्ध की योजना बनाते और युद्ध के लिए आते है ऐसी परिस्थिति में भी इस्लाम ने स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों तथा धार्मिक गुरुओं को तकलीफ़ न देने के आदेश दिये हैं, यहाँ तक कि वह लोग भी जो किसी दबाव या मजबूरी से युद्ध क्षेत्र में लाये गये हों उन्हें भी न मारने के उपदेश्य दिये हैं जो इस प्रकार हैं : –

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) द्वारा दिये गये सेना को उपदेश

अल्लाह से डरो, अपनी इच्छाओं का दमन करो, अल्लाह का नाम लेकर जाओ और उसी की आज्ञानुसार जाओ, उसी अल्लाह से मदद माँगो और ईश्वरीय सेना बन कर युद्ध करो, किसी प्रकार का धोखा न दो, विरोधी के माल की चोरी न करो, मृतक की लाश को नष्ट न करो, बूढ़ों बच्चों और स्त्रियों पर हाथ न उठाओ, न उन पर, जो युद्ध में सम्मिलित न हों, वृक्षों को अनावश्यक न काटो, पूजा स्थलों को न गिराओ तुम्हारा सरदार जिस स्थान पर तुम्हें नियुक्त कर दे वहीं स्थिर रहो, जो शरण मांगे उसे शरण दो, आक्रमण करते हुए अल्लाह को याद रखो, बिना ज़रूरत पशुओं को न मारो न उन्हें ज़ख़्मी करो, और न आग लगाओ, फलदार वृक्षों को न काटो फसलो को हानि न पहुंचाओ न उन्हें जलाओ। **(मज़हरी)**

इससे एक बुद्धिमान व्यक्ति सोच सकता है कि जब इस्लाम में युद्ध के नियम इतने मानवतापूर्ण न्यायजनक और शान्तिदायक हैं तो उसके साधारण नियम कैसे होंगे। उदाहरण के रूप में गज़व–ए–बद्र में हज़रत मुहम्मद (सल्ल) ने आदेश दिया था कि बनी हाशिम का यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने आये तो उन्हें क़त्ल न करना क्योंकि वह अपनी खुशी से युद्ध में शामिल नहीं हुए इसी प्रकार आप (सल्ल०) के मुक़ाबले में जंग पर आने वालों में से जिनके बारे में हुजूर (सल्ल०) को उसके अच्छे आचरण या समाज सुधारक की ख़बर मिलती थी तो उसे भी मारने से रोक देते थे।

इस्लामी जिहाद दुन्या की तमाम जंगों की तरह नहीं है कि शहर के शहर बेरहमी से तबाह व बर्बाद कर दिये जाये या जला दिये जायें या किसी को कष्ट पहुंचाया जाये बल्कि उसका उद्देश्य होता है "एक अच्छे व स्वस्थ समाज की स्थापना।" जो हर प्रकार की बुराई से मुक्ति हो।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को युद्ध के आदेश मिलने से पूर्व की दशा

जैसा कि पूरी दुन्या जानती है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के अभ्युदय से पूर्व अरब देश विशेष रूप से मक्का की जो दशा थी, कि मनुष्य अपने मनुष्यत्व को ही भूल चुका था आरचरण इतना भ्रष्ट हो चुका था कि धर्मचारी और धर्म केन्द्र तक आचरण भ्रष्ट और पतित हो चुके थे। ऐसी स्थिति में अल्लाह तआ़ला ने अपने अन्तिम नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को शान्ति संदेश इस्लाम देकर भेजा तो कुछ लोगों ने स्वीकार किया और कुछ ने इंकार करके आपके अनुयायियों पर अत्याचार के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिये।

मक्का के काफ़िर (इन्कारी) हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के विरुद्ध लोगों को बहकाते और आपका और आपके परिवार का 'शअ़बे अबी तालिब' (एक घाटी) में तीन वर्ष तक बहिष्कार किया और यह बहिष्कार ऐसा निर्दयतापूर्ण बहिष्कृत था कि आप के परिवार अर्थात हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) तक मुट्ठी भर खाद्य सामग्री नहीं पहुंच पाती थी बच्चे भूखे मर रहे थे। वृक्षों के पत्ते और सूखे चमड़े भिगोकर खाने पड़ते थे मुसलमाना के शरीर को दहकते हुए गर्म लोहे से दागा जाता, गले पर तलवार चला दी जाती, तीरों की उन पर बारिश होती, भूख और प्यास से उनको कष्ट पहुंचाया जाता। उदाहरणस्वरूप देखें।

हज़रत बिलाल (रज़ि०) को काफ़िर लोहे की ज़िरह पहना कर गर्मी की धूप में डाल देते और ऊपर से पत्थर की चट्टान रख देते, ताकि एक अल्लाह की इबादत छोड़ दें और कभी लड़को को लगा देते जो मक्का की पहाड़ियों में घसीटते–फिरते लेकिन हज़रत बिलाल इस कष्ट को सहते और अहद–अहद, अल्लाह एक है एक है कहते। **(सुनने इब्ने माजा)**

इसी प्रकार हज़रत जुबैर बिन अव्वाम (रज़ि०) को उनके चाचा उनको चटाई में

लपेट कर लटका दिया करते और नीचे से उनकी नाक में धुआं दिया करते थे।

(अत्तबरी, तज़किरा हज़रत ज़ुबैर (रज़ि०)

इस प्रकार के घोर अत्याचार के अलावा किसी को पानी में डुबो देते, मारते और भूखा–प्यासा रखते रस्सियों में बांध देते यहां तक कि उसी हाल में कभी–कभी मौत भी हो जाती परन्तु काफ़िरों के उस अत्याचार के मुकाबले में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) कहते सब्र करो सब्र का बदला जन्नत है और अपने कष्ट को अल्लाह ही से कहो और नमाज़ पढ़ो। इस प्रकार कई वर्ष तक ख़ामोश रखा गया और अन्त में कहा गया कि शहर छोड़ कर यहां से चले जाओ।

इस घोर अत्याचार के बावजूद हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) या उनके अनुयाइयों ने किसी पर हाथ नहीं उठाया यहाँ तक कि जब अपनी जन्म भूमि पर रहना असंभव हो गया तो मक्का छोड़ कर मदीना चले आये जहाँ के लोगों ने अपने शहर आने की अनुमति दे दी थी परन्तु मक्का के काफ़िरों की शत्रुता की आग शान्त न हुई और मदीने वालों को धमकियाँ देनी शुरू कर दीं और मदीने पर आक्रमण करने की योजना बनाई और लगभग चार सौ किलोमीटर की यात्रा तय करके मक्का से मदीने के करीब उस जगह पहुंच गये जहाँ से मदीना अस्सी किलोमीटर रह गया था तब उन्हें इजाजत मिली कि अब वै युद्ध कर सकते हैं यह बद्र का पहला वह युद्ध था जिसमें मक्का वाले पराजित हुए एक साल बाद मक्के वालों ने मदीने पर फिर आक्रमण किया और सख़्त लड़ाई हुई अन्त में मक्का वाले यह कहते हुए वापस हुए कि हम फिर आएंगे इस पर कुर्आन ने उनका सख़्ती से मुकाबला करने और उनको मारने का हुक्म दिया जिसकी आयतें कुर्आन में मौजूद हैं जो उन्हीं काफ़िरों के लिए है जो लड़ने पर आमादा थे और जो काफ़िर लड़ने का इरादा नहीं कर रहे थे उनको केवल समझाने–बुझाने का हुक्म था जिसकी कुर्आन में बहुत सी आयतें मौजूद हैं लड़ाई पर अल्लाह की जो आयतें उतरीं और क़िताल (लड़ने) की अनुमति मिली वह उनके लगतार जुल्म के परिणाम में मिली।

(सूरे हज आयत : 39 - 41)

अनुवाद– "(अब) लड़ने की अनुमति उन लोगों को दी जाती है इस कारण कि उन पर बहुत जुल्म हुआ और अल्लाह उनकी सहायता पर शक्तिशाली है, यह वह लोग हैं जो अपने घरों से नाहक़ निकाले गये केवल इतनी बात पर कि वे यूँ कहते हैं कि हमारा पालनहार अल्लाह है।"

(सूरे हज : 39)

इस आयत में जंग करने का कारण भी बता दिया गया कि जुल्म के कारण अनुमति दी जाती है। इसलिए कि मज़लूम का हक़ है कि जुल्म से बचाव करे और मुकाबला करे यदि इस हक़ को छीन लिया जाए तो इन्सानी अत्याचार के निवारण का कोई रास्ता न रह जाएगा और आगे की आयत साफ कर रही हैं कि यह कोई नई अनुमति नहीं बल्कि पिछले इशदूतों को भी यह अनुमति दी गयी थी जैसे यजुर्वेद अध्याय और बारहवें मन्त्र, अथर्व वेद के छटवे काण्ड के पैसठवें सूक्त के दूसरे मन्त्र में इसी प्रकार 6-66-3 और 8-3-4 और 12-5-62 और 12-5-68 से 71 तक तथा सामवेद के 370 वे मन्त्र में विस्तारपूर्वक धर्मयुद्ध का वर्णन किया गया है।

इसी प्रकार हर धर्म में धर्मयुद्ध मौजूद है परन्तु लोग अज्ञानता के कारण कुर्आन की कुछ आयतों पर आपत्ति जताते हैं। वह यह नहीं समझते कि हर आयत का एक संदर्भ होता है जब कोई बात किसी संदर्भ से हटा दी जाती है तो वह बात अधूरी हो जाती है। जैसे

अनुवाद– "फिर जब हराम (प्रतिष्ठित) महीने बीत जायें तो मुशिरकों को जहाँ कहीं पाओ क़त्ल करो उन्हें पकड़ो और उनका मुहासरा (घेरा) करो और हर घात की जगह उनकी घात में बैठो फिर अगर वह तौबा कर लें और नमाज़ क़ाइम करें और ज़कात दें तो उनका मार्ग छोड़ दो, निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील, दयावान है।"

(सूर तौबः 5)

अनुवाद– "और तुम उनसे युद्ध करते रहो यहाँ तक कि फ़ित्ना बाक़ी न रहे, धर्म पूर्ण रूप से अल्लाह ही के लिए हो जाए फिर अगर वह फ़ित्ने से रुक जाएं तो उनके कार्यों को देखने वाला अल्लाह है।"

(सूर अनफ़ाल : 39)

व्याख्या

ऊपर की दोनों आयतें जैसा कि पीछे बताया जा चुका है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने मक्कावासियों की तकलीफ़ों से परेशान होकर मदीना की ओर हिजरत की फिर मक्का के लोगों से एक सन्धि की जिसे सुल्हे–हुदैबिया के नाम से जाना जाता है। उसी सन्धि की शर्त के अनुसार रसूलुल्लाहि (सल्ल०) ने सहाब–ए–किराम (रज़ि०) के साथ उस उमरा की क़ज़ा पूरी करने का इरादा किया "जिसे एक वर्ष पूर्व विधर्मी कुरैशे मक्का ने यह कह कर रोक दिया था कि आप अगले वर्ष उमराह कर सकते हैं। परन्तु हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के साथियों को यह ख़याल हुआ कि अत्याचारियों की सन्धि का कोई भरोसा नहीं यदि वह इस वर्ष भी रोकने लगें तो हमें क्या करना चाहिए इस पर यह अनुमति अल्लाह की ओर से दी गयी कि यदि वह युद्ध करने लगे तो तुम्हे भी अनुमति है कि तुम उनसे युद्ध करो फिर जहाँ पाओ उनको क़त्ल करो। यहाँ पर विशेष रूप

से उन्हीं मुश्रिकों को कहा गया है जिन्होंने अहद शिकनी की (सन्धि तोड़ी) और दुश्मनों की मदद करके मुसलमानों से ग़द्दारी की उन्हें जहाँ पाओ क़त्ल करो अर्थात अगर वह कअबः के पास (हरम में) ही क्यों न हों क़त्ल कर दो उन्हें गिरफ़्तार करो और उनका मुहासरा करो यहाँ पर टीकाकारों ने लिखा है कि वह केवल मक्का ही के उन काफ़िरों से सम्बन्धित आयतें हैं यह हुक्म पूरी दुन्या के काफ़िरों या मुश्रिकों के लिए नहीं। बल्कि उन काफ़िरों के लिए है जिनसे युद्ध हो रहा था।

दूसरी आयत में भी विशेष रूप से मक्का के काफ़िरों के विषय में कहा जा रहा है कि उस समय तक लड़ते रहो जब तक कि वह विरोध (फ़ित्ना) बन्द न कर दें फ़ित्ना कई अर्थों में प्रयोग होता है जिसमें से यह कि परेशान करना बन्द कर दें अर्थात यहाँ किसी भौतिक उद्देश्य से युद्ध करने की अनुमति नहीं दी जा रही है और न यह कहा जा रहा है कि इस्लाम स्वीकार न करें तो क़त्ल कर दो बल्कि अत्याचार को रोकने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि यदि इच्छा हो तो इस्लाम स्वीकार कर लें, ज़बर्दस्ती नहीं। फिर कहा जा रहा है कि यदि वह अत्याचार बन्द कर दें तो लड़ाई बन्द कर दो। इससे जो लोग यह अर्थ निकाल लेते हैं कि जब तक सब लोग इस्लाम न स्वीकार कर लें तो उस समय तक लड़ते रहो यह ग़लत है कुर्आन ने इससे रोका है। जैसे

अनुवाद– "धर्म में ज़बर्दस्ती नहीं वास्तविकता गुमराही से अलग हो चुकी है। **(सूर बकरः 256)**

इससे मालूम हुआ कि ज़बर्दस्ती या किसी दबाव से किसी को मुसलमान बनाना कुर्आन के विरुद्ध है और अल्लाह के आदेश का उल्लंघन करना महा पाप है। " **(इब्ने कसीर)**

दूसरे स्थान पर कहा गया

अनुवाद– और (ऐ मुहम्मद) आप कह दीजिए कि सत्य तुम्हारे पालनकर्ता की ओर से है, सो जिसका जी चाहे उसको माने और जिसका जी चाहे न माने।

(सूर कहफ़ : 4)

इस प्रकार की बीसों आयतों में ज़बर्दस्ती इस्लाम स्वीकार करवाने से रोका गया है बल्कि कुर्आन में ही कफ़िरों (इन्कारियों) के संबंध में भलाई करने का भी हुक्म दिया गया है कि–

अनुवाद– "अल्लाह तुमको उन लोगों के साथ भलाई और इंसाफ का व्यवहार करने से नहीं रोकता जिन्होंने तुमसे दीन (धर्म) के संबंध में युद्ध नहीं किये और तुमको घरों से नहीं निकाला, निःसंदेह अल्लाह इन्साफ का बर्ताव करने वालों से प्रेम करता है। **(सूर मुमतहिना : 8-9)**

इस आयत में काफ़िरों (इन्कारियों) के साथ अच्छा व्यवहार करने का हुक्म दिया गया है इसके बाद की आयत में केवल उन्हीं लोगों से मित्रता का हाथ बढ़ाने से रोका गया है जो अत्याचारी है।

एक–दूसरे स्थान पर कुर्आन में कहा गया है

अनुवाद– और यदि (लड़ाई में) कोई मुश्रिक तुमसे शरण मांगे तो उसको शरण दो यहाँ तक कि वह ईशवाणी सुन ले फिर उसको वहाँ पहुंचा दो ज़हाँ वह बिल्कुल बे–ख़ौफ़ (निर्भय) होकर रह सके यह लोग अज्ञानी है। **(सूर तौबः 6)**

इस प्रकार आप (सल्ला०) के जीवन में कोई एक घटना नहीं मिलती जिसमें आपने किसी को इस्लाम पर मजबूर किया हो।

इसी प्रकार कुछ लोगों ने इस आयत के सम्बन्ध में कहा कि काफ़िरों को क्यों जहन्नम भेजा जा रहा है और मुसलमानों को क्यों जन्नत?

अनुवाद– निःसंदेह अहले किताब और मुश्रिकों में से जिन लोगों ने इंकार किया है वे जहन्नम की आग में पड़ेंगे, उस में सदैव रहने के लिए वही पैदा किए गए जो प्राणियों में सबसे बुरे हैं।

(सूर बय्यिन : 6)

यह आयत मक्का वासियों की तकलीफ़ के बाद जब हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) मक्का छोड़ कर मदीना पहुंचे तो यह आयतें उतरी जिसमें बताया गया है कि जो लोग अपने पैदा करने वाले मालिक के कानून के बाग़ी और इन्कारी हैं वह चाहे जैसे हों अर्थात चाहे वह लोग उनमें से हों जिनके यहाँ एकश्वारवाद और नुबूव्वत की बुन्यादी बाते मौजूद थीं और वह लोग अपनी उस शिक्षा से दूर जा चुके थे या दूसरे जो खुले हुए शिर्क (अल्लाह के साथ किसी और को साझीदार बनाने) में फंसे हुए हैं उनके लिए दोज़ख़ की आग है। और वह इसी वजह से कि उन्होंने सच्चाई का इंकार किया है अतः सब का प्रतिफल एक ही होगा। दोज़ख़, जिसमें कभी छुटकारा नहीं। इसीलिए वह पूरी सृष्ट से खराब है कि एक जानवर भी अपने मालिक का कहना मानता है, जो केवल उसे खाना देता है और इस मनुष्य के मालिक ने तो इसे हाथ पैर, दिल–दिमाग से लेकर सारे शरीर की रचना की और फिर पूरी दुन्या को इसकी सेवा के लिए लगा दिया है फिर भी यह उस मालिक की बात न माने तो इससे बुरा कौन होगा इसी बात को इस आयत में दर्शाया गया है।

नोट –

शब्द काफ़िर पर बड़ी आपित्त जताई जाती है जबकि शब्द काफ़िर का अर्थ होता है छुपाने या इंकार करने वाला" अर्थात हक़, सत्य, वास्तविकता का इंकार करने वाला जिस का पारिभाषिक अर्थ

शेष पृष्ठ 6 पर

पापों से मुक्ति की एक रात्रि..

शबे बराअत

– मुहम्मद अ़ली जौहर मुज़फ़्फ़रनगरी

अल्लाह तआ़ला के, इस संसार के मनुष्यों पर अनेक इनाम और एहसानात है जो गिने नहीं जा सकते और अल्लाह तआ़ला ने अधिक कृपा इस नादान मनुष्य पर यह की कि, कुछ पल ऐसे रखे जिसमें मनुष्यों को उनके पापों से मुक्ति मिल सके उनमें उसका प्रश्न पूर्ण हो सके उनमें एक समय "शअ़बान" महीने की पन्द्रवीं रात्रि है जोकि "शबे–बाराअत" के नाम से प्रसिद्ध है इस रात्रि की विशेषता एवं महत्व का पता अन्तिम सन्देष्ठा के इस सुप्रसिद्ध कथन से लगाया जा सकता है। आप (सल्ल०) ने फ़रमाया :–

"शअ़बान का महीना, मेरा महीना है और रमज़ान का महीना अल्लाह तआ़ला का महीना है।"

यह रात्रि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह रात्रि मुसलमानों के लिए उनकी ग़लतियों, ख़ताओं एवं पापों से मुक्ति की रात्रि है मैं इसके महत्व के विषय में एक हदीस प्रस्तुत कर रहा हूँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया– रात्रि का चौथाई भाग बीत जाने के पश्चात हज़रत जिब्रील अ़लैहिस्सलाम आये और कहा ऐ मुहम्मद शीश उठाओ मैंने शीश उठाया और आकाश की ओर देखा तो जन्नत (स्वर्ग) के समस्त द्वारों को खुला हुआ पाया पहले द्वार पर एक फ़िरिश्ता खड़ा हुआ पुकार रहा था जो मानव इस रात्रि में रूकूअ करता हो उसे खुशख़बरी हो दूसरे द्वार पर फ़िरिश्ता कह रहा था जो इस रात्रि में सज्दा करता है उसे खुशख़बरी है तीसरे द्वार पर फ़िरिश्ता कह रहा था जिसने इस रात्रि में ज़िक्र किया उसे खुशख़बरी है। चौथे द्वार पर फ़िरिश्ता बोल रहा था जिसने इस रात में दुआ की उसे खुशख़बरी हो पाँचवें द्वार पर फ़िरिश्ता कह रहा था जो इस रात्रि में अल्लाह तआ़ला के डर से गिड़गिड़ाया उसे खुशख़बरी हो छठे द्वार पर फ़िरिश्ता बोल रहा था इस रात्रि में समस्त सच्चे मुसलमानों को खुशख़बरी हो सातवें द्वार पर फ़िरिश्ता इस प्रकार सम्बोधित कर रहा था अगर किसी को कोई सुवाल करना है करे उसका सुवाल पूरा किया जायेगा आठवें द्वार पर फ़िरिश्ता यह कह रहा था, है कोई जो मुक्ति व मोक्ष चाहे और उसको यह प्राप्त हो जाये प्यारे नबी ने फ़रमाया मैंने जिब्रील से पूछा ये द्वार कब तक खुले रहेंगे उन्होंने उत्तर दिया रात्रि के पहले भाग से लेकर सूर्य उदय होने तक और फिर कहा ऐ मुहम्मद! अल्लाह तआ़ला इस रात्रि में इतने बन्दो को दोज़ख़ (नरक) की अग्नि से मुक्ति देता है जितने कबील–ए–कल्ब की बकरियों के बाल हैं।

इस हदीस के प्रकाश में इस रात्रि को अल्लाह तआ़ला की कृपा का अद्भुत करिश्मा ही कहा जा सकता है वरना एक लम्हे, एक पल के लिए विचार करें कि वह ज़ात जो हर वस्तु से बेनियाज़ है। उसे किसी को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं किसी का उस पर ज़ोर नहीं चलता वह आज की इस पवित्र रात्रि में प्रेम के साथ कह रहा है कि मेरे फ़िरिश्तों कहो कि है कोई जिसे किसी वस्तु की आवश्यकता हो और मैं उसको प्रदान करूं है कोई अपने पापों एवं गुनाहों से तौबा करने वाला और मैं उसकी तौबा कुबूल करूँ।

एक हदीस शरीफ़ में आता है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया :–

अनुवाद :– शअ़बान की पन्द्रवी रात्रि में क़ियाम (इबादत) करो और दिन का रोज़ा (व्रत) रखो अल्लाह तआ़ला पन्द्रहवी रात्रि को सूर्यास्त होने के पश्चात दुन्या वाले आकाश की समस्त रहमतों को आकृषित करके यह फ़रमाते हैं, है कोई मोक्ष व मुक्ति चाहने वाला जो मुझ से क्षमा माँगे मैं उसे क्षमा कर दूँ, है कोई रिज़्क़ चाहने वाला जो मुझ से माँगे और मैं उसको प्रदान कर दूँ, है कोई जो मुसीबत में हो मैं उसकी मुसीबत दूर कर दूँ। इसी प्रकार सूर्य उदय होने तक ऐलान होता रहता है।

(इब्ने माजा)

यह पवित्र रात्रि जिसको शबे बराअत कहते हैं इसमें हमको सोच–विचार करना चाहिए कि इस रात्रि में हमारी क्या–क्या ज़िम्मेदारियां हैं ? हमारा क्या कर्तव्य है ? इस रात्रि में हमें क्या कार्य करने चाहिए? इसके लिए सर्वप्रथम हम प्यारे नबी के अ़मल (कार्य) को देखना चाहिए कि आप इस रात्रि में क्या किया करते थे इन पवित्र घड़ियों में प्यारे नबी का क्या अ़मल था वह इस हदीस से स्पष्ट हो जाता है:–

इब्ने इस्हाक़ ने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि०) से रिवायत किया है कि मुझे हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने हज़रत आइशा के घर किसी कार्य से भेजा। मैंने

अर्ज़ किया जल्दी कीजिए मैंने हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को ऐसी हालत में छोड़ा है कि आप पन्द्रह शअ़बान की रात्रि के विषय में बातें कर रहे थे हज़रत आइशा ने मुझसे फ़रमाया :– ऐ अनस, बैठ जा मैं तुझे शअ़बान की पन्द्रवी रात्रि की बात सुनाऊं एक बार यह रात्रि मेरी बारी में थी, आप (सल्ल०) तशरीफ़ ले आये, रात्रि में मैं जागी और मैंने आपको नहीं पाया तो मैंने सोचा कि शायद हुज़ूरे अक़रम (सल्ल०) अपनी किसी और पत्नी के पास चले गये हो, चुनांचे मैं घर से बाहर निकली और मस्जिद से गुज़री तो मेरा पांव आप (सल्ल०) पर पड़ गया आप (सल्ल०) फ़रमा रहे थे, ऐ समस्त विश्व के मालिक, मेरे शरीर और ख़याल ने तुझे सज्दा किया, मेरा हृदय तुझ पर ईमान लाया और यह मेरा हाथ है मैंने इस हाथ से कभी अपने शरीर को गुनाहों से गन्दा नहीं किया है ऐ रब्बे अ़ज़ीम तुझ से ही हर कार्य की उम्मीद की जाती है मेरे गुनाहों को क्षमा कर दें मेरे इस चेहरे ने तुझको सज्दा किया जिसको तूने पैदा फ़रमाया है उसे सूरत प्रदान की उसमें कान और चन्नु पैदा किये फिर आप (सल्ल०) ने शीश उठा कर कहा ऐ अल्लाह मुझे डरने वाला हृदय प्रदान कर जो शिर्क से बरी हो फिर आप (सल्ल०) सज्दे में गिर गये थोड़ी देर बाद जब आपने अपना शीश उठाया तो मैंने कहा कि मेरे माता–पिता आप पर फ़िदा हों आप यहां हैं और मैं वहा थी आप ने फ़रमाया क्या तुम नहीं जानती यह पन्द्रा शअ़बान की रात्रि है इस रात्रि में अल्लाह तआ़ला बनू कल्ब के रेवड़ों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम की अग्नि से आज़ाद करता है मगर छः आदमी इस रात्रि में भी रह जाते हैं मुश्रिक, मदिरा पान करने वाला, माता–पिता का ना फ़रमान, व्यभिचारी, रिश्ता तोड़ने वाला और चुग़लख़ोर।

एक और हदीस से मालूम होता है कि "जन्नतुल–बक़ीअ़" जोकि मुसलमानों का क़ब्रिस्तान है आप (सल्ल०) वहां पर गये और समस्त मुसलमानों के लिए दुआ़ की और फ़रमाया यह वह रात्रि है कि हर मानव के अ़मल अल्लाह तआ़ला के सामने पेश किये जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे आमाल इस अवस्था में पेश किये जाये कि मैं इबादत कर रहा हूँ।

इस रात्रि के कुछ विशेष अ़मल

इस शुभ रात्रि के कुछ विशेष अ़मल है जो हज़रत अ़ब्दुल क़ादिर जीलानी ने अपनी पुस्तक "ग़नीयुत्तालिबीन" में लिखे है उनमें से कुछ यह हैं :–

- शबे–बराअत में सौ रक़अ़त पढ़ें जिसमें एक हज़ार बार "कुल हुवल्लाह" हो अर्थात हर एक रकअ़त में दस–दस बार, इस नमाज़ को नमाज़े ख़ैर भी कहते हैं।
- नमाज़ में सज्दा लम्बा होना चाहिए और इसमें अल्लाह क़हर से पनाह माँगी जाये और रहमत व दया का प्रश्न किया जाये।
- क़ब्रिस्तान में जाकर सब मुसलमान मर्दों और औ़रतों के लिए दुआ़ की जाये।
- विशेषकर दिन का रोज़ा रखा जाये ।

अन्त में अल्लाह तआ़ला से प्रार्थना है कि वह हम सबको इस रात्रि के विशेष कार्यों की तौफ़ीक़ प्रदान करे। (आमीन)

□□□

(पृष्ठ 25 का शेष) आपकी समस्याएं और उनका हल.....

जहन्नम में जाएगी, अर्थात बिदअ़ती को जहन्नम में ले जाएगी। इसीलिए उलमा ने बिदअ़तों का कठोर विरोध किया।

प्रश्न–क्या ड्राई क्लीनिंग से कपड़े पाक हो जाते हैं ? और क्या मशीन से नापाक कपड़े धोये जाएं तो पाक हो जाएंगे ?

उत्तर–ड्राई क्लीनिंग अगर पेट्रौल से की जाती है और नजासत दूर हो जाती है तो कपड़ा पाक हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मशीन में तीन बार नये पानी से धुलाई और पानी निचोड़ने का प्रबन्ध है तो नजिस कपड़ा पाक होगा वरना नहीं।

परन्तु मेरी मालूमात में यह है कि ड्राई क्लीनिंग में ब्रुश या मशीन से कपड़े के ऊपर का मैल पिट्रौल की मदद से छुड़ा देते हैं, परन्तु बुनाई के अन्दर जो सय्याल (बहने वाली) नजासत सूख चुकी है वह उसी तरह रहती है, अतः कपड़ा पाक न होगा।

यह भी मालूम हुआ है कि जिस पिट्रौल से कपड़ा साफ़ करना आरम्भ करते हैं जब तक वह ख़त्म नहीं हो जाता उसी से कपड़े साफ़ करते रहते हैं, तो मालूम होना चाहिये कि जिस पिट्रौल में ब्रुश डिबो कर नजिस कपड़े पर फेर कर उसी पिट्रौल में फिर डालेंगे तो वह पिट्रौल खुद नजिस हो जाएगा वह जिस पाक कपड़े पर लगेगा उसको भी नापाक कर देगा। सारांश यह कि लान्ड्रीयों में आज कल जिस प्रकार ड्राई क्लीनिंग हो रही है उससे कपड़ा साफ़ तो हो जाएगा पाक न होगा।

इसी प्रकार जिस मशीन में तीन बार नये पानी से धोने और तीनों बार पानी निचोड़ने का सिस्टम न हो उस में कपड़े पाक कर के ही डालें ताकि मशीन मैल साफ़ कर दे।

□□□

बच्चों का पृष्ठ

अरबी से अनुवाद

मूसा अलैहिस्सलाम

मिस्र से मदयन चले

— अहमद अली नदवी

मिस्र से निकलने के बाद सोचा कि कहाँ जायें। मिस्र बड़ा देश है इस पूरे देश का शासन फ़िरऔन का है। उसकी पुलिस उनको तलाश करती रही है।

अल्लाह ने मदयन शहर जाने का ख़याल उनके (मूसा) दिल में डाल दिया। यह शहर फ़िरऔन के शहर की सीमा से बाहर था जहाँ फ़िरऔन के सिपाही नहीं आ सकते थे। मदयन उन्नतिशील नगर नहीं था। यह तो गांव जान पड़ता था जिसमें मिस्र की सी चहल–पहल नहीं थी और ना उस में मिस्र की तरह बाज़ार और महल थे। लेकिन वहां शान्ति थी और फ़िरऔन की पहुंच से दूर था। यह आज़ाद शहर था जिसमें फ़िरऔन के आदेश नहीं चलते थे। मूसा को कितनी खुशी हुई उस देहात में आकर जिसमें आज़ादी है और न्याय है। कितना बेकार जीवन था जो बेइज़्ज़ती व अनादार के साथ मिस्र में बीत रहा था। यहां फ़िरऔन की पुलिस और उसकी बुराईयों तथा बच्चों के क़त्ल होने का डर नहीं था। यहां के रहने वाले निडर होकर सोते और जागते थे।

मूसा (अ०) के मदयन आने का फ़ैसला कर लिया फ़िरऔन और उसकी पुलिस मूसा की तरफ़ से निराश हो गई। जब मदयन की तरफ मूसा (अ०) चले तो कहने लगे कि "मेरा परवरदिगार मुझे रास्ता दिखाएगा।"

मदयन आ गये

मूसा (अ०) मदयन आ गये। यहाँ वह किसी को जानते–पहचानते नहीं थे मदयन के वासी भी उनको जानते और पहचानते नहीं थे। सुवाल उठा रात गुज़ारने का मूसा (अ०) थोड़े परेशान हुए लेकिन अल्लाह की मदद का उनको यक़ीन था और उस पर उनको भरोसा था। मदयन पहुंचे तो एक कुँए के पास रुके वहाँ के लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने लाते थे।

उसी जगह दो लड़कियां खड़ीं दिखीं जो अपनी बकरियों को पानी पिलाने आई थीं। वह इस इन्तिज़ार में खड़ी थीं कि लोग अपने जानवरों को पानी पिलाकर जायें तो वह अपनी बकरियों को पानी पिलायें।

मूसा (अ०) की नज़र उन पर पड़ी तो दया आई और बड़े प्यार से उनसे पूछा कि तुम पानी क्यों नही पिला रही हो।

उन्होंने उत्तर दिया कि लोगों के जाने से पहले हमारा बकरियों को पानी पिलाना संभव नहीं है वह सब बलवान और शक्तिशाली हैं इसलिए कि वह मर्द हैं और हम कमज़ोर हैं इसलिए कि हम औरत हैं। लड़कियों ने सोचा कि शायद यह हम से पूछे कि तुम्हारे घर में कोई मर्द नहीं है जो यह कार्य कर सके। लड़कियों ने कहा कि हमारे पिता हैं मगर वह बहुत बूढ़े हैं। मूसा (अ०) को उन पर बड़ा तरस आया और उन्होंने उनकी बकरियों को पानी पिला दिया।

हज़रत मूसा (अ०) चिंतित हुए कि अब कहाँ जायें और किसके यहां रात गुज़ारें। वह एक पेड़ के नीचे साये में बैठ गये और कहा कि "ऐ अल्लाह मुझे तेरी ही सहायता की ज़रुरत है तू जो भी मुझे देगा उसमें भलाई होगी।"

बुलावा

यह दोनों लड़कियां सूर्यस्त से पहले घर पहुंच गईं तो बाप को हैरत हुई और उनसे जल्द आने की वजह पूछी और कहा कि बेटियो तुम्हारे वक़्त (समय) से पहले आने पर हैरत है। उन लड़कियों ने कहा कि अब्बाजान अल्लाह ने एक शरीफ़ आदमी को भेज दिया। उसी ने बकरियों को पानी पिलाया।

बुज़ुर्ग़ को आश्चर्य हुआ और वह समझ गये कि ज़रुर यह कोई परदेसी है कोई और इन लड़कियों पर तरस खाने वाला नहीं है।

बुज़ुर्ग़ ने पूछा कि तुमने उसको कहां छोड़ा है। लड़कियों ने कहा कि हम उस को वहीं छोड़कर आये हैं वह तो परदेसी है उसका कोई ठिकाना नहीं है।

बुज़ुर्ग़ बोले– बेटियो तुमने यह अच्छा नहीं किया। वह परदेसी है और उसने तुम पर एहसान किया है और उसका शहर में कोई ठिकाना भी नहीं है। रात में कौन उनको पनाह देगा और वह बेचारा कहाँ तक रात गुज़ारेगा। उसकी मेहमानदारी हम पर है उसका हम पर एहसान है। तुम में से कोई एक उस को जाकर घर ले आओ।

उनमें की एक बड़ी शर्मों हया (लज्जा) के साथ मूसा (अ०) के पास आई और कहा कि बाबाजान ने आपको बुलाया है ताकि उस एहसान का बदला चुका सकें जो आपने पानी पिलाकर हम पर किया है।

मूसा (अ०) समझ गये कि अल्लाह ने उनकी दुआ कुबूल कर ली और साधन कर दिया। इसीलिए जाने से इंकार नहीं किया। मूसा (अ०) आगे–आगे चल रहे थे मतानत से शराफ़त से ताकि उनकी नज़र उस लड़की पर न पड़े जो उनके पीछे चल रही थी।

बुजुर्ग के पास मूसा (अ०) पहुंचे तो उन्होंने हाल पूछा। मूसा (अ०) ने तफ़सील से अपनी पूरी कहानी सुना दी। बुजुर्ग ने बड़े ध्यान से उनकी कहानी सुनी और कहा अब घबराने की कोई बात नहीं है तुम ज़ालिम क़ौम से अब महफ़ूज़ (सुरक्षित) हो।

शादी

मूसा (अ०) उनके पास इज़्ज़तदार मेहमान की तरह रहने लगे बल्कि उनको अज़ीज़ बेटे की तरह चाहा जाने लगा।

एक दिन एक लड़की ने अपने बाप से कहा कि बाबाजान इनको आप मज़दूरी पर क्यों नहीं रख लेते। यह शरीफ़ हैं और बलवान हैं। बुजुर्ग ने कहा कि बेटी उसकी शराफ़त अमानत और ताक़त की जानकारी तुम्हें कैसे हुई? बेटी बोली उसकी ताक़त उस दिन देखी जब उसने अकेले कुँएं का ढक्कन उठा लिया जबकि दूसरे सब मिलकर उसको उठाते हैं उसकी शराफ़त यह है कि वह मेरे आगे चल रहा था और पूरे रास्ते उसने मुड़कर नहीं देखा। मज़दूरी और नौकरी के लिए ताक़त और अमानतदारी की आवश्यकता है जब ताक़त नहीं होगी तो काम क्या करेगा और अगर अमानतदारी नहीं तो उसकी ताक़त का क्या लाभ। वह तो फिर बेईमानी करेगा।

बाप ने बेटी की बात से इत्तिफ़ाक़ (सहमति) किया लेकिन वह सोचने लगे और एक समझदार बाप की तरह हर बात को सोचा और दिल में कहा कि मेरी दामादी के लिए इससे अच्छा युवक और कौन हो सकता है। कम से कम मदयन में तो इस तरह मुझे नहीं दिखता। शायद अल्लाह ने ही इस नवयुवक को मेरी दामादी के लिए भेजा है। इसके बाद बुजुर्ग ने मूसा (अ०) से बड़ी दानाई और प्यार से कहा कि मैं चाहता हूँ अपनी इन दो बेटियों में से किसी एक से तुम्हारा विवाह कर दूं। इस शर्त पर कि तुम हमारे यहां आठ वर्ष मज़दूरी करो। यही तुम्हारा महर होगा लेकिन यह आठ साल ज़रुरी है। अगर तुम दस साल पूरे करना चाहो तो तुम्हें अधिकार है। मैं तुम्हे दस वर्ष पूरे करने के लिए मजबूर नहीं करुंगा। मुझको तुम इन्शाअल्लाह अच्छा पाओगे।

इस बुजुर्ग को यह चिन्ता सता रही थी कि शादी के बाद यह नवयुवक अपनी पत्नी को लेकर चला जायेगा और मैं बुढ़ापे में अकेला रह जाऊंगा।

मूसा (अ०) ने उनकी राय से सहमति दिखाई और यह सोच लिया कि शायद इसी में हमारे लिए भलाई है अल्लाह इसमें बरक़त देगा। अल्लाह ने उनको मदयन पहुंचाया शेख़ से मिलवाया और उनके दिल में महब्बत और प्यार डाला।

मिस्र वापसी

निर्धारित समय (दस साल के बाद) पूरा करने के बाद मूसा (अ०) ने मदयन छोड़ने का इरादा किया। बुजुर्ग की दुआयें लीं और पत्नी को लेकर उनसे चलने की इजाज़त चाही बुजुर्ग ने अल्लाह के भरोसे बेटी और दामाद को रुख़सत किया (विदा किया) मूसा (अ०) ने अंधेरी और ठंडी रात में अपना सफ़र शुरु (आरम्भ) किया। इस जंगल में ठंडक से बचने तथा तापने के लिए आग कहाँ थी। आग न मिली तो रात कैसे बीतेगी और रास्तेक का पता कैसे चलेगा। मूसा (अ०) यही सोच रहे थे कि उनको आग नज़र आई। आग देखकर अपनी पत्नी से कहा कि तुम यहीं ठहरों मैं आग लेकर आता हूँ। शायद इससे हमारी परेशानी दूर हो जाये।

इसी शौक़ में मूसा (अ०) आग लेने गये जब उसके क़रीब पहुंचे तो आवाज़ आई "ऐ मूसा! मैं तुम्हारा परवरदिग़ार हूँ। तुम अपने पैरों से अपने जूते (खड़ाव) उतार दो। तुम पवित्र भूमि पर हो।" वहीं अल्लाह ने मूसा (अ०) से बातें की और उनके दिल में डाला (वहय नाज़िल हुई)। वहां अल्लाह ने उनसे कहा कि "मैंने तुम्हें नुबूवत के लिए चुन लिया है। वह सुनो जो तुमसे कहा जा रहा है।"

"मैं अल्लाह हूँ– कोई मेरे सिवा बन्दगी के लायक़ नहीं है– तुम मेरी इबादत करो, मेरे लिये नमाज़ पढ़ो और पढ़ाओ– क़ियामत आने वाली है।"

मूसा (अ०) के हाथ में एक असा (लकड़ी की छड़ी) था ज़िसको अपनी सहायता के लिए उठाये हुए थे। मूसा (अ०) को छड़ी के गुण (विशेषतायें) मालूम नहीं थी। अल्लाह ने मूसा (अ०) से पूछा कि "तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है?"

मूसा (अ०) बोले– कि "यह तो मेरी छड़ी है।" मूसा (अ०) उसकी अच्छाईयाँ बताने लगे।

मूसा (अ०) अल्लाह से देर तक बातें करना चाहते थे कहने लगे कि मैं इससे टेक लगाता हूँ। इससे बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और भी इसकी विशेषताएं हैं।

अल्लाह ने फ़रमाया– "अच्छा मूसा इसे ज़मीन पर मारो।"

मूसा (अ०) ने उसको ज़मीन पर फेंक दिया वह तो ज़िन्दा सांप हो गयी।

अल्लाह ने मूसा (अ०) से कहा कि "इसको पकड़ लो और डरो मत इसको पहली हालत में लौटा देंगे यानी फिर इसको लकड़ी बना देंगे।"

अल्लाह ने हज़रत मूसा को एक–दूसरी निशानी भी दी और वह थी चमकदार हाथ। अल्लाह ने फ़रमाया –

"ऐ मूसा अपने हाथ को बग़ल से

रगड़ो उससे रौशनी निकलेंगी बग़ैर किसी तकलीफ़ के।"

"फ़िरऔन के पास जाओ वह बड़ा सरक़श हो गया है।"

अल्लाह ने हज़रत मूसा को हुक़्म (आदेश) दिया कि वह अब उन निशानियों के साथ वापस जायें और वह काम करें जिस काम के लिए उनको निशानियां दी गयीं है और जिसके लिए पैदा किया गया है। फ़िरऔन ने बड़ा फ़साद (दंगा) फैला रखा है और बहुत ज़ालिम हो गया है क़ौमे फ़िरऔन अल्लाह का इन्कार करती है और उसने अल्लाह की ज़मीन में बड़ी गड़बड़ी मचा रखी है। अल्लाह को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं कि उसकी ज़मीन पर कोई गड़बड़ी करे।

अल्लाह ने फ़िरऔन और उसकी क़ौम (जाति) के पास मूसा (अ०) को भेजने का इरादा फ़रमाया। वह कौम बड़ी बुरी हो गयी थी। मूसा (अ०) सोचने लगे कि फ़िरऔन तक कैसे पहुंचा जाये और उस घमण्डी और ज़ालिम का वह कैसे सामना करेंगे। वह जानते थे कि अभी कल ही तो उनके हाथों एक क़िब्ती की मौत हुई है। कल की बात वह अभी भूले न होंगे। उनको मिस्र से डरते हुए निकलना पुलिस का पीछा करना याद है। वह जानते थे कि उनको पुलिस और महल वाले खूब पहचानते हैं। अपना डर (भय) अल्लाह के सामने रखा और कहा कि– "ऐ अल्लाह मैंने उनके एक आदमी को मार डाला है मुझे डर है कि वह पहचान लेंगे और मुझे मार डालेंगे।"

मूसा (अ०) ने कहा कि मेरी ज़बान में लुकनत भी है। अल्लाह को इन सब बातों की ख़बर है अल्लाह चाहता है कि इसके बावजूद वह फ़िरऔन के पास जायें। जब अल्लाह ने मूसा (अ०) से कहा कि ज़ालिम क़ौम के पास जाओ (फ़िरऔन की क़ौम) क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है डरते हो?

अल्लाह से मूसा (अ०) ने कहा कि– "ऐ अल्लाह वह मुझे झुटलाएंगे मेरी बड़ी दिल शिकनी करेंगे, मेरी ज़बान में लुकनत है वह मेरी बात सही तरह समझेंगे नहीं। आप मेरे साथ हारुन को कर दीजिए। उनका एक पाप मेरे ऊपर है मुझे इसका डर है कि बदले में वह मुझे क़त्ल कर देंगे।

अल्लाह ने फ़रमाया– "कोई हर्ज नहीं तुम दोनों हमारी निशानियों के साथ जाओ हम तुम्हारी बातों को सुनेंगे।"

वह दोनों फ़िरऔन के पास आये और उससे कहा कि हम दोनों अल्लाह के दूत हैं। तुम बनी इस्राईल को हमारे साथ जाने दो।

अल्लाह ने बड़ी नम्रता से फ़िरऔन से बात करने को मूसा और हारुन से कहा अल्लाह एक हद तक दुश्मन से नम्रता से बात करने को पसंद करता है। अल्लाह ने उन दोनों से फ़िरऔन और उसकी क़ौम से प्रेम और नम्रता से बात करने को कहा। शायद वह उनकी बातों से प्रभावित हो और डरने लगे।

फ़िरऔन के सामने

मूसा (अ०) फ़िरऔन को अल्लाह की दावत देने उनकी सभा में पहुंच गये उनकी इस हिम्मत पर फ़िरऔन को बहुत गुस्सा आया और बड़े घमण्ड से बोला कि वह कौन नवयुवक आ गया है। क्या यह वही लड़का तो नहीं है जिस को समुद्र से निकाला गया था। फ़िरऔन ने उनसे (मूसा) से कहा कि हमने तुम्हें लड़के की तरह पाला और तुमने हमारे यहां कई वर्ष बिताये और हमने वह सब कुछ किया जो कर सकते थे। तुम बड़े नाशुक्रे और नाफ़रमान हो (विद्रोही हो) मूसा (अ०) उसकी बात पर गुस्सा नहीं हुए। उसने जो कुछ उसको झुठलाया भी नहीं और न उस पर झगड़ा किया और न आपत्ति जताई बल्कि गंभीरता और नम्रता से उसको उत्तर देते हुए उससे कहा कि मैंने जो कुछ किया वह अनजाने में हुआ मैं यहां से तो भागा केवल तुम्हारे डर से। अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ अपने परवरदिगार के आदेश पर। उसने मुझे तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है। मूसा (अ०) ने फ़िरऔन से कहा कि तुमने मुझे पालकर बड़ा एहसान किया लेकिन तुमने मुझे कैसे पाला ? तुमने यदि बच्चों को क़त्ल किये जाने के आदेश न दिये होते तो मेरी माता मुझे नील में न डालती और तुमने मेरी क़ौम को जानवर और गधा समझा और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया। तुमने बड़े कष्ट दिये और उनको कुत्तों की जन्ज़ीरों से बांध दिया।

तुमने इस क़ौम के एक आदमी का पालन–पोषण किया तो क्या इहसान (उपकार) किया? यह तुम्हारी बड़ी भूल है।

हाँ तुम्हारा मुझ पर यह इहसान (उपकार) होगा अगर तुम बनी इस्राइल को छोड़ दो। ❑❑❑

अन्तर्राष्ट्रीय समाचार (पृष्ठ 40 का शेष)

इस्लामी देशों से सम्बन्धों को मज़बूत किया जाए और इस्लाम के विभिन्न विषयों पर सरकार के अधीन रिसर्च की जाए। इस प्रकार प्राइमरी और सिकेंडरी के स्तर पर इस्लामियात के विषय को पाठ्य क्रम में सम्मिलित किया जाए।

■ इन्डोनेशिया की सरकार अपने देश के मुसलमानों को ज़कात देने के लिए उत्साहित करने और ज़कात को उसके हक़दारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से नये सुधारों का एलान किया है और एलान के अनुसार ज़कात के लिए निकाली जाने वाली रक़म को टैक्स से छूट दी है। ज़कात की वसूली सरकारी एजेंटों द्वारा होगी जो सरकार की सलाह से व्यवस्थित ढंग से स्थानीय निर्धन मुसलमानों की शिक्षा और कल्याणकारी संगठनों को बांटी जाएगी। ❑❑❑

"साधारण फिटकरी के असाधारण गुण"

अधिकांश व्यक्ति इतना तो ज़रुर जानते हैं कि फिटकरी बाह्य रक्तस्राव को रोकने तथा कपड़े रंगने आदि के काम में प्रयोग की जाती है। किन्तु इसके विशेष गुणों के बारे में शायद ही कोई परिचित हो। जैसे यह स्त्री–पुरुषों के आन्तरिक रोगों के अतिरिक्त सैकडों रोगों की अचूक दवा है और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में तो यह कई रूपों में प्रयोग की जाती है। अतः यह साधारण सी दिखने वाली फिटकरी असाधारण गुणों से परिपूर्ण है। हम अपने इस लेख में आपको फिटकरी की उपयोगिता व गुणों का पूर्ण परिचय दे रहे हैं।

फिटकरी एक प्रसिद्ध और प्राचीन द्रव्य है। भारतीय चिकित्सों को तो इसका ज्ञान प्राचीन काल से ही था। आयुर्वेदीय ग्रन्थ 'चरक संहिता' में फिटकरी का प्रयोग अधिक मात्रा में मिलता है। तब से आज तक प्रायः अनेक रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है।

विभिन्न नाम और पर्याय

फिटकरी उपरस वर्ग में आती है। इसको संस्कृत में स्फटिका, हिन्दी में फिटकरी, अंग्रेजी में पोटाश एलम (Potash Alum) के नाम से जाना जाता है। सौराष्ट्र, तुवरी, फटिका, शुभ्रा, कांक्षी रंगदा, पीतिका, रंगदात्री व दृढ़ता– ये सभी फिटकरी के पर्याय है।

उत्पत्ति

यह सौराष्ट्र देश के पत्थरों से पैदा होने वाली एक प्रकार की मिट्टी होती है। जिसे तुवरी कहते हैं। इसी मिट्टी को साफ करके फिटकरी तैयार की जाती है। पहले सौराष्ट्र की मिट्टी में गन्धक व एल्यूमिनियम विशेष परिमाण में विद्यमान रहते हैं, वहाँ की भूमि के ऊपरी भाग पर एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। जिसे साफ करने पर आंशिक रूप से फिटकरी मिलती है।

प्राप्ति स्थान

गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र के बम्बई क्षेत्र से इसकी प्राप्ति होती है।

भेद

बाज़ार में प्रायः चार प्रकार की फिटकरी मिलती है –

1. श्वेत 2. पीत
3. रक्त 4. कृष्ण

वर्तमान में श्वेत रंग की फिटकरी अधिक मिलती है और उपयोगी भी यही है।

फिटकरी शोधन

खाने के लिए फिटकरी को शुद्ध करना पड़ता है। इसको शुद्ध करने की दो विधियाँ प्रचलित हैं :–

1. फिटकरी को अग्नि पर अर्थात किसी बर्तन में फुला लेने से यह शुद्ध हो जाती है।
2. फिटकरी को तीन दिन तक कांजी में डुबोकर छोड़ दें तो यह शुद्ध हो जाता है।

शोधन की प्रचलित विधि

फिटकरी को खाने के लिए शुद्ध करने हेतु मिट्टी या लोहे के तवे पर या कूट कर अग्नि पर चढ़ा दें। इसमें तब तक अग्नि देते रहें जब तक इसका सम्पूर्ण जलीयांश निकल न जाए। यह फूलकर बताशे के जैसी हो जाती है। इसे चूर्ण बनाकर उपयोग के लिए रख लें।

फिटकरी मारण

फिटकरी को शरावसम्पुट में बन्द कर लघु पुट की एक अग्नि दे देने से इसका श्वेतपूर्ण का भस्म हो जाता है।

फिटकरी के गुण

यह रस में कषाय, कटु, अम्ल एवं मधुर गुण में गुरु स्निग्ध तथा वीर्य में उष्ण होती है। बाह्य प्रयोग से यह संकोचक प्रभाव करती है।

यह कण्ठस्थ, केश्य, व्रणध्न, नेत्रय, गरविषनाशक, व्रणशोधक, रक्तस्तम्भक है। साथ ही यह सफ़ेद दाग़, कुष्ठ, कफ़ रोग, नेत्र रोग, उरःक्षत, क्षय, शूल, कुष्ठ, विसर्प, विषमज्वर, पित्तज रोग, त्रिदोषज, रोगनाशक व रक्तस्राव–रोधक है। यह योनिसंकोचक, ग्राही, मुख रोग नाशक तथा दाँतों को दृढ़ करने वाली है। विशेष रूप यह फिटकरी लोहों को मारण करने वाली तथा पारद का जारण करने वाली होती है।

फिटकरी की मात्रा– 2 से 4 रत्ती।

विविध रोगों में फिटकरी का प्रयोग

- पाँच तोले गुलाब जल में चार रत्ती फिटकरी घोलकर शीशी में रख लें। इस द्रव को नेत्रों में डालने से आँखों की लाली, कीचड़, पकना, दुखना, शोथ आदि रोग दूर हो जाते हैं।
- शरीर का कोई अंग या हिस्सा कट जाए तो उसे कटे हुए भाग पर फिटकरी को चूर्ण लगाने से रक्त स्राव बन्द हो जाते हैं।
- एक तोला सैन्धव और एक तोला फिटकरी चूर्ण मिलाकर रख लें। उस चूर्ण को दाँतों पर रगड़ने से दाँतों के दर्द में राहत मिलती है।
- नाक से रक्तस्राव होने पर गाय के दूध में थोड़ी फिटकरी घोलकर नाक में डालने से रक्तस्राव बन्द हो जाता

है।

- एक रत्ती फिटकरी और एक रत्ती रस सिन्दूर मिलाकर खाने से रक्तपात में राहत मिलती है।
- दो माशा फिटकरी चूर्ण को आठ तोला जल में घोलकर योनिमार्ग का रोज़ प्रक्षालन करने से योनि की शिथिलता दूर होती है।
- तीन रत्ती चीनी और तीन रत्ती शुद्ध फिटकरी चूर्ण ज्वर आने से पूर्व खाने से विषम ज्वर नाश होती है।
- एक तोला फिटकरी को पचास तोले जल में घोलकर उदर बस्ति देने से गर्भाशय भ्रंश में फ़ायदा होता है। इसके प्रयोग से योनिस्राव, श्वेतप्रदर और रक्तस्राव आदि कष्टों में भी राहत मिलती है।
- दाढ़ी बनाते समय ब्लेड या उस्तरे से कट जाने पर फिटकरी को पानी के साथ मलने पर रक्त बन्द हो जाता है या न भी कटा हो तो भी फिटकरी पानी में डुबोकर मलने से किसी प्रकार का संक्रमण नहीं हो पाता।
- चेहरे पर मुंहासे बहुत कष्ट दे रहे हों तो भुनी हुई फिटकरी काली मिर्च बराबर मात्रा में पीसकर पानी के साथ रात में गर्म पानी से चेहरे को धोकर लेप कर दें। प्रातः धोकर तिल का तेल लगा लें। एक ही सप्ताह में चेहरे पर चमक आ जाएगी।
- प्रदर (ल्युकोरिया) में एक पके केले को चीरकर उसमें चने के बराबर पिसी हुई फिटकरी बुरक कर रात में सोते समय लगातार कुछ दिनों तक सेवन करें।
- सरसों के तेल में फिटकरी का चूर्ण मिलाकर मालिश करने से हर प्रकार के दाँत रोग ठीक हो जाते हैं।

रक्त–पित्त, पित्ती उछलने पर मिस्री एवं फिटकरी का चूर्ण आधा चम्मच दूध या जल से लेने पर आराम होता है।

- खूनी दस्त या खूनी आँव में घी में भुनी सौंफ के पच्चीस ग्राम चूर्ण में एक–एक चम्मच पिसी फिटकरी और इन्द्रायण चूर्ण मिलाकर रख लें। चौथाई से आधा चम्मच तक दिन में दो बार देने से आशातीत लाभ होता है।
- जब बुख़ार तेज़ हो रहा हो तो मृत्यंजय रस की एक गोली और चने के बराबर फूली हुई फिटकरी पीस कर गर्म जल से देने से बुख़ार उतरने लगता है।
- फिटकरी, आँवला, सारगन्धक, कत्था, कच्चा सुहागा, मिस्री दस–दस ग्राम लें। सबका चूर्ण लेकर उसको एक कप नींबू के रस में खरल कर लें। महीने होने पर बड़े चने के बराबर गोलियां बना लें। दाद जैसे कठिन चर्म रोग को खुजलाकर सूखा सा लें और गोली पानी में घिसकर लगा दें।
- डेढ़ चम्मच फिटकरी या चूर्ण पानी से लेने से पेशाब में रक्त, नाक से रक्त या शौच से रक्त प्रवाह में काम करता है। फिटकरी एवं शंख का महीन चूर्ण घावों में भरने से घाव जल्दी भरते हैं। मवादयुक्त घावों पर इसका काफी अच्छा प्रभाव होता है।
- फिटकरी की भस्म से सुब्ह–शाम दाँतों पर मालिश करने से दाँतों का मैल, पायरिया, दाँत हिलना, दाँत दर्द तथा दाँतों के कीड़े मरने में, सभी में बहुत आराम होता है।
- फिटकरी, हल्दी, समुद्रफेन को एक साथ पीस लें। बहते कान में थोड़ा सा फूंक दें। कम आराम हो तो दवा फूंक कर ऊपर से नींबू के रस की कुछ बून्दें भी निचोड़ दें, आराम होगा।
- पेड़ या वाहन आदि से गिर जाने पर यदि अंदरूनी चोट हो तो एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच पिसी फिटकरी मिलाकर तुरंत पिला दें। अन्दर का खून थक्का नहीं पाएगा तथा दर्द में भी आराम मिलेगा।
- नकसीर आए (नाक से खून बह रहा हो) तो फिटकरी का लेप माथे पर करें। गाय के दूध में फिटकरी मिलाकर नाक में छोड़ने से भी नकसीर में आराम होता है।
- बवासीर के मस्सों पर फिटकरी एवं मक्खन का लेप लगाने से मस्से सूख जाते हैं।
- एक कप गुनगुने पानी में चौथाई चम्मच फिटकरी का चूर्ण मिलाकर कान धोने से कान का बहना बन्द हो जाता है।
- टॉन्सिल होने पर फिटकरी और नमक के पानी से गरारे करने पर बहुत आराम मिलता है।
- दाँत से मवाद आने पर भी मुंह के लिसलिसेपन पर फिटकरी एवं सेंधा नमक पीस कर अंगुली से दिन में दो बार मलें। मौलश्री की छाल के चूर्ण को साथ मिलाकर दाँतों पर दो बार मलने से दाँत मज़बूत होते हैं।
- फिटकरी के पानी से (गर्म–गर्म) गरारा करने पर या कुल्ला करने पर मुंह के छाले, गले का दर्द, जीभ के छाले, टॉन्सिल सभी में आराम मिलता है।
- गर्म जल फिटकरी पीसकर बर्रे, बिच्छु व मधुमक्खी के दंश पर लगाएं।
- छोटी हर्रे के साथ फिटकरी मिलाकर गुदा धोने या रुई से लगाने पर बवासीर में आराम मिलता है।
- मिस्री और फिटकरी की भस्म के एक–चौथाई या डेढ़ चम्मच चूर्ण को मलेरिया ज्वर, एक तारा, तिजोरी, चौंधिया के बढ़ने से छः घंटे पूर्व दो–दो घन्टे पर दें। मुनक्के, दही या केप्सूल में रखकर एक ग्राम फिटकरी की भस्म गले से नीचे उतरवा दें। इस क्रिया को दिन में तीन बार करने से अतिसार, पेचिश, संग्रहणी, खूनी बवासीर, रक्त–प्रदर आदि में बहुत लाभ होता है। (आरोग्यधाम से)

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

– मुईद अशरफ़ नदवी

■ बोसेनिया के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डा० हारिस ने अरबी मासिक पत्रिका "अलमुजतमा" को इंटरविव (साक्षात्कार) देते हुए इस्लामी आतंकवाद के बारे में कहा कि हमारे वर्ग में जो चरमपंथी तत्व हैं मैं उनका पक्ष नहीं लेता यद्यपि यह दूसरे धर्मों और दृष्टकोण के हिन्सा और आतंकवाद तत्वों से न तो संख्या में अधिक है और न तो उनसे अधिक चरमपंथी है फिर भी कैथलिका आतंकवाद, आर्थोडेक्स आतंकवाद या यहूदी आतंकवाद का नाम नहीं लिया जाता है। अतः इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ना ख़ुद एक आतंकवाद है।

■ टाईम्स आफ़ इण्डिया देहली एडीशन ने अपने संवाददाता राजेश राम चन्द्रन की रिपोर्ट के अनुसार गोधरा ट्रेन दुर्घटना का शिकार साबरमती एक्सप्रेस का डिब्बा 5-6 में 59 यात्रियों ने सीट बुक कराई थी उनमें से तीन ने अपने टिकट निरस्त करा दिया था, चार यात्रियों के बारे में कोई सूचना नहीं है शेष 52 यात्रियों के बारे में जाँच के लिए रेलवे विभाग ने अपने ट्रेफ़िक इंस्पेक्टरों को रिज़र्वेशन सिलिप दर्ज पतों पर रवाना किया था। उन्होंने जो सूचनाएं इकट्ठा की हैं उसके अनुसार 52 यात्रियों में से 41 यात्री सही–सलामत मंज़िल तक पहुंच गये उनमें से 32 तो ऐसे थे जिन को मामूली घाव तक नहीं लगा। 9 यात्री ऐसे थे जो मामूली तौर पर ज़ख़्मी हुए थे मानों 52 में से 41 आज भी ज़िन्दा सलामत हैं चार के बारे में पता चला कि वह मर गये थे और सात ग़ायब हैं यदि इनको भी मरा हुआ मान लिया जाए तो मरन वालों की संख्या 11 होती है जबकि बताया यह गया था कि गोधर ट्रेन दुर्घटना में डब्बा 5-6 में सवार 59 यात्री बुरी तरह झुलस कर मर गये थे। आख़िर यह माजरा क्या है ? ('दावत' दिल्ली 25 अगस्त 2002)

■ सेंटर फ़ार मीडिया एण्ड कलचरल रिसर्च ने गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव से सम्बन्धित एक सर्वे रिपोर्ट में बताया है कि अगले प्रान्तीय चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त होगी। सर्वे में बताया गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जो विषय होंगे व राज्य में भूकम्प के प्रभाव से निपटने में राज्य सरकार की अक्षमता भ्रष्टाचार किसानों की दुर्दशा, आर्थिक अव्यवस्था, दंगों पर काबू न पाने में देरी। सर्वे के अनुसार 182 विधानसभा सीटों में 110 सीट्स पर कांग्रेस जबकि 52 से 62 तक बी०जे०पी० को मिलने की आशा है। सर्वे के अनुसार बी०जे०पी० के वोटों में 8 से 10 प्रतिशत की कमी आएगी जबकि कांग्रेस के वोटों में 4.2 से 7.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो सकती है।

सर्वे के अनुसार 70 प्रतिशत से अधिक वोटरों ने चरमपंथी हिन्दुत्व की पूरी तरह उपेक्षा कर दी है और 90 प्रतिशत वोटों का मानना है कांग्रेस और बी०जे०पी० दोनों ही राम में विश्वास रखती है और सभी पार्टियां अपने लाभ के लिए राम के नाम का ग़लत प्रयोग करती है। राज्य में चुनाव कराए जाने के बारे में 41 प्रतिशत लोगों का कहना यह है कि बी०जे०पी० चरमपंथी हिन्दुत्व का लाभ उठाने के लिए जल्द चुनाव कराना चाहती है, जबकि 59 प्रतिशत लोगों का विचार यह है कि अपनी सर्वप्रियता ही में गिरावट के कारण बी०जे०पी० जल्द चुनाव कराने की कोशिश में है। चुनाव कमीशन के फैसले को सही ठहराते हुए 52 प्रतिशत वोटरों का कहना है कि राज्य में चुनाव कराने के लिए अभी माहौल अनुकूल नहीं है।

■ समाचार पत्र 'लांस एंजलिस' ने एक विशेष रिपोर्ट में उच्च अमरीकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि क्यूबा में अलक़ाइदा के 598 बन्दियों से पूछताछ के बावजूद उनके बीच उसामा बिन लादिन के संगठन "अलक़ाएदा" के किसी भी महत्वपूर्ण लीड्र्स को तलाश करने और उसामा के हवाले से उपयोगी सूचना प्राप्त करने में असफल रहा है। इन क़ैदियों में अधिकांश साधारण दर्जे के लड़ाकू हैं जिनका अलकाएदा के नेतृत्व से कभी भी निकटवर्ती संबंध नहीं रहा। उनमें से बाज़ क़ैदियों को तो यह भी मालूम नहीं कि पृथ्वी गोल है। इस परिस्थिति में अमरीकी अधिकारियों को अत्याधिक निराशा का शिकार कर दिया।

■ जापान के विदेश मंत्रालय ने इस्लाम के हवाले से सरकार को एक विस्तरित रिपोर्ट में जो सिफ़ारिशें पेश की हैं उनमें इस बात को बयान किया गया है कि इस्लाम को दूरदर्शिता के दृष्टिकोण के साथ समझने की कोशिश कीजिए। और

(शेष पृष्ठ 37 पर)